राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ५०वां दिवस [संख्या ३१

शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११. १० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

शाहपुरा तथा नीम का थाना के बीच बस को रोका जाना

१२११. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि तारीख ३१-१०-५८ को श्री भटनागर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियरी, पी० डब्ल्यू० डी० बी० एण्ड आर ने शाहपुरा और नीम का थाना के बीच बस नम्बर आर० जे० एल० ५६५६ को रोक कर उसके रजिस्ट्रेशन और पर्मिट आदि कागजात ले लिये थे ? क्यों ?

(ख) ये कागज़ बस के ड्राइवर को कब लौटाये गये ? इतनी देर तक ये कागज़ बस वालों को न देकर अपने पास रखने का क्या कारण था ?

(ग) क्या भटनागर साहब की उक्त कार्यवाही वैधानिक एवं उचित थी ? यदि नहीं तो क्या सरकार जांच करवा कर इस मामले में उचित कदम उठावेगी ?

(घ) लाइसेन्स पर्मिट आदि के कागज़ के लिये जाने से बस के ड्राइवर तथा उसके यात्रियों को जो असुविधा हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ३ घण्टे पश्चात् जब श्री भटनागर को वापिसी पर यह मालूम पड़ा कि कुछ बालिकाएं वनस्थली विद्यापीठ की चली जा रही हैं और उनको असुविधा होगी तब फौरन रजिस्ट्रेशन कार्ड वापिस कर दिया गया ।

(ग) श्री भटनागर आर० टी० ए० के मेम्बर हैं और अपनी मोरल ड्यूटी को अदा करने के लिये उन्होंने ऐसा किया था । मामला आर० टी० ए० जयपुर को सौंप दिया गया है ।

(घ) यह मामला आर० टी० ए० के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

विचाराधीन है तो इस पर अभी कोई विचार व्यक्त करना उचित नहीं प्रतीत होता है।

डॉ० बहादुरसिंह : जिस वक्त पर्मिट लिया था, उस वक्त नहीं देखा कि बालिकाएं इसमें हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस वक्त देखा होगा तो भी ड्राइवर की गलती जरूर थी। तीन चार मील तक लगातार हार्न बजाने के बावजूद भी साइड नहीं दिया और इतनी तेज स्पीड से जा रहा था कि उनको नहीं जाना चाहिये था। वे आगे गाड़ी निकालना चाहते थे तो उनको ओवर टेक नहीं करने दिया। तब आगे उनको रोक कर और रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर गये।

डॉ० बहादुरसिंह : यह उन्होंने जान-बूझ कर किया ताकि बालिकाएं परेशान हों।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को या भटनागर साहब को यह मालूम नहीं कि जिस जगह मोटर को रोकना चाहा या रोका वहां की सड़क ऐसी है कि आसपास में इतना रेता था कि अगर वह बस उतरती तो उस रेत में फंस जाती इसलिये ड्राइवर ने साइड नहीं दी।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिलकुल रेत में उतारने की जरूरत नहीं थी। एक चका भी अगर वे नीचे ले लेते तो आसानी से पीछे की गाड़ी ओवर पास हो सकती थी। He was driving at a speed of 50 miles.

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को यह मालूम है कि वह बस आगे जाकर इस तरह से एक जगह रेत में फंस भी गई थी और जिसकी वजह से उनको और भी दिक्कत हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या आर० टी० ए० मेम्बर को पर्मिट छीन लेने की भी ओथोरिटी है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सवाल यह नहीं था। वे आर० टी० ए० के मेम्बर हैं। उस ड्राइवर ने इतनी तेज स्पीड से गाड़ी को भगाया और उनकी जो गाड़ी चल रही थी, उसको पांच मील तक ओवर टेक नहीं करने दिया। फिर आगे उन्होंने गाड़ी रोककर कहा कि इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चलाते हो रजिस्ट्रेशन कार्ड दो, मैं चालान करवाऊंगा।

श्री पी० के० चौधरी : वे रजिस्ट्रेशन कार्ड का नम्बर ले सकते थे। पर छीनने की या लेने की ड्यूटी पुलिस की ही है, वही ले सकती है। ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : लेकर नोटिस में तो ला सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : नम्बर ले सकते हैं छीन नहीं सकते।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह भी सही है कि भटनागर साहब कागज पत्र वगैरह सब लेकर उस जगह से १२ मील दूर पर दूसरे गांव चले गये और जो इन कागजों को लेने के लिये गये वे पैदल पीछे पीछे चार मील गये और काफी परेशान हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई पीछे पीछे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नही गये। वे स्वयं ही उस रास्ते से थोड़ी देर में वापिस लौटे और कागज लौटा दिये।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय मंत्री महोदय के जवाब से मालूम होता है कि आर० टी० ए० के ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेम्बर भी बस के पर्मिट या रजिस्ट्रेशन कार्ड आदि छीन सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आर० टी० ए० के मेम्बर हैं, स्वयं इस बात की जिम्मा रखते हैं। स्वयं एक मेम्बर की हैसियत से इतका भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : इस तरह से उनके अधिकार कहां हैं कि वे पर्मिट भी छीन लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभी चीजें लिखित में नहीं होती हैं।

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी द्वारा पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों से कपट

१२१२ **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) Is it correct that the management of the Sawai Madhopur Cement Factory Jaipur Udyog has been involved in a case of fraud in which they have defrauded the Western Railway authorities to the tune of Rs. 3 lacs.

(b) Is it correct that the company maintains two separate registers one showing actual quantity of Gypsum ore transported from the mines to the factory and another for showing to the Railway authorities for paying freight ?

(c) Is it correct that in collusion with the Railway. Clerk the company used to load 28 tons in each wagons built to carry only 20 tons?

(d) Is it correct that this fact was known to the Board of Directors of the company which included Governments' representatives ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (a) As far as it is known to the Government no case of fraud has been instituted against Jaipur Udyog Ltd.

(b) As far as this State Goverment is concerned there is no information on the point.

(c) There is no information with this Government. to this effect.

(d) The Government representative on the Board of Directors does not know about it

श्री पी० के० चौधरी : Is the Govermeht aware that the Central C. I. D. has confiscated some books of the Company ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no official information with the Government.

Page No.4

श्री पी० के० चौधरी: What is the un-official information with the Government ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is nothing.

श्री पी० के० चौधरी : You said that official information is not there.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I said there is no official information.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Government ask their representative to collect the information whether these allegations are correct?

श्री रिखबचंद धारीवाल : We will see it.

श्री पी० के० चौधरी : The representative on the Board of Directors may go into the matter.

श्री रिखबचंद धारीवाल : I will see.

श्री अध्यक्ष : He has agreed that he will do it.

प्रश्न संख्या १२१३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १२१४

श्री रामकरणसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १२१५

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

राजस्थान पुलिस सिविल व आर्म्स की शाखाओं के स्थापना-पत्र अधीक्षक

१२१६. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान पुलिस सिविल और आर्म्स की शाखाओं में कितने स्थापनापत्र उप-अधीक्षक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) उक्त उप-अधीक्षकों में से कितनों को ६ महीने का वेतन नहीं दिया गया तथा क्यों ?

(ग) उनको अभी तक स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) राजस्थान पुलिस सिविल और आर्म्स शाखाओं में २५ स्थापनापत्र उप-अधीक्षक हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) गजेटेड ऑफिसर अपने अपने वेतन ए. जी. राजस्थान से पे स्लिप आने पर स्वयं राजस्थान सरकार के खज़ाने से उठाते हैं और ऐसी अवस्था में यह कार्यालय सूचना देने में असमर्थ हैं। फिर भी एक ऑफिसर ने अभी इस कार्यालय में एक आवेदन-पत्र ६ मास का वेतन नहीं मिलने का भेजा था । उसकी कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) पी. एस. सी. की सिफारिश आने पर सरकार स्थायी बनाने की आज्ञा प्रदान करती है और वह भी सीमित मात्रा में ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची सदन की मेज पर रखने की बात कही, पर वह सूची नहीं मिली है और दूसरी बात यह है कि छः महीनों तक वेतन न दें तो कोई भी किस प्रकार से वर्क कर सकता होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया न कि ए. जी. के ऑफिस से डाइरेक्ट उनको पे स्लिप मिलती है। जब उनमें से एक का रिप्रेजेन्टेशन आया तो हमने उसको ए. जी. को भेजा है।

डॉ० बहादुरसिंह : रिप्रेज़ेन्टेशन करने की स्थिति ही पैदा क्यों होनी चाहिये, उनको रेग्युलर पे मिलनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो ए. जी. से ही मालूम करने की बात है।

जयपुर से सांभर जाने वाली बस नम्बर आर. जे. एल. ५४१

१२१७. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)**: क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि दिनांक २८-५-५८ को बस नम्बर आर. जे. एल. ५४१, जयपुर से सांभर जाने वाली मोटर में ड्राइवर व कन्डक्टर ने अधिक सवारियां भर रक्खीं थीं ? इसकी शिकायत उसमें बैठी सवारियों ने लिखित में उसमें बैठे एम. एल. ए. श्री लादूराम सुलानिया को दी थी तथा मौखिक रूप में ड्राइवर कन्डक्टर से की थी।

(ख) क्या रीज़नल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर, जयपुर ने इसकी कोई जांच की है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) हां, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) जांच कर ली गई है और सरकार ने यातायात विभाग के संचालक को बस कन्डक्टर और ड्राइवर के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिये लिख दिया है।

करनपुर ब्लॉक की सिलाई की मशीनें

१२१८. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर): क्या मन्त्री विस्तार खण्ड विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) करनपुर ब्लॉक में कितनी सिलाई की मशीनें दी गईं और उनमें से कितनी तकसीम कर दी गईं ?

(ख) क्या यह सच है कि जितनी सिलाई की मशीनें खरीदी गई थीं उनमें से एक गुम है ?

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य एवं विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) १६ सिलाई की मशीनें खरीदी गई व सभी वितरण कर दी गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि मशीनें बाजार से खरीदी गई थीं और ब्लॉक अधिकारी के घर में इस्तेमाल की जाती थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, ऐसी सूचना नहीं है।

Page No.6

प्रश्न संख्या १२१६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये।)

श्री भैरोंसिंह।

सर्किट हाउस सिरोही के स्टोर का फिजिकल वेरीफिकेशन

१२२०. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही सर्किट हाउस के सामान स्टोर्स का फिजिक्ल वेरीफिकेशन हुआ या नहीं ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि सिरोही रियासत के राजस्थान में शामिल होने के दिन से अब तक उस सर्किट हाउस में से कई प्रकार का कीमती सामान गायब कर लिया गया तथा बदल दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे सामान की एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ग) क्या यह सही है कि इस सर्किट हाउस का कई प्रकार का सामान दूसरे सर्किट हाउस में भेज दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस में कब कब तथा क्या क्या सामान भेजा गया है ?

(घ) क्या यह सही है कि हाल ही में आबू पर हुई डेवलपमेंट कमिश्नर्स कॉन्फ्रेन्स में सिरोही सर्किट हाउस से कुछ सामान भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या ? कृपया उसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(च) क्या यह सही है कि इस सामान में से कुछ सामान गायब कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या क्या ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां हुआ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, तालिका संलग्न है।

(घ) जी हां, तालिका संलग्न है।

(च) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह क्या यह सही है कि जिस समय डेवलपमेंट कमिश्नर कॉन्फ्रेन्स का काम समाप्त हुआ तो उसके तुरन्त बाद एक गलीचा नहीं मिला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह गलीचा मिल गया है।

श्री भैरोंसिंह : कितने दिन बाद मिला और कहां मिला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो हमको पता नहीं, पर हमको मिल गया।

श्री भैरोंसिंह : मिलने से पहले क्या सरकार ने जांच की कि किस तरह से वह गलीचा चोरी चला गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले भी इस तरह का एक प्रश्न आया था हमारे सामने। जब पता लगा कि वह गलीचा नहीं है तो तलाश किया तो मालूम हुआ इधर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उधर मिसप्लेस हो गया था जो बाद में मिल गया ।

करनपुर ब्लॉक में रेडियो सैट

१२२१. **श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर):** क्या विस्तार सेवा खण्ड मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) करनपुर खण्ड में पिछले तीन सालों में कितने रेडियो सैट मंगवाये गये ?

(ख) क्या यह सच है कि ६ रेडियो सैट मंगवाये गये ? बिल्टी में छः का इन्दराज है ! मगर रिकॉर्ड में ५ दर्ज हैं ।

(ग) क्या यह सच है कि पहला बिल छः का बनाया गया और दूसरा उसी कीमत का पांच का बना दिया गया ?

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ?

मुख्य एवं विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) पांच रेडियो सैट खरीदे गए ।

(क) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उटता ।,

डॉ० बहादुरसिंह : उस बिल्टी की जांच की थी, जिसमें छः रेडियो सैट का इन्दराज था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जवाब दिया उसमें यह स्पष्ट है !

श्रीमती सतवंतकौर : जितने सवाल रखती हूँ सब में 'जी', 'ना' का ही जवाब मिलता है । तो क्या मैं सभी गलत सवाल करती हूँ, यह समझा जावे ?

(हँसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो आपके समझने की ज्यादा आवश्यकता है ।

श्रीमती सतवंतकौर : मैं तो सब समझकर ही रखती हूँ और सही सवाल रखती हूँ !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं भी जो उत्तर देता हूँ, ठीक ही देता हूँ ।

(हँसी)

डॉ० चंद्रकला : तो क्या यह सच है कि इस प्रकार का रेडियो सैट जो है वह ब्लॉक ऑफिसर के या किसी भी अफसर के निजी उपयोग के लिए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न संख्या १२२२

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव ।

(अनुपस्थित,—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १२२३

श्री सोहनलाल भटनागर ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२२४

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १२२५

श्री हरिप्रसाद यादव ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १२२६

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्राथमिक पाठशालाओं के लिये निकलने वाले अंग्रेजी में परिपत्र

१२२७. श्रीप्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्राथमिक शालाओं के लिये निकलने वाले परिपत्र अँग्रेजी में निकलते हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यभाषा स्वीकृति की नीति के विरुद्ध यह कदम नहीं है तथा क्या सरकारी आदेश हिन्दी में न देकर अँग्रेजी में दिये जाने से अँग्रेजी अनजान अध्यापक को कठिनाई नहीं होती है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिन्दी प्रयोग का सख्ती से आदेश देगी ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (क) शिक्षा निरीक्षक के, स्तर के आम तौर पर हिन्दी में ही परिपत्र निकलते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री नत्थीसिंह ।

कीकरी बांध में रूपारेल नहर फीडर के पुल

१२२८. श्री नत्थीसिंह (कामां) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(1) How many bridges are there on the Ruparail Nahar feeder inside Kikari Bund District Bharatpur, within a distance of about 15 miles from one end of the Bund to another ?

(2) Does the Government think that this number of bridges is sufficient to provide facilities to the inhabitants of the village situated inside the Bund area especially when the river is in spate during rainy season ?

(3) If not will the Government be pleased to construct more bridges on strategic points.

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) There are 4 road bridges and 7 foot bridges on the feeder along Kakari Bund located at important crossings.

(2) There has been no demand from the public for the additional bridges and hence the existing arrangments is considered adequate.

(3) If some specific sites are pointed out where bridges are required, the matter can be investigated

(श्री रामकिशोर व्यास)

and steps taken to provide additional bridges if justified,

हाई स्कूल चाकसू और लालसोट में कॉमर्स विषय चलाने की स्वीकृति

१२२६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या हाई स्कूल, चाकसू एवं हाईस्कूल, लालसोट में राजस्थान विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय चलाने की स्वीकृति है ? यदि है, तो उक्त विषय वहां चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या इन स्कूलों के हाई स्कूल बनने के बाद राजस्थान में कहीं पर भी कॉमर्स विषय खोला गया ?

(३) यदि हां, तो इन स्कूलों को इससे क्यों वंचित रखा गया ?

(४) क्या सरकार आगामी सैशन में यहां कॉमर्स चालू करने का विचार रखती है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (१) जी हां। विभागीय नियमानुसार कॉमर्स विषय किसी संस्था में चालू करने के लिए जनता द्वारा ५,००० रु० नकद रूप में अथवा उक्त रकम के अनुसार उचित मात्रा में टाइप राइटर्स दान के रूप में दिया जाना आवश्यक है। चाकसू एवं लालसोट की जनता द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था न किये जाने पर कॉमर्स विषय चालू नहीं किया जा सका।

(२) जी हां। हाई स्कूल बसवा में।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

नगर-पहाड़ी सड़क

१२३०. **श्री नाथीसिंह** (कामां) : Will the Minister for Public Works be pleased to state :

(1) When was the work of construction of Nagar-Pahari Road, in (District Bharatpur) started ?

(2) How many miles of this 25 miles long road has uptil now been constructed and is complete in all respects ?

(3) What steps have been taken to complets this work early ?

(4) When the constructions of this road is expected to be completed ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (1) In the years 1955 and 1957

(2) Four Miles.

(3) The contractors are being pressed to push on the work early.

(4) About two years.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार को मालूम है कि यह सड़क एक तहसील और सब-तहसील को जोड़ती है और यह बहुत इम्पोर्टेन्ट और बहुत पुरानी सड़क है फिर भी २५ मील में से केवल ४ मील ४ साल में बनी है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

Page No.10

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें जरा काम की प्रगति कम रही है और उसका कारण यह है कि वह इलाका ऐसा है कि उसमें बरसात के सीजन की वजह से और दूसरी कुछ डिफिकल्टीज़ की वजह से सारे साल में वर्किंग सीज़न केवल ४ महीने ही रहता है। उसमें भी कुछ काम हो गया है बाकी रोड़ी वगैरह भी डाल दी है फिर भी जल्दी काम करवाने की कोशिश की जा रही है। आगे वहां पर वर्किंग सीज़न बहुत कम रहता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसका काम अब तक कितने ठेकेदारों को दिया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा : कॉन्ट्रेक्टर्स कितनी तादाद में हैं। The total length of road from Pahari to Nagar is 23 miles The work was devided into 8 parts. The work of first four parts (10 miles) was started in the year 1955 and that of the remaining 4 parts (13 miles) was started in the year 1957. The consolidation work has been completed in first four miles and material and earth work in the remaining portion of the 1st ten miles. For remaining 13 miles nearly all earth work has been completed and material collection is in progress. As the working season in this portion is only about 4 or 5 months, it is likely to take about 2 years more

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कॉन्ट्रेक्टर्स ने काम नहीं किया, इसलिए एक ठेकेदार के कॉन्ट्रेक्ट को खत्म कर के दूसरे कॉन्ट्रेक्टर को दिया गया है। तो ऐसा कितनी बार हुआ है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी इसकी और इससे ज्यादा डिटेल्स में जानकारी नहीं है कि कॉन्ट्रेक्ट्स कितनी दफा कैंसिल हुए और कितनी दफा दूसरों को दिया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या ऐसी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रेक्टर्स ने ठीक तरह से काम नहीं किया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में जो जानकारी चाहेंगे, वह मैं आपको बता दूँगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया।

औद्योगिक क्षेत्र बनाने की सरकारी योजना

१२३१. **श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया (बारां) :** क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार राजस्थान में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है तथा क्या इस सम्बन्ध में सरकार के सामने कोई योजना विचाराधीन है?

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित योजना के तहत इस औद्योगिक क्षेत्र के बनाये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हो पाई है व इसकी कब तक घोषणा होगी?

(ग) उक्त प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान के किन किन क्षेत्रों व शहरों को सम्मिलित कर लेने का निर्णय किया गया है?

(घ) इस औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण से जनता को क्या विशेष सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध हो सकेगी?

Page No.11

उप-उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) अगर औद्योगिक क्षेत्र से औद्योगिक सम्पदा (इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट) से मतलब है तो सरकार की उसे सार्वजनिक क्षेत्र में बनाने की योजना है ।

(ख) औद्योगिक सम्पदा जयपुर, भीलवाड़ा व माखुपुरा (अजमेर) में स्थापित किये जा चुके हैं 'व श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा व भरतपुर में स्थापित करने के लिए योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ।

अलवर, सुमेरपुर, उदयपुर व डूंगरपुर में औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, श्री गंगानगर, जोधपुर व कोटा ।

(घ) जनता को निम्न सुविधायें इन औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगी :

१. उचित दरों पर समुचित मात्रा में बिजली व पानी की उपलब्धि ।

२. रेल्वे स्टेशन से निकटता व यातायात की सुविधा ।

३. कारखाने स्थापित करने के लिए सुविधायुक्त स्थान ।

४. आधुनिक नियमानुसार बने हुए फैक्ट्री शेड्स ।

५. सरकार की ओर से आर्थिक एवं व्यावसायिक सुविधायें ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जनता को यह औद्योगिक सुविधा प्राप्त कराने के लिए सरकार ने क्या सुविधा दी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिए उनको दर्ख्वास्तें देनी पड़ती हैं उनकी दर्ख्वास्तें आ जाने के बाद अगर शेड्स खाली हैं तो उनका अलॉटमेन्ट कर दिया जाता है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अभी तक कहां कहां की ऐसी दर्ख्वास्तें आई हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जयपुर से आई हैं क्योंकि औद्योगिक सम्पदा के ४४ शेड्स कम्पलीट हुए हैं, बाकी और बन रहे हैं । दूसरे औद्योगिक सम्पदा जो बनाये जा रहे हैं वह भीलवाड़ा और माखुपुरा में उसका काम शुरू है मगर अभी तक कम्पलीट नहीं हुए हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर में इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है । उसके लिए जगह निश्चित होगी और उसका सारा प्लॉन बनेगा । तो वह वहां पर किस जगह होगा, यह सारी चीजें हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वह साइट देख लिए गए हैं और कुछ हुआ भी है, तो क्या उसी तरह से उसके लिए आवेदन पत्र इन्वाइट किये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : वह भारत सरकार को रेफर कर दिया गया है और भारत सरकार की अभी तक एप्रूवल नहीं आई है ।

प्रश्न सख्या १२३२

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर्स की नियुक्ति

१२३३. श्री हरिशंकर सिद्धन्त शास्त्री (आमेर) : क्या विद्युत् मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५२ से अप्रेल १९५८ तक कितने इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर्स नियुक्त किए गए ?

(२) इनमें शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों में से कितने लिए गए ? नहीं तो, क्यों ?

विद्युत मन्त्री (रामकिशोर व्यास) : (१) ५५

(२) कोई शिड्यूल्ड कास्ट के प्रार्थना पत्र नहीं आये।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : क्या उनसे प्रार्थना-पत्र मांगे गए थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो एडवर्टिज़मेन्ट किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

हाईस्कूल चाकसू के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन

१२३४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि हाई स्कूल चाकसू के ५ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सितम्बर, ५५ से फरवरी, ५६ तक का वेतन नहीं मिला ?

(२) यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार अब इन कर्मचारियों को उक्त अवधि का वेतन देने का विचार रखती है ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) उस समय उनके लिए कोई स्वीकृत स्थान नहीं थे। उक्त अवधि का वेतन दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।

एक माननीय सदस्य : वह कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिला है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : वे चपरासी हैं स्कूल के।

श्री नाथूलाल : इनको पे कब तक मिल जायेगी ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जल्दी ही मिल जायेगी।

श्री नाथूलाल : कोई डेट फिक्स नहीं है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : उसकी तारीख मुकर्रर नहीं हो सकती क्योंकि उसमें ए. जी. की सेंक्शन लेनी पड़ेगी और गवर्नमेन्ट की सेंक्शन लेनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डिस्ट्रिक्ट पूल में जीपों की संख्या

१२३५. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट पूल में राज्य सरकार की कितनी जीप या अन्य वाहन हैं ?

(२) क्या इसमें से एक या दो जीप धौलपुर उप-जिले के केन्द्र पर भी रहती है ? यदि हां, तो कब कब ?

(३) बाढ़ और अग्नि एवं न्याय व्यवस्था स्थापित करने हेतु उप-जिलाधीश धौलपुर ने ५५–५६–५७–५८ में कितनी बार जीप की मांग की और कितनी बार दी गई ?

(४) क्या सरकार यह उचित समझती है कि वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए एक जीप उप-जिलाधीश के अधिकार में रख दी जावे ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) भरतपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट पूल में केवल ३ जीपें हैं। अन्य कोई वाहन नहीं है।

(२) नहीं।

(३) सन् १९५६ व ५८ में बाढ़ के समय व सन् १९५७ में जनरल चुनाव के समय, उप-जिलाधीश धौलपुर ने जीप की मांग की और उनको दी गई।

(४) यह आवश्यक नहीं है कि कि एक जीप उप-जिलाधीश के अधिकार में रखी जावे। आवश्यकता पड़ने पर जीप वहां भेज दी जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इस तरह से इतने माइल का अधिक पेट्रोल खर्च नहीं होता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर एक जगह व्यवस्था की जाये तो फिर दूसरे सब–डिविजन्स में भी ऐसा ही करना पड़ेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या ऐसी और जीपें सभी कर्मचारियों के लिए काम में आ सकेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके लिए नियम बने हुए हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : समाज कल्याण विभाग ने कितनी बार डिस्ट्रिक्ट पूल से जीप मांगी और उनको जीप नहीं दी गई ऐसी शिकायत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो जानकारी नहीं है कि कब किसने मांगी और कब नहीं दी।

श्री भीमसैन : क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि रेगिस्तानी इलाके के लिए रूल्स को रिलेक्स कर दिया जाये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जा सकती। दूसरे वहां पर हो वह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।

अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

छोटे बांधों का निर्माण

१२३६. श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

(१) क्या तहसील बैराठ के छोटे बांध निर्माण के लिए सम्भावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जा चुका है ?

(२) यदि हां तो किन किन स्थानों में छोटे बांध निर्माण के चान्सेज हैं यदि नहीं तो कब तक सर्वे हो जाने की सम्भावना है ।

(३) क्या राजस्थान में सिंचाई के लिए बांध निर्माण हेतु उपयुक्त स्थानों का सर्वे हो चुका है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) एक योजना का सर्वे कराया जाकर बांध निर्माण भी पूर्ण किया जा चुका है ।

(२) अन्य स्थानों की निकट भविष्य में प्रारम्भिक जांच करा कर मालूम किया जाय कि वहां किन किन छोटे बांध निर्माण के चान्सेज हैं ।

(३) कुछ योजनाओं का सर्वे हो चुका है और बाकी का भविष्य में सर्वे शुरू किया जायेगा ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह सर्वे कितने दिनों में पूरा हो जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए स्टाफ अपॉइन्ट कर रहे है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो स्टाफ आपने इस समय अपॉइन्ट किया हुआ है उसको यह काम सर्वे के लिए दिया जा सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी जानकारी में जो स्थान सर्वे करने के हों, वे बता दें तो ज्यादा सुविधा हो जाये । ताकि सर्वे वर्क शुरू कराया जा सके ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय मैंने इसके बारे में मंत्री महोदय को चार पत्र लिखे हैं जहां जहां सर्वे करना है । उसके बारे में कि फलां फलां जगह है जिनका सर्वे कराया जाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप स्वयं बता दीजिए जिनका सर्वे कराना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजमल बापना ।

कोटडी तहसील को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से मिलाना

१२३०. **श्री तेजमल बापना** (बनेरा): Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(1) Whether Kotri Tehsil is to be connected with the district Head quarter by road which is only a twelve miles piece ?

(2) Does the Government contemplate to make provision for it in the next financial budget ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (1) Yes.

(2) That will depend upon the total provision for the reads.

श्री तेजमल बापना : Is it a fact that during the rainy season there is no way to approach the tehsil headquarters.

श्री नाथूराम मिर्धा: यह हो सकता है ।

श्री तेजमल बापना : Is it a fact that due to a higher secondary the importance of the road is much and that can be taken in the next plan.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैंने आपको

Page No.15

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कहा कि इस साल के बजट में कितना प्रोविजन कर सकेंगे, उसके ऊपर डिपेन्ड करेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

विभिन्न उद्योगों को दिया गया कुल ऋण

१२३८ श्री पी०के० चौधरी (कुचेरा) : Will the Minister for Industries be pleased to state :—

(1) What is the total ammount of loan received by various industries in the State from the Industrial Financial Corporation ? The name of the firms and the amounts of loan received by them may kindly be given along with the rate of interest.

(2) What is the total amount of loan the Corporation has disbursed since its inspection.

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : Not known. The State Government has no concern with the Industrial Financial Corporation.

(2) Not known.

श्री पी० के० चौधरी : क्या इन्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री इसको उचित नहीं समझती है कि यह इन्फोर्मेशन उनके पास रहनी चाहिए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : After examining the whole thing they advance a loan and therefore the State Government has no concern with that.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन से राजस्थान इन्डस्ट्री को कोई पैसा नहीं मिला है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरे पास ऐसी जानकारी है कि कुछ मिला जरूर है ।

श्री पी०के० चौधरी : आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी कोशिश की जायगी कि ऐसी जानकारी करें कि इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन की तरफ से राजस्थान की बराबर इन्डस्ट्री को कभी फाइनेन्स मिला है या नहीं अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल: किसी ने एप्लाई नहीं किया होगा इसलिए नहीं मिला होगा । अगर एप्लाई किया तो कोई वजह नहीं है कि पैसा नहीं मिले । इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि क्यों नहीं दिया है ।

श्री पी० के० चौधरी : My question was in the form of a request whether the Industrial Ministry will exert to collect the information and indue the Industrial Finance Corporation to help the privat industrilists in this State.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : In fact if any application is made to us, we necessarily direct them to the I. F. C.

श्री पी० के० चौधरी : I never asked for it.

श्री अध्यक्ष : That means the Government is not prepared to take any further action.

श्री पी० के० चौधरी : मेरे कहने का मतलब यह है कि Industries ministry

Page No.16

(श्री पी० के० चौधरी)

is responsible for the industrial development of the State. फाइनेन्स कॉरपोरेशन को जो लोन मिलता है वह हरएक स्टेट को मिलता है ।

श्री अध्यक्ष : हरएक स्टेट को नहीं प्राइवेट इन्डिविजुअल को मिलता है ।

श्री पी० के० चौधरी : Private. Individuals or the Industries in other States have taken advantage and the State Government does not exert to see that these resources are utilised for the development of the industry in this State.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं उद्योग मंत्री) : मैं निवेदन करूं कि इस मामले में जानकारी इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन हमको नहीं देता है, लेकिन राजस्थान में भी लोन लोगों को मिला है, वैसे यह हमारी जानकारी के अन्दर है । वैसे हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि किन किन को दिया गया है । यह हमारी मर्जी की बात नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : मैं जानकारी के लिए नहीं कह रहा हूं । मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान को बहुत कम प्रपोशन में मिला है इन कम्पेरिजन टू अदर स्टेट्स ।

खण्डार तहसील में चम्बल कैनाल से सिंचित होने वाली जमीन

१८३६. **श्री आबिद्अली (सवाई माधोपुर) :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :

(1) Is it a fact that land in Tehsil Khandar District Sawai-Madhopur is to be irrigated by Chambal Canal ?

(2) If so, when the excavation work for that canal is going to start ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) There is no provision in the present scheme to irrigate land in Tehsil Khandar. District, Sawai Madhopur. However, there is a proposal to extend Bundi Branch beyond Mej river at a later stage and this will irrigates area in Tehsil Khandar District Sawai Madhopur.

(2) Canal excavation will start as soon as the proposal for extending the Bundi Branch beyond Mej River is finalised.

श्री आबिद्अली : How much time will it take ?

श्री रामकिशोर व्यास : Nothing can be said.

श्री आबिद्अली : Pardon

श्री अध्यक्ष : A long time.

श्री आबिद्अली : There should be some limit.

श्री रामकिशोर व्यास : I cant' say.

श्री आबिद्अली : I wanted a vague idea.

श्री रामकिशोर व्यास: That I have given.

Page No.17

श्री आबिद्अली : What is your...

श्री अध्यक्ष : It depend upon the proposals.

प्रश्न संख्या १२४०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

लो इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत सीकर नगर में व्यक्तियों को लोन

१२४१. **श्रीजगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत सीकर नगर में ऐसे कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है जिनके पास स्वयं पहले से ही निवास के लिए पर्याप्त मकान थे ?

(२) सीकर नगर में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बने मकानों में से कितने मकान इस समय किराये पर चलते हैं ?

मुख्य एवं विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सीकर नगर में ऐसे किसी व्यक्ति को लो ग्रुप इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण नहीं दिया गया जिनके पास रहने के लिये पर्याप्त मकान थे।

(२) सीकर नगर में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बने मकानों में से केवल तीन मकान किराये पर चलते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि कई व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास लाखों के मकान थे उन्होंने लोन लिया है और मकान बनाये हैं वे किराये पर चला रहे हैं। उनके खुद के मकान नहीं थे, उनको लोन नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : किसी और नाम से लिया होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह हो सकता है कि उनके मकान हों और किसी तरह से फ्राड से उन्होंने वह लोन ले लिया हो, अगर आप जानकारी देंगे तो मामले में उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या उसमें इस प्रकार की शर्त है कि मकान खुद के उपयोग में लाया जाय और किराये पर नहीं दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके खुद के रहने की शर्त है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन्होंने किराये पर दे दिया है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष : आप बताइये ऐसे इन्स्टान्सेज़।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिन तीन व्यक्तियों के बारे में जानकारी आई है उसके लिए जांच पड़ताल कर रहे है और जांच-पड़ताल करने में अगर जो कॉन्ट्रेक्ट है या एग्रीमेंट हैं उसके खिलाफ कार्यवाही की होगी तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उन तीन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास इस समय यहां पर नहीं हैं, तीन व्यक्तियों के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नाम जिनके ऊपर पहले से जांच-पड़ताल की जा रही है।

बनास नदी पर खुर्रा बनाने को योजना, राशमी तहसील

१२४२. **श्री जयचंद्र मोहिल** (कपासनसु) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील के मशहूर तीर्थस्थान मातृकुण्डिया में बनास नदी पर खुर्रा बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब आरम्भ होगा?

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां के गांवों के लोग खुर्रे के निमित्त होने वाले खर्चे का आधा हिस्सा श्रमदान और नकद के रूप में देने को प्रतिज्ञाबद्ध हैं?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : तो क्या यह सही है कि इस तहसील को निर्माण कार्यों की सूची में नहीं रखा गया है, जब कि वहां की जनता ने ५० पर्सेन्ट देने के लिए कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने खुर्रे का पूछा है इसमें इस तहसील में काम शुरू किया है या नहीं, यह बात नहीं है खुर्रे का काम प्लॉन में नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि ५० पर्सेन्ट देने का, वह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जयचंद्र मोहिल : जब कि जनता की ओर से लिखित में प्रार्थनापत्र दिये गये हैं और आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कराने का, अध्यक्ष महोदय, और क्या कायदा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि आपने कहा कि लिखा पढ़ा होगा लेकिन मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। आपने लिखाई-पढ़ाई किसी और विभाग में की होगी। इस विभाग में ऐसी एप्लीकेशन नहीं है।

जामसर थाने वालों द्वारा एक पाकिस्तानी नागरिक को तस्कर सोना लाते हुए पकड़ना

१२४३. **श्री गिरधारीलाल** (श्री मुरली धर व्यास, की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सत्य है कि २५-२-५८ को जामसर थाने वालों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को तस्कर सोना लाते हुए पकड़ा था?

(२) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है?

(३) इस व्यक्ति की जमानत किसने और कब ली?

(४) क्या यह भी सत्य है कि यही व्यक्ति फरार होकर १३-३-५८ को पुनः पाकिस्तान से सोना लाता हुआ पकड़ा गया?

(५) इसे फरार कराने में किन-किन लोगों का हाथ बताया जाता है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जी हां, परन्तु सोना बरामद नहीं हुआ।

(२) श्री पहलवान बल्द मोहम्मद खां

(श्री रामकिशोर व्यास)

पठान साकिन चक नं० ६४, पुलिस थाना चीस्तिया, जिला भावलनगर (पाकिस्तान)।

(३) इसकी जमानत श्री एम० सी० सिंगल, द्वितीय श्रेणी न्यायाधीश, बीकानेर ने दिनांक २७-२-५८ को स्वीकार की।

(४) जी हां।

(५) सर्वश्री (१) सिकन्दर, (२) अली शेर (३) यारू (४) सुल्तान, (५) खलील, (६) मीरू (७) अकबर निवासी केला (८) मेहरू (६) जलाल (१०) जीवन, (११) लल्लू और (१२) बिल्लू।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके पास पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आने का कोई पासपोर्ट नहीं था ?

श्री रामकिशोर व्यास : फॉरेनर्स एक्ट में प्रोसीक्यूशन किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : एक तो तस्कर व्यापार करने में गिरफ्तार किया गया था। उसका प्रोसीक्यूशन किस-किस सेक्शन में किया गया है ? तस्कर व्यापार करने में या फॉरेनर्स एक्ट में हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई सेक्शन में किया गया है। फॉरेनर्स एक्ट में भी किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जमानत दे दी और वह फरार हो गया तो जमानत जप्त करने के आदेश नहीं दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : जमानत जप्त हो गई है।

श्री गिरधारीलाल : जमानत किस व्यक्ति ने दी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मि० सिंगल ने जमानत लेने के आदेश दिये थे। उसकी पांच पांच सौ की जमानत हुई थी। वह भाग गया तो उसकी जमानतें जप्त हो गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि जिसने मुलज़िम की जमानत दी है उनका एक गिरोह है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनके कई आदमियों को पकड़ा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : कार्यवाही की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल : नं० ५ का क्या जवाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह

निर्माण कार्य, अलवर डिस्ट्रिक्ट

१२१४ **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अलवर डिस्ट्रिक्ट की किस तहसील में सबसे कम निर्माण कार्य १६५५ से ५८ तक हुआ है ?

(२) क्या यह सत्य है कि तहसील कोटपुतली को निर्माण कार्य से वंचित रखा गया है ?

Page No.20

(श्री रामकरणसिंह)

(३) यदि हां, तो क्यों और नहीं तो आज तक क्या-क्या निर्माण कार्य उक्त तहसील में हुआ है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) लगभग समान रूप से ही कार्य हुए हैं।

(२) जी नहीं।

(३) बानसूर कोटपुतली सड़क तथा पावटा कोटपुतली सड़क।

ट्रेनिंग कॉलेज बीकानेर के स्टाफ की ग्रेड

१२१५. **श्री गिरधारीलाल** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि ट्रेनिंग कॉलेज बीकानेर के स्टाफ के ग्रेड अभी तक इन्टर कॉलेज के ग्रेड के बराबर हैं ? जबकि युनिवर्सिटी की सिफारिशों के अनुसार उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट के ग्रेड मिलने चाहिये ?

(२) क्या यह सत्य है कि अजमेर ट्रेनिंग कॉलेज जो गत वर्ष खोला गया, वहां डिग्री कॉलेज के ग्रेड दे दिये गये ?

(३) क्या यह सत्य है कि ट्रेनिंग कॉलेज बीकानेर के लेक्चरारों के लिये चेनल ऑफ प्रमोशन अभी तक निश्चित नहीं किया गया और उन्हें किसी नियुक्ति के लिये नहीं बुलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सत्य है कि सन् १९५६ में राजस्थान सरकार के सभी मुलाज़िमों के वेतन का रेशनेलाइजेशन हुआ था परन्तु बीकानेर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के वेतन का कोई रेशनेलाइजेशन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उपशिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी हां ! क्योंकि अभी तक राजस्थान एज्युकेशनल सर्विस रूल्स पूर्णतया तय नहीं हुए हैं।

(४) जी नहीं।

कोटा में अनाज के तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारियां

१२१६ **श्री गिरधारीलाल** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में): क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जुलाइ व अगस्त के बीच कोटा में कितने व्यापारी अनाज के तस्कर व्यापार में पकड़े गये ?

(२) उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कुछ नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Page No.21

जाश्मा तालाब की नहर को पक्की बनाने की स्वीकृति

१२२२ श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ-नगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जाश्मा तालाब तहसील भूपालसागर की नहर पक्की बनाने की स्वीकृति हो जाने के बावजूद भी नहर अभी तक क्यों नहीं निकाली गई ? यह कार्य कब शुरू हो जायगा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जाश्मा नहर पक्की करने की न कोई स्वीकृति हुई है और न यह आवश्यक है।

श्री हरिप्रसाद यादव : क्या सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती ?

श्री रामकिशोर व्यास : आवश्यक नहीं है, यह मैंने निवेदन किया।

(श्री सोहनलाल की अनुपस्थिति में प्रश्न संख्या १२२३ नहीं पूछा गया)

खादी तथा ग्रामोद्योग विकास के लिये संस्थाओं को सरकार द्वारा ऋण

१२२४. श्री गिरधारीलाल (श्री मुरलीधर-व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग विकास के लिये कितना-कितना रुपया किस-किस संस्था को अब तक दिया है ?

(२) क्या यह सारी संस्थायें ठीक ढंग से इसका उपयोग कर रही है ?

(३) क्या ऐसी संस्थाओं को सहकारिता के आधार पर चलाना सरकार उचित समझती है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): इस सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई।

(२) रकम का उपयोग संतोषजनक हो रहा है।

(३) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री गिरधारीलाल : आपने यह कैसे निश्चय किया कि रकम का उपयोग अच्छी तरह से हो रहा है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : मालूम किया, तभी तो पता चला कि संतोषजनक उपयोग हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल : इन्क्वायरी किससे करा रहे हैं ? तालिका मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अधिक नहीं पूछ सकता ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : ग्रामोद्योग बोर्ड है, अधिकारी लोग जाते हैं, वहां पर चेकिंग करते हैं, देखते हैं।

भूपाल सागर की नहरों को पक्की बनाने की मंजूरी

१२२५. श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तालाब भूपालसागर की पांच नहरें हैं तथा इन नहरों से कई ग्रामों में कई हजार बीघा ज़मीन

(श्री हरिप्रसाद यादव)

चावल, गन्ना, गेहूं, जौ आदि की खेती की सिंचाई के लिये पानी लिया जाता है ?

(ख) क्या इन नहरों को पक्की बनाने की मंजूरी हुई है ? यदि हां, तो कब हुई और इनका कार्य प्रारम्भ कब किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां।

(ख) इन नहरों के उन हिस्सों में जहां झरण होता है उनको पक्का करने के तखमीने तैयार किये जा रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : अवधि के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एस्टिमेट बन रहा है, फिर मंजूरी होगी।

बीकानेर जिले में अकाल

१२२६. **श्री गिरधारीलाल** (श्री मुरलीधर-व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि बीकानेर जिले में सर्वत्र अकाल है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या राहत किसानों को देना निश्चित किया है ?

(२) यदि फसल अच्छी है तो वह कहां कहां पर है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसका जबाव राजस्व मंत्री जी अपनी टर्न पर देंगे।

अमरसर से सामोद आदि सड़कें बनाने की योजना

१२३२. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की करेंगे :

(१) क्या निम्नलिखित सड़कें बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(१) अमरसर से सामोद।

(२) मनोहरपुर से छारसा होते हुए मेंड तक।

(३) बैराठ से पाछोडाला होते हुए कोटपुतली तक।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम-मिर्धा : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३ जी नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह योजना कब तक बनायेंगे ? नहीं किया गया तो यह तो बता दें कि थर्ड प्लॉन में बना देंगे, यह तो कह दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह भी नहीं कहूंगा क्योंकि गांव बहुत छोटे हैं, २ हजार की आबादी से भी छोटे हैं और हमारा प्लॉन ५ हजार की आबादी का टारगेट पूरा करने का है इसलिए शायद २ हजार के गांवों में बनाने का नंबर थर्ड प्लॉन में आवे या फोर्थ में आवे, यह नहीं कहा जा सकता।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अमरसर से सामोद तक बनाने का प्लॉन भी सरकार के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पास भेजा था। इसके बीच में दो हजार से ऊपर के शायद चार हजार तक के गांव भी पड़ते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यों तो सामोद भी सड़क से जुड़ा हुआ है और अमरसर भी सड़क से जुड़ा हुआ है। सामोद चौमू सड़क से जुड़ा हुआ है और अमरसर शाहापुरा की सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप सामोद से सीधी अमरसर तक सड़क बनवाना चाहते हैं, इसके बीच में बड़े गांव नहीं हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बीच में रोड़सर वगैरह बड़े गांव हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप के लिये बड़े हो सकते हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से छोटे हैं।

बस सर्विस के राष्ट्रीयकरण की योजना

१२४०. **श्री गिरधारीलाल** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने बस सर्विस के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो वह किन-किन रूट्स पर बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं।

(१) हां।

(२) प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

११. ५७ म० पू०

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

खाद्य स्थिति सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव विषयक

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : खाद्य स्थिति के बारे में मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार नहीं किया गया हैं, लेकिन इसके लिये जिस कमेटी का आश्वासन दिया था, उसका निर्माण हो गया है, आॅर्डर्स शायद आज इश्यु हो जायेंगे।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : कमेटी की बैठक कब होगी इसका पता नहीं है, विधान सभा का यह अधिवेशन तीन चार दिन में समाप्त हो जायगा, दिनों दिन भाव बढ़ते जा रहे हैं और यदि कमेटी की मीटिंग १५ दिन तक नहीं हुई तो दिवाला ही आॅउट हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : कमेटी की मीटिंग जल्दी ही होगी। विधान सभा से इसका संबन्ध नहीं है। सरकार ने कमेटी मुकर्रर की है।

श्री पी० के० चौधरी : Who are the members of this Committee ?

श्री अध्यक्ष : You will know it.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह कमेटी जयपुर शहर के लिये होगी या सभी शहरों के लिए ?

श्री अध्यक्ष : सभी के लिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या मुख्य मंत्रीजी उस कमेटी के सदस्यों के नाम बतायेंगे और यह भी बतायेंगे कि उसकी बैठक कब तक होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी तक पूरे नाम मुझे याद नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : जितने याद हैं उतने ही बता दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह बता सकता हूँ कि आप उसके मेम्बर जरूर हैं।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा एक प्रिविलेज मोशन था, भरतपुर और धौलपुर के एम. एल. एज़ की तरफ से उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार किया जा रहा है।

११. ५८ म० पू०

अनुपूरक अनुदान की मांगों, १९५८-५९ (प्रथम खण्ड), पर मतदान (१) मांग संख्या ४७-मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७ मुख्य शीर्षक ३७, शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २१, ६८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई। इस मांग पर निम्न सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:-

(श्री पी. के. चौधरी प्रस्ताव करेंगे :

(1) "That the Demand No. XL V11-Major Head - 37 Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to moke adequate provision for spread of female education in rural area.)

(2) "That the Demand No. XL V11 - Major Head - 37 - Education be reduced by Rs. 100/ - (to discuss the in adequate provision for buses for girls scheols in Jaipur city.)

(3) "That the Demand No. XL V11 - 37 - Education be reduced by Rs. 1/- (to discuss halting introduction of science in High Schools and Higher Secendary Scools.)

(4) "That the Demand No. XL V11 - Major Head - 37 - Education be reduced by Rs. 1/ - (to discuss the Government failure to convert High schools to Higher Secondary Schools at a further pall.)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे :

(५) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १००) रु० की कटौती डिस्ट्रिक्ट सोशियल आर्गनाईजेशन के प्रभावहीन कार्य पर विचार के लिये की जावे।

(६) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु० कटौती राजस्थान युनिवर्सिटी की ग्रान्ट पर विचार करने के लिये की जावे।'

(७) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १००) रु० की कटौती प्राथमिक

(श्री अध्यक्ष)

शालाओं की शौचनीय अवस्था पर विचार करने के लिये की जावे ।'

डा. चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी:- (८) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७ - शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (स्कूलों के स्तर में परिवर्तन के संबंध में सरकार की कोई निश्चित योजना नहीं है इस संबंध में वाद-विवाद करने हेतु)

(९) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७- शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय । (गांव के स्कूलों की शिक्षिकाओं के लिये समुचित निवास व्यवस्था के संबंध में वाद-विवाद करने के लिये)

(१०) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में (१) रुपये की कटौती की जाय । (शिक्षित बेकारों की समस्या हल करने में सरकार असमर्थ रही है, इस संबंध में वाद-विवाद करने हेतु)

डॉ. बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे : (११) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १०००) रु० की कटौती की जावे (धौलपुर महाराना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को दिये गये फर्नीचर एवं अन्य सामानों की सप्लाई पर विचार करने के लिये ।

(१२) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जावे (कॉलेज खोलने की व्यवस्था पर विचार करने के लिये ।)

श्री रामकरणसिंह प्रस्ताव करेंगे:- (१३) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७- शिक्षा में १) रु० की कटौती की जावे कोटपुतली से ८० मील में कहीं भी उच्च शिक्षा के लिये व्यवस्था सिवाय अलवर और जयपुर के नहीं है इस पर वाद विवाद करने हेतु ।

श्री रामकरण वर्मा प्रस्ताव करेंगे :- (१४) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७- शिक्षा में १००)' रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक शालाओं की अव्यवस्था के संबंध में वाद विवाद करने हेतु)

श्री भैरोंसिंह (१४) प्रस्ताव करेंगे :- (१५) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७- शिक्षा भाग (ए) में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा स्कूलों का स्तर ऊंचा करने के लिये निश्चित आधार निर्धारित न करने और कुछ आधार निर्धारित कर रखा है उस पर अमल न करने पर वाद विवाद करने के हेतु)

(१६) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा भाग (ए) में १) रु० की कटौती की जाय (विभागीय खरीद के संबंध में कोई प्रभावशाली नियम न होने पर वाद विवाद करने के हेतु ।)

(१७) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा भाग (२) में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा ऐसे निर्माण के कार्यों में आवश्यकता के स्थानों की उपेक्षा कर राजनैतिक कारणों से स्थान निश्चित करने की नीति पर वाद विवाद करने के लिये)

(१८) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा भाग (३) में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षित बेकारों की सं० के अनुपात में शिक्षा के माध्यम से इस इस समस्या के समधान हेतु अपर्याप्त व्यवस्था पर वाद विवाद करने के लिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री मूलचन्द डागा प्रस्ताव करेंगे :-

(१६) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमश: माध्यमिक विद्यालयों व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिणित करने में भारी अव्यवस्था अनियमितता पर व अनुशासनहीनता पर विचार करने हेतु)

(२०) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक पाठशालाओं में जो शिक्षक रखे जाते हैं उनकी अयोग्यता के बाबत विचार करने हेतु)

श्री चन्द्रसिंह यादव प्रस्ताव करेंगे :-

(२१) 'कि मांग सं० ४७ मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बहरोड तहसील में माध्यमिक शाला खोलने पर विचार करने हेतु)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड पर मेरे चार कट मोशन्स हैं आइ टेक फोर ग्रान्टेड देट दे मे बि टेकन फोर मूव्ड। I take it for granted that all these cut motions will be taken for moved.

अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला कट मोशन है फीमेल एज्युकेशन के बारे में गवर्नमेंट फेल्योर रही है इस बारे में। अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट में लगभग ३ लाख ८० हजार रुपये फीमेल एज्युकेशन एक्सटेन्शन के लिये क्वार्टर्स बनाने के लिये मांग की गई है। जहां तक फीमेल एज्युकेशन एक्शपेन्शन का सवाल है सिर्फ क्वार्टर्स बनाने से ही इसका हल नहीं होता है, जबकि हमने गांवों में देखा है कि वहां पर फीमेल एज्युकेशन एक्सटेन्शन के लिये आज गवर्नमेंट ने शायद तय किया है कि प्राइमरी स्कूल्स फोर गर्ल्स नहीं खोलना। इस हालत में चाहे टीचर्स के लिये क्वार्टर्स भी बना लें, टीचर्स के लिये क्वार्टर्स बनाने से फीमेल एज्युकेशन का एक्सटेन्शन नहीं होता है, जरूरत उनकी पड़ सकती है लेकिन आज भी गांवों में लोग बोयज के स्कूल्स में अपनी बच्चियों को भेजना नहीं चाहते हैं। गर्ल्स की प्राइमरी स्कूल्स के लिये जहां भी हम गांवों में जाते हैं वहां से डिमान्ड आती है कि गर्ल्स स्कूल बनाई जाय और हम उनकी डिमान्ड्स को संबंधित विभाग में भेजते हैं वहां से जवाब आता है कि सरकार की पोलिसी है कि प्राइमरी गर्ल्स स्कूल्स नहीं खोली जावें। अगर किसी बोयज स्कूल में गर्ल्स की संख्या ३० से ज्यादा हो तो वहां पर फीमेल टीचर भेज देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक तो गांवों में बहुत से लोग आज भी अपनी लड़कियों को बोयज की स्कूल्स में भेजना नहीं चाहते हैं इसलिये वे अलग गर्ल्स स्कूल चाहते हैं। दूसरी बात जो सरकार ने कंडीशन रखी है कि ३० गर्ल्स स्टूडेन्ट्स किसी स्कूल में हो जावे तो वहां लेडी टीचर भेजेंगे। लेकिन बहुत सी लेडी टीचर्स मेल टीचर्स के साथ में स्कूल में काम करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। यही वजह है कि गांवों में लेडी टीचर्स उपलब्ध नहीं होती हैं। लेडी टीचर्स मिलती नहीं हैं, इस सम्बन्ध में सरकार ने एक तरीका सोचा है कि उनके लिए मकानात बना देंगे तो लेडी टीचर्स वहां जाकर बैठ जायेंगी और फीमेल एज्युकेशन का एक्सपेन्शन होगा। मैं समझता हूं कि सरकार का गलत मोशन हैं, कि क्वार्टर बन जाने पर टीचर्स चली जायेंगी और टीचर्स के

Page No.27

(श्री पी० के० चौधरी)

जाने से स्त्री शिक्षा का प्रचार होगा। लेकिन सबसे पहली चीज जो है, जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए वह है, कि सरकार की चाहे जो पॉलिसी हो, लेकिन हम देखते हैं कि गांव के लोग प्राइमरी स्टेज में भी अपनी लड़कियों के लिए अलग स्कूल चाहते हैं। आप गावों में सेंशन्स ले सकते हैं, गांव वालों से पूछ सकते हैं, कि वे क्या प्रिफर करते हैं, लड़कियों को बोयज स्कूल में भेजना या प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में भेजना। वहां सब लोग बताते हैं, कि वे लड़कियां को बोयज स्कूल में नहीं भेजना चाहते। प्राइमरी स्टेज में फर्स्ट सेकिंड क्लास में बोयज स्कूल में भेज भी दें, लेकिन थर्ड, फोर्थ क्लास में आने के बाद भेजना नहीं चाहते। इसलिए अगर आप स्त्री एज्युकेशन का एक्सपेन्शन चाहते हैं तो चाहे आपकी पालिसी कुछ भी हो, उसे आपको मोडीफाई करना है। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल बनाने के लिए गांव वाले ५० पर्सेन्ट कंट्रीब्यूशन देने को तैयार होते हैं। लेकिन सरकार पॉलिसी डिसीजन ले चुकी है, कि प्राइमरी गर्ल्स स्कूल नहीं खुलेंगे, यही वजह है, कि प्राइमरी गर्ल्स स्कूल नहीं खोले जाते हैं। आप चाहते हैं कि लेडी टीचर्स बोयज स्कूल में मेल टीचर्स के साथ में जाकर काम करें लेकिन जो फीमेल टीचर्स आती हैं वे तैयार नहीं होती हैं। आज जो फीमेल टीचर्स हैं वे मेट्रिक पास करके आती, हैं, यंग एज की हैं, वे यंग गर्ल्स पसन्द नहीं करती कि जहां की एज्युकेशन की, को टीचिंग की व्यवस्था है, वहां जाकर अकेले काम करें। जहां प्राइमरी स्कूल हैं, एक दो टीचर होते हैं, तीन टीचर होते हैं। ऐसी हालत में लेडी टीचर क्वार्टर की वजह से ही नहीं, इस वजह से भी नहीं जाती हैं। मैं नहीं मानता कि क्वार्टर्स के बनाने से फीमेल एज्युकेशन स्प्रेड हो सकती है, दरअसल आपको फीमेल एज्युकेशन स्प्रेड करनी है तो आपको पॉलिसी डिसीजन को मोडीफाई करना चाहिए, और प्राइमरी गर्ल्स स्कूल गांवों में बनाने चाहिए। आप शहर में नहीं बनायें तो भी चल सकता है। लेकिन जहां तक विलेज एरिया का सवाल है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बनाने चाहिए, लेडी टीचर्स को अट्रेक्ट करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी खुद की कान्स्टिट्यूएन्सी में भादवा एक जगह है, जहां छः महीने तक टीचर की वेकेन्सी रहती है। गर्ल्स टीचर बार बार अपॉइन्ट होती हैं वे जाती नहीं हैं। नहीं जाने की दो वजह होती हैं; एक तो वे टीचर हैं जो एजेड हैं, जिन्होंने १०,१५ साल एज्युकेशन डिपार्टमेंट में काम कर लिया है, वे नहीं जाती हैं, क्वार्टर नहीं मिलने की वजह से। और जो न्यूली अपॉइन्टीज हैं, जो यंग ऐज की है, वे अकेले गांव में नहीं जाना चाहती हैं। उनको गांव में अट्रेक्ट करना है तो उसका एक तरीका हो सकता है कि जो अपॉइन्टमेंट देते हैं शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूल में, वहां कपल्स का अपॉइन्टमेंट करना चाहिए। जो हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, दोनों टीचिंग प्रोफेसन में हैं, उन दोनों को एक जगह पोस्ट करें एक स्कूल में, तो टीचर उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप क्वार्टर बनायें तो उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए मेरा सजेशन था, वह यह था कि एक तो प्राइमरी गर्ल्स स्कूल बनाने चाहिए, और दूसरे जिन प्राइमरी स्कूल में अपॉइन्टमेंट करें तो सिंगल टीचर का न करके, एटलीस्ट डबल टीचर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और अपॉइन्टमेंट हस्बेन्ड वाइफ का साथ में करना चाहिए क्योंकि जो सर्विस में होते हैं हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, उनकी तनख्वाह बेसिक पे ३५

Page No.28

(श्री पी० के० चौधरी)

८०, ४० रुपये होती है, और २५ रुपये महंगाई मिलती है। ६५ रुपये टीचर को मिलते हैं जब हस्बेन्ड और वाइफ दोनों टीचिंग का काम करते हैं तो वे पसन्द करते हैं, एक जगह रहना। जब ६५ रुपये तनख्वाह और डिअरनेस मिला कर मिलते हैं तो वे अलग जाकर रहना पसन्द नहीं करते....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपको भी मास्टर होना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : Not necessary उनका ट्रान्सफर किया जाता है तो वे लोग इवेड करने की कोशिश करते हैं, एबसेन्ट करके रह जाते हैं क्योंकि डबल एस्टेब्लिशमेंट होने से उनको फायदा नहीं होता है। इसलिए मेरा सुझाव है, जैसा मैंने पिछले बजट सैशन में कहा था, सिंगल टीचर स्कूल की जगह डबल टीचर स्कूल होने चाहिए, और वहां पर कपल का अपॉइन्टमेंट करना चाहिए। ताकि इन्टीरियर से भी पोस्टिंग होगा तो वे समझ लेंगे कि साथ भेजेंगे और वहां जाने के लिए तैयार होंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो क्वार्टर बनने पर टीचर उपलब्ध नहीं होंगे। बस, यह मेरे कट मोशन का मतलब था। दूसरा कट मोशन मेरा है : Discuss inadequate provisions for buses for the Girls' School at Jaipur. जयपुर शहर में जो गर्ल्स स्कूल हैं, उनकी बसेज से इसका सम्बन्ध है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में दो हायर सेकन्डरी स्कूल हैं, एक तो महाराजा हायर सेकन्डरी स्कूल। न्यू हायर सेकन्डरी स्कूल, महारानी गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स मॉडल स्कूल। इन स्कूलों में कुल मिला कर तीन हजार स्टूडेन्ट्स पढ़ते हैं, बाकी में ५००, ५०० स्टूडेन्ट्स हैं और मोडल स्कूल में १ हजार से ज्यादा स्टूडेन्ट हैं। इन तीन हजार स्टूडेन्ट्स में से १२ सौ स्टूडेन्ट्स बस अवेल करते हैं, बस में आते-जाते हैं, कोई गांधीनगर से आता है, तो कोई बनी पार्क से आता है। इस तरह १२ सौ स्टूडेट्स बसेज़ में आते जाते हैं। इनको लाने ले जाने के लिए सरकार की तरफ से चार बसेज़ हैं। There are only four buses. इन बसों की केपेसिटी, इतनी ऑथोराइज्ड केपेसिटी है, व ३५ टू ४५ के अन्दर है लेकिन स्टूडेन्ट को इतना भर कर लाया जाता है कि एक बस में ७०, ८०, ६० तक आ सकते हैं और कभी कभी एक्सीडेन्ट भी होते हैं। एक हफ्ते में मैंने सुना है कि किसी बस में से एक लड़की गिर गई थी। इसलिए मेरा निवेदन एक तो यह है कि १२०० स्टूडेन्ट्स को ट्रान्सपोर्ट करने के लिए चार बस पर्याप्त नहीं हैं बल्कि उनका नम्बर डबल होना चाहिए। दूसरे चार बस होने की वजह से, जब स्कूल साढे दस बजे शुरू होता है तो बस की फर्स्ट ट्रिप शुरू होती है आठ बजे। उन बसेज के सेन्टर्स मुकर्रर कर रखे हैं, लड़कियां उन सेन्टर्स पर आकर खड़ी हो जाती हैं, उस एरिया की लड़कियों को आठ बजे वहां खड़ा होना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रिप आठ बजे शुरू होती है और लास्ट ट्रिप स्कूल से रवाना होती है छः बजे, यानी इन लड़कियों को लगभग १०, १२ घण्टे अपने घर से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए रहना पड़ता है क्यों कि बसेज की ट्रान्सपोर्ट की फेसेलिटी है वह एड्यकेट नहीं है। इसलिए मेरा यह कट मोशन गवर्नमेन्ट की अटेन्शन को इस तरफ अट्रेक्ट करने के लिए है कि जयपुर केपिटल सिटी है, उसमें से बसेज का अरेन्जमेन्ट है, मैं समझता हूं, दूसरी जगह जो स्कूल है, दूसरे डिवि-

(श्री पी० के० चौधरी)

जनल टाउन्स में, उनसे बदत्तर है, उससे ज्यादा खराब हैं। तो इसकी तरफ गवर्नमेन्ट को अटेन्शन देना चाहिए, और जो बसेज़ हैं वे कम हैं और उनका नम्बर डबल होना चाहिए, चार बस की जगह पर कम से कम आठ बस होनी चाहिए, पर गर्ल्स स्कूल दो बस होनी चाहिए। आज पूल अरेन्जमेन्ट है, यह अरेन्जमेन्ट कर रखा है कि बसेज डिप्टी डाइरेक्ट के यहां आकर खड़ी हों, एक ही जगह सुबह और शाम की ट्रिप लगाने के बाद इकट्ठी होती हैं। अध्यक्ष महोदय, जयपुर में जो स्कूल हैं, उनके प्ले ग्राउन्ड नहीं हैं, लड़कियों को कभी भी खेलने के लिए, प्रेक्टिस करने के लिए मौका नहीं मिला। कभी विचार हो आउटडोर एक्टीविटीज के लिए, निअर वाई चिल्डरन पार्क में जाने के लिए, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं होती है। जैसा कि सब लोग जानते है कि इन्स्ट्रिक्शन ऐसे हैं कि बाहर जाना हो तो एक हफ्ते पहले प्रोग्राम बना कर भेजें, तब जाकर बस अवेलेबल होती हैं। मैं समझता हूं यह अरेन्जमेन्ट ठीक नहीं है, चार स्कूल हैं, चारों स्कूलों के डिस्पोजल पर एक फुल डे के लिए बस रहनी चाहिए। जिससे यदि वे लड़कियों को भेजना चाहें चिल्डरन पार्क में, तो आउटडोर गेम्स के लिए इस प्रकार की फेसेलिटी मिलनी चाहिए। जिस समय उन्हें बस चाहिए, बसें वहां आइडल पड़ी होती हैं। इसलिए मेरे दो सुझाव हैं, एक तो बसेज का नम्बर डबल होना चाहिए, during the school hours when it is lying idle.

दूसरे चार स्कूलों के अन्दर चार बसेज़ रहनी चाहिए, जिससे लड़कियों को चिल्डरन पार्क में ले जाने, आउटडोर गेम्स की सुविधा दे सकें......

१२ मध्यान्ह

और दूसरी बात इसकी संख्या ४ से ८ करनी चाहिये। ८ नहीं करेंगे तो में शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि कभी वे खुद सरप्राइज चैक करके देख सकते हैं कि किस तरह ओवर पैकिंग होता है, फर्स्ट बस से लड़कियां कितने बजे निकलती हैं और लास्ट टर्न में वे कब घर पहुँचती हैं, एवरेज कितने आवर्स बाहर रहती हैं।

थर्ड कट-मोशन है कि···· introduction of science in High Schools and Higher Secondary schools.

आज राजस्थान में काफी हाई-स्कूल्स और हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं उनमें लार्ज नम्बर ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं कि हाई स्कूल्स और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में साइन्स के शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, जब कि हमारी सेकेन्डरी एज्युकेशन की पोलिसी है, जब से हमने हायर सेकेन्डरी स्कूल्स का सिस्टम एडोप्ट किया है और थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स देने का तय किया है, तभी से तय किया कि, हायर सेकेन्डरी स्कूल्स का कमिशन था, उसकी सिफारिश है कि हमारी हाई स्कूल एज्युकेशन वहीं पूरी हो जानी चाहिये, हायर सेकेन्डरी स्टेज पर और इसके बाद वह जायगा किसी टेक्निकल लाइन पर, इन्जीनियरिंग लाइन पर, उसको वह अडोप्ट करेगा। पहले हमारा सिस्टम था उसमें ऐसा मीन्युएलाइज नहीं करते थे कि हमारे एक विद्यार्थी की एज्युकेशन हाई स्कूल में पूरी हो जाय, कॉलेज में उसकी एज्युकेशन की पहली स्टेज

Page No.30

(श्री पी० के० चौधरी)

पूरी होती थी। पर आज का हमारा कन्सेप्शन है कि कम्प्लीट सिटीजन बनने के लिये हायर सेकेन्डरी स्कूल तक एज्युकेशन दे देना चाहते हैं, इसके बाद उसको जनरल लिबरल एज्युकेशन की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा केरिकुलम बनाया है, इस केरिकुलम में साइन्स अनिवार्य होना चाहिये, आज के जमाने में कोई विद्यार्थी जिसको साइन्स की जानकारी नहीं है, नहीं होना चाहिये। साइन्स आज सबके लिये बहुत जरूरी चीज है, साइन्स के बगैर मोटर बिजली नहीं चलती बटन से बिजली जलती है पर हायर सेकेन्डरी स्कूल्स और मैट्रिक पास करके विद्यार्थी आता है उसको बिजली का प्रिन्सिपल मालूम नहीं हो कि बिजली क्या चीज है ? जादू की चीज है, जैसे गांवों वाले लोगों का ख्याल होता है कि बिजली जादू की चीज है, इसकी साइन्टिफिक नॉलेज उसको नहीं है, जो लिबरल एज्युकेशन हाई स्कूल में पूरा होता है, वहां साइन्स की व्यवस्था नहीं रहे तो वह उसके फ्यूचर केरियर पर बुरा असर डालने वाली चीज होगी, आज हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हम चाहते हैं कि हमारे यहां अच्छे-अच्छे टेक्निशियन्स, इन्जीनियर्स, साइन्टिस्ट्स पैदा हों, हर एक चाहता है, गांव के लोग भी यही चाहते हैं कि उनका लड़का साइन्स पढ़ कर टेक्निशियन्स लाइन में जाय, पर क्योंकि वहां स्कूल में उसके आस-पास के स्कूलों में साइन्स की शिक्षा का इन्तजाम नहीं है इसलिये वह ऐसी लाईन में नहीं जा सकता। ऐसी बात नहीं है कि वह पढ़ना नहीं चाहता पर उसके वहां के स्कूल में, उसके आस-पास के स्कूल में साइन्स पढ़ाने का इन्तजाम नहीं है, ऐसा है कि कुछ एक स्कूल्स में साइन्स टीचिंग की व्यवस्था है, मैं तो इस ओपिनियन का हूं कि हर स्कूल में साइन्स की व्यवस्था होनी चाहिये, चाहे कम स्कूल खोलें पर वहां साइन्स सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

इस कट मोशन द्वारा में माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी एज्युकेशन पोलसी में अफर्ट इस ओर होना चाहिये कि चाहे हायर सेकेन्डरी स्कूल्स कम खोलें, हाई स्कूल्स कम खोलें, पर हर स्कूल में साइन्स टीचिंग की व्यवस्था होनी चाहिये, ऐसा नहीं होगा तो काफी लड़के मैट्रिक पास हो जायेंगे पर जो एज्युकेशन उनको मिलनी चाहिये वह उन्हें नहीं मिलेगी और इस तरह जो एवेन्यू उसको आगे जाकर मिलने वाला था साइन्स की शिक्षा प्राप्त करने से, आगे जो कुछ उसको मिलने वाला था वह नहीं मिलेगा, उसके फ्यूचर केरियर बिल्डिंग पर इसका असर पड़ेगा। इसलिये इस कट मोशन द्वारा मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि teaching of Science must be made universal in all our High Schools.

मेरा जो फोर्थ कट मोशन है, अध्यक्ष महोदय, वह है : regarding conversion of High Schools to Higher Secondary Schools.

आज अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर सरकार की पॉलिसी है कि मिडिल स्कूल्स को हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में मल्टीपर्पज स्कूल्स में बना देते हैं। पर एग्जिस्टिंग हाई स्कूल्स को मल्टीपर्पज या हायर सेकेन्डरी स्कूल्स नहीं बनाते हैं और अगर बनाते भी हैं तो उसको बनाते हैं जिसके लिये विशेष व्यक्ति का दबाव हो, नहीं तो आम तौर पर किसी भी हाई स्कूल को मल्टीपर्पज या हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं बनाया जाता, मिडिल स्कूल्स को

(श्री पी० के० चौधरी)

बनाते हैं, मिडिल स्कूल्स को मल्टीपर्पज या हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में कन्वर्ट करते हैं। दिखाने के लिये तो यह ठीक होता है कि हमने ५० या १०० हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोल दिये, मल्टीपर्पज स्कूल्स खोल दिये, हमारा जो टार्गेट था उससे ५० ज्यादा बना दिये, यह देखने में इम्प्रेसिव दिखता है पर इसकी तह में जायेंगे तो पता चलेगा कि मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल या मल्टीपर्पज बनाने से तीन साल बाद वह एक्च्युअल काम अमल में आता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्लीज, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह गलत बात है कि मिडिल स्कूल्स को हायर सेकेन्डरी स्कूल्स बनाया जाता है। नाइन्थ से ऊपर जो होते हैं उनको हायर सेकेन्डरी स्कूल्स बनाया जाता है, आप मिडिल स्कूल्स को बनाने का कहते हैं।

(मन्द हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : हां तो मैं कह रहा था कि मिडिल को मल्टीपर्पज और और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स बनाने की पॉलिसी है वह देखने में इम्प्रेसिव है कि हमने टार्गेट से ज्यादा बना दिये ५० बनाने का हमारा टार्गेट था हमने १०० या ७५ बना दिये, पर किसी हाई स्कूल को मल्टीपर्पज या हायर सेकेन्डरी स्कूल में कन्वर्ट नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : They have converted some this year.

श्री पी० के० चौधरी : Very few Sir. Rest of them are middle schools.

जब मिडिल क्लास को हायर सेकेन्डरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सरकार को कुछ नहीं करना पड़ता। सिर्फ नाम उसका हायर सेकेन्डरी कर देते हैं। वह ८ वीं कक्षा से शुरू होता है। ८ वीं कक्षा से करते हैं तो ९ और १० और ११ वीं कक्षा के लिये तीन साल लगते हैं मगर आपने नाम तो आज से ही दे दिया। उसमें सिर्फ क्वालीफाइड टीचर्स होते हैं वे सीनियर टीचर्स होते हैं। जितनी मिडिल स्कूलों को आपने हायर सेकेन्डरी में बदले हैं उसमें सीनियर टीचरों का अपॉइन्टमेंट बहुत कम होता है। क्योंकि तीन साल बाद वह फुल फील्ड हायर सेकेन्डरी होगी। अगर हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी में करते हैं तो ११वीं क्लास सबसे पहले आती है। अभी दूसरी बात यह है कि जहां जहां पर हायर सेकेन्डरी स्कूलें खोली जाती हैं उसमें लास्ट क्लास में बहुत कम विद्यार्थी मिलते हैं और ज्यादा लोग हाई-स्कूल में चले जाते हैं क्योंकि हाई स्कूल में लोगों को सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाता है। हायर सेकेन्डरी में एक साल बाद में मिलता है। आप देखेंगे कि लड़कियों की स्कूल में उनके माता पिता उनकी जल्दी शादी करना चाहते हैं और उसके लिये वे जल्दी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं इसलिये उनको हाई स्कूल में भेजते हैं। आप यहां पर जयपुर में और दूसरे स्थानों पर देखेंगे कि जहां पर हाई स्कूल्स हैं और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स भी हैं वहां पर आपको हाई स्कूल में ज्यादा लड़के मिलेंगे क्योंकि हाई स्कूल में उनको एक साल पहले सर्टिफिकेट मिलता है और वे लोग एक साल पहले सर्टिफिकेट लेना पसन्द करेंगे। इसलिये जब आप मिडिल स्कूलों को कन्वर्ट करते हैं तो तीन साल का कोर्स रहता है। अगर हाई-स्कूल को कन्वर्ट करते हैं तो आपको तीन साल

(श्री पी० के० चौधरी)

नहीं लगते । आज इस प्रकार की दो स्कीमें चल रही हैं एक हाई स्कूल की और दूसरी हायर सेकेन्डरी। एक तीन साल की और एक चार साल की। यह जो आपकी डुप्लीकेट स्कीम चल रही है उसको खत्म करना चाहिये और हमको जल्दी मिडिल स्कूलों को जिसमें तीन वर्ष का समय लगता है उनको कन्वर्ट नहीं करके एग्जिस्टिंग middle स्कूल हैं उसको by the time the become high schools जिससे आपको सेन्टर से भी मदद मिल सके। लेकिन आपने मिडिल स्कूलों को हायर सेकेन्डरी में बदला है। इसके अलावा जब आप सीनियर कोर्स को कन्वर्ट करते हैं तो आपको सेन्टर से पैसा मिलता है। हाई स्कूल के साथ स्कीम करने से जहां तक ५० पर्सेन्ट या कुछ भी हो वे लोग देते हैं। इसलिये पहले तो आप मिडिल स्कूल को करते और हाई स्कूल को नहीं करते। इसलिये में यह निवेदन करूंगा कि इसको बदल कर तमाम हाई स्कूलों को करना था। हाई स्कूलों का और हायर सेकेन्डरी का साइड बाई साइड रखने से standard of teaching नहीं होता है।

इसलिये मिडिल स्कूल को नहीं करके हाई स्कूल को पहले कर दिया जावे और मिडिल स्कूलों को हाई क्लासों में और हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी में करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जगदीश प्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की मांग संख्या ४७ पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहले में तीसरे कट मोशन पर जो प्राथमिकशालाओं के सम्बन्ध में है बोलना चाहूँगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी सरकार की प्राथमिकशालाओं के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं है और इसी कारण से आज जो विकास हो रहा है, जिस प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं और आशा करते हैं कि उससे उन्नति हो, यह उचित नहीं है। आज हमारी सरकार की शिक्षा की नीति है वह किसी प्रकार ठीक नहीं है। सरकार ने ग्रान्ट इसके लिये मांगी है। मगर मैं यह कहूँगा कि इसमें सरकार का यह उद्देश्य नहीं है कि किसी प्रकार से स्कूलों को खोलना। मगर वह इसलिये है कि यह सरकार पर प्रेसर है अनएम्पलायमेंट का; बहुत से लोग बेकार हैं और इसको कैसे दूर किया जावे। उसके लिये यह एक तरीका है कि जितने भी बेकार हैं उनको शिक्षा विभाग में भेज दें। चाहे वे बेकार शिक्षा विभाग के लिये किसी काम के होंगे या नहीं या वे किस तरह से पढ़ा सकेंगे उनकी किस प्रकार की रुचि है मगर यह सब नहीं देख कर सारे के सारे लोगों को शिक्षा विभाग में भेज देंगे। शिक्षा विभाग ने तो डिमान्ड की है............उसके अन्दर है :
"Out of this, the amount of Rs. 7,30,800/- will be spent for opening of new primary schools providing employment to 840 teachers.

८४० अध्यापकों को केवल रोजगार देना है। इस नाते से इस प्रकार की प्राथमिकशालाएँ खोलने का प्रावधान किया है। जो भी आवेंगे काम करेंगे। किस तरह से शालाएँ चलती हैं यह कुछ पता नहीं। कुछ दिन पहले छात्र भर्ती आन्दोलन सप्ताह चलाया गया था जिसमें ज्यादा से ज्यादा लड़के भर्ती किये जावें। उसके लिये सब तरह के कलेक्टर, तहसीलदार और सामाजिक कार्यकर्ता और अध्यापकों ने घर-घर और गांव-गांव व मौहल्ले-मौहल्ले में जाकर लड़कों को

Page No.33

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

स्कूल भेजने के लिये कहा। इसका नतीजा यह हुआ कि हर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई जिसके फलस्वरूप जिस क्लास में ३० लड़कों की कैपेसिटी थी उसमें ६० लड़के हो गये और जिस स्कूल में २०० लड़के थे उसमें बहुत ज्यादा विद्यार्थी हो गये। लड़कों को बैठने के लिये स्थान नहीं। अब तमाशा यह कि सिंगल टीचर स्कूल। प्राथमिकशालाओं में फिफिथ क्लास के विद्यार्थी होते हैं। इस प्रकार के सप्ताह मनाने से लड़कों में इस प्रकार की बाढ़ आई की जितने लड़के आये उनको सरकार सम्भाल नहीं सकी। सरकार चाहती है कि लड़के आवें और इतने लड़के आये कि सरकार उनको सम्भाल नहीं सकी। यह स्थिति इसलिये पैदा हुई कि उनके पास कोई योजना नहीं। यह महज प्रचार करने के लिये कि दूसरे देशों में यह प्रचार हो कि हम लोगों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं और प्राथमिक-शालाओं के विद्यार्थियों को बुलाने के लिये सप्ताह मनाया। मगर मैं कहूँगा कि इसमें किसी प्रकार का उपयोग नहीं। अभी कुछ दिन पहले यहां के प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि बड़-बड़े भवनों में नहीं बैठना है तो गांवों में किसी झोंपड़े और किसी पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं तो मैं यह कहूंगा कि वास्तव में शिक्षा मिलती है इस प्रकार के देश के प्रधान मंत्री ने कहा था। इस तरह से लिया जावे तो ठीक है। मैं यह कहूंगा कि आज तो गांवों की स्थिति है वह यह है कि वहां पर बड़े-बड़े भवन नहीं हैं शहरों में तो आपको बड़े-बड़े भवन मिल सकते हैं। गांवों में कोठरियों में लोगों को शिक्षा मिलती है। जिस प्रकार मुर्गियों को बाड़े में बन्द करते हैं उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति लड़कों की है। आप देखेंगे कि एक छोटी सी कोठरी में ५०-६० विद्यार्थी बैठे हैं। उनके बैठने के लिये कोई बोरी या चटाई का प्रबन्ध नहीं, न कोई डेस्क का प्रबन्ध है। डेस्क का तो प्रश्न ही नहीं होता जब टाट और बोरियां भी बिछाने के लिये नहीं हैं। वे कोठरियां बड़ी रद्दी हालत में हैं। आज सरकार मकान बना रही है और आज उसका शिलान्यास हमारे माननीय मुख्य मन्त्री कामर्शियल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। एक तरफ तो शहरों में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और ऊंची शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश में इससे प्रगति होती दिखाई दे रही है। लेकिन जहां प्राथमिकशालाओं की यह हालत हमारे देश में रहे, इस प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं वहां के भवनों की क्या हालत है उस पर हमें ध्यान देना होगा जयपुर में बहुत बड़े-बड़े शहरों और देशों के लोग आते हैं इसलिये हम उनको दिखा दें कि इस प्रकार की शिक्षा पद्धति चलती है। लेकिन इससे शिक्षा की वास्तविक स्थिति है उसको वास्तव में हम खराब करते हैं। उस जगह हमारी सरकार की ओर से उपेक्षा होती है।

अब तीसरा प्रश्न आता है पढ़ाने वाले अध्यापकों का। किस प्रकार के लोगों को अध्यापक रखते हैं? वास्तव में अध्यापक ऐसे होने चाहिये कि जहां हमें प्रारम्भ में बच्चे पर अच्छे संस्कार डाल सकें। वहां पर अच्छे से अच्छे, अध्यापक व अध्यापिकायें हों जिनको दुनियां का ज्ञान हो। इस प्रकार के अध्यापक प्राथमिक शालाओं में देने चाहिये, मगर इस प्रकार के अध्यापक देते हैं किसी भी व्यक्ति ने मैट्रिक पास किया और उसने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली व शिक्षा विभाग ने किसी को भी रख लिया। इसी प्रकार से लड़ाई के जमाने में फौज की भर्ती होती थी। मगर वह व्यक्ति जो फौज में किसी व्यक्ति को भर्ती करता था, एक डंडा रखता था। उस डंडे से वह

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उसकी लम्बाई नापता था। जो उस लम्बाई में पूरा होता था उसको भर्ती कर लिया जाता था।

इस प्रकार से अन-एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए यह एक डिमांड है। और इन प्राथमिक शालाओं का यह फील्ड तैयार किया है, जो आया उसको उन प्राथमिक शालाओं में स्थान दे दिया मुझे कई टीचर्स से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। शहर के रहने वालों को १५, २० मील दूर उनको भेज दिया जाता है इन्टीरियर में। सप्ताह में दो-तीन दिन घर पर रहते हैं। सिंगल टीचर स्कूल बना दिये हैं, उनका वहां मन नहीं लगता। नौजवान आदमी वहां जाते हैं। या तो अभी अभी उनकी शादी हुई होती है। जब हम घर जाते हैं, तो प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक प्राथमिक शालाओं से अपने घर आये हुए मिल जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप भी घर जाते हैं।

(हंसी)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो उन प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों की यह स्थिति दिखाई देती है। उनकी सर्विसेज की भी अनस्टेबिलिटी रहती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही जानना चाहता था कि किस कट मोशन के ऊपर आप बोल रहे हैं। जिससे मुझे नोट करने में सुविधा हो।

श्री अध्यक्ष : नं० ७ प्राथमिक शालाओं की शोचनीय अवस्था पर विचार करने हेतु आगे आपके दो कट मोशन्स और भी हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह ज्यादा बड़ा है और महत्व का भी है। उन अध्यापकों की सर्विस के बारे में भी सरकार अनिश्चित है, अध्यक्ष महोदय, पहले साल सरकार उनको रिक्रूट कर देती है। वह समझता है कि धन्धा मिल गया। घर वाले भी सोचते हैं कि चलो, धन्धेसर लग गया। सरकार दूसरे साल उसका इन्टव्यू करती है, ट्रेनिंग में जाने के लिए प्रिफरेन्स उनको देती है, सरकार जिन्होंने दो साल सर्विस पूरी कर ली है। जो व्यक्ति धन्धे में लग गया, घर वाले यह नहीं सोचते कि अब उसको कुछ आगे देना चाहिए, जब पढ़ाते थे तो खर्चा उठाना पड़ता था, एक बार नौकरी लग गई तो घर वालों ने सोच लिया कि धन्धे से लग गया। इन्टव्यू में जाता है, वह सफल हुआ, मैं तो उसको दुर्भाग्य कहता हूँ। ट्रेनिंग में जाओ, जयपुर के पास या तो उसको परसराम-पुरा में भेज दिया या खेतड़ी में भेज देते हैं। भेजने के बाद क्या होता है कि जो अध्यापक दो साल से सर्विस करता आ रहा है सरकार उसको २५) रुपया महीना देगी और जिसने केवल एक साल तक नौकरी की है उसको सरकार कुछ नहीं देगी। घर वालों ने उसको पढ़ाया-लिखाया और एक साल धन्धा कर लिया, वे चिन्ता से मुक्त थे, लेकिन वह चाहता है कि घर वाले और उसको दें, कहां से दें? इसलिए अधिकांश टीचर्स परेशान होते हैं और चाहते हैं कि उनका ट्रेनिंग में नम्बर नहीं आवे। मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि जिस तरह से पहले मिलिटरी में भर्ती कर लिया जाता था, और लड़ाई में भेजने के लिए ट्रेनिंग देते थे, उसी तरह से सरकार सोचती है, कि ये आये हैं तो इनको ट्रेनिंग तो दे दो। इसलिए वे लोग मैट्रिक

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पास होकर मास्टर होना बुरा समझते हैं। यदि किसी को क्लर्की मिल जाती है या और कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन मास्टर बन कर आ जावे, लोग दुविधा में पड़ना पसन्द नहीं करते। एक साल दो साल नौकरी करवाई, उसको ७०) ८०) रुपया नौकरी दी और फिर नहीं। घर वाले भी कुछ नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति का यदि कुछ आधार बन गया है वह फिर मास्टरी में क्यों पड़ेगा ?

उनके वेतन का स्तर आदि ये तो जनरल बातें हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो प्रारम्भिक आवश्यकतायें हैं उनको किसी प्रकार से निग्लेक्ट कर रखा है। कोई प्रगतिशील व्यक्ति उस में होना चाहिये। जब तक प्रगतिशील व्यक्ति प्राथमिक शालाओं में नहीं देंगे, तब फिर किस तरह स्तर उन्नत करेंगे? केवल आंकड़े देने से योजनायें पूरी नहीं होंगी, जिस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं वह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं, वे आंकड़े जरूर बना कर बता देंगे कि इतना काम किया है। इतनी प्रगति की है, और पंचवर्षीय योजनाओं में इतनी प्राथमिक शालाएं चलानी और इतनी चला दी गई हैं। लेकिन जिस प्रकार के मेटीरियल की तैयारी करानी है, जिससे इस प्रकार की क्वालिटी तैयार करनी है, उसमें किसी प्रकार से असफल नहीं हो सकेंगे, इसलिए मैंने प्राथमिक शालाओं के सम्बन्ध में यह कट मोशन प्रस्तुत किया है।

इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट सोशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मांग रखी है, उसमें कट मोशन प्रस्तुत किया है। यह बहुत ही सुन्दर नाम देते हैं, कि इस प्रकार का सामाजिक ज्ञान का हम प्रचार करते हैं। लेकिन जिस ढंग का यह सामाजिक ज्ञान प्रसारित किया जा रहा है, जिस ढंग से स्कूल के छात्रों का उपयोग होता है, उससे जो प्रभाव पड़ने वाला होता है, वह बच्चों पर बिल्कुल उलटा होता है। आज समाज सप्ताह मनाये जाते हैं, और उनमें उद्घाटन भाषण होते हैं, वे तो होते ही हैं। उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, उस ओर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जितने सप्ताह मनाये जाते हैं, उनमें बच्चों के आने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे जुलूस निकाला तो निकाला, नहीं तो नहीं। लेकिन चाहे कोऑपरेटिव का सप्ताह मने, चाहे भेड़ ऊन का सप्ताह मने, चाहे किसी प्रकार का सप्ताह मने, बेचारे-उन विद्यार्थियों की मुफ्त में फौज बना दी जाती है। सारे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी कलेक्टर महोदय को एप्रोच करते हैं, उनको चिट्ठी लिख देते हैं, इन्सपेक्टर के पास हुक्म पहुंच जाता है, बस प्रभात फेरी हुई। और उन स्कूल के बच्चों को सारे शहर में घुमा दिया जाता है। समाज को यह शिक्षा न दें तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इससे बुरा असर पड़ता है, उनके द्वारा जितनी योजनाएं हैं उन पर बुरा असर पड़ता है। वे कहते हैं कि क्या योजनाएं बनाती हैं? सरकार कि इन बच्चों की प्रभातफेरी निकाल दी। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आशा करूंगा कि शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को कम से कम ऐसे आदेश देंगे कि जितने ये सप्ताह मानये जायं, चाहे

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वे कोऑपरेटिव के हों, चाहे भेड़ ऊन के हों, चाहे और किसी के हों, उनमें इस प्रकार से इन बच्चों को न भेजा जाय । हां, अगर शिक्षण संस्थाओं का कोई सम्बन्ध है, शिक्षा विभाग का आयोजन है तो जरूर बच्चों को बुलाया जाय, वरना बाकी के धन्धों में हमारे बच्चों को न पड़ने दिया जाय जिससे कि उनमें कु संस्कार पड़ते हैं, उन कार्यों के प्रति उनकी अश्रद्धा जागृत होती है । मास्टर लोग तो सोचते हैं कि चलो कलेक्टर की चिट्ठी आ गई है, दिन भर की छुट्टी हुई । इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय कलेक्टर्स और इन्स्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स को निर्देश दें कि बच्चों का इस प्रकार के प्रोग्रामों में उपयोग न हो । राजस्थान युनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम पर विचार करने के लिये यह कहां तक उपयुक्त होगा । यह तो मैं नहीं जानता, फिर भी मैं इस पर अपने विचार प्रकट कर देना चाहता हूं । युनिवर्सिटी की जो शिक्षा है, जिस प्रकार का ढांचा ऊपरी स्तर पर निर्माण हो रहा है, उससे यह अनुभव प्राप्त हुआ है, कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे विद्यार्थी किसी भी प्रकार से किसी भी काम में सफल नहीं होते । हमारे पास शिक्षा के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है । अंग्रेजों के समय से जो शिक्षा की पद्धति चली आ रही है । तीन कम्पलसरी सब्जेक्ट, दो ओप्शनल सब्जेक्ट, वही ढांचा अभी तक चला आ रहा है । पहले ऐसा नियम था कि नौकरी के लिये मैट्रिक पास व्यक्ति लेते थे । किन्तु अब बी० ए० पास के बिना नौकरी नहीं मिलती । आर्ट्स के अन्दर जो लोग बी० ए० करते हैं और साइन्स में बी० एस सी० जो होते हैं, उनको सिवाय कुछ किताबी ज्ञान के और कुछ प्राप्त नहीं होता, और इसके अभाव में वे समाज में क्रियात्मक चीज निर्माण नहीं कर सकते । यदि कोई विद्यार्थी किसी एक विषय में पारंगत हो जाता है, तो भी ठीक रहता है । हमारे पाश्चात्य देशों में देखा जाय वहां लोग मैट्रिक तक एक ही विषय लेकर पढ़ते हैं, और उसी में पूर्णतया पारंगत हो जाते हैं । लेकिन हमारे यहां यह नहीं देखते कि किसी ने एक भी विषय में प्रोफेसियेन्सी एक्वायर कर ली हो । जिस प्रकार एक भेड़ निकलती है, उसी प्रकार पीछे पीछे सब भेड़ें निकल जाती है । हमारे यहां परिक्षाओं के परिणाम अवश्य घोषित होते हैं उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के भी छात्र होते हैं । अभी पिछली बार मुख्य मंत्री ने कहा था कि हमारे यहां के जो छात्र हैं वे आर० ए० एस० और आई० ए० एस० में नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें आने के लिये अच्छे नम्बर्स चाहिये वे ला नहीं सकते, इसलिये राजस्थान कॉलेज खोला गया है । उस कॉलेज का केरीकुलम भी देखने को मिला, केरीकुलम में कोई अन्तर नहीं है । वहां पर अध्यापक भी जो महाराजा कॉलेज में पढ़ाते थे वे ही अध्यापक है । यह जरूर है कि लड़के जो लिये जाते हैं वे फर्स्ट और सेकन्ड क्लास को लिये जाते हैं लेकिन जहां तक पढ़ाने वालों की योग्यता का सवाल है वही योग्यता होती है । यदि उसी योग्यता वाले रखने होते हैं तो वे वहां भी हीरो पैदा कर सकते थे । वहां नहीं कर सके तो इसके मायने यह हुए कि उसमें दोष है । दोष केवल इस बात का है जो केरीकुलयर युनिवर्सिटी ने लागू कर रक्खा है, उसी पर वे चल रहे हैं । मेरा तो यह निवेदन है कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस पर हमें विचार करना चाहिये, दस दस सब्जेक्ट पढ़ाने से क्या फायदा ? एक ही

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विषय में पारंगत हो जाय तो बहुत है। विद्यार्थी बहुत हैं और विषय भी बहुत हैं। इस तरह से हम यदि एक ही विषय में विद्यार्थियों को पारंगत कर देंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें काफी सफलता मिल सकेगी और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में सफल परीक्षा करना चाहते हैं। तो वह सफल होगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय - प्रस्तुत मांग के संबंध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं, तीनों प्रस्तावों को मैं एक साथ ही पेश कर देती हूं।

मेरा सबसे पहला प्रस्ताव स्कूलों के स्तर के परिवर्तन के सम्बन्ध में है, सरकारी योजना से सम्बन्धित है। यहां स्तर से मेरा मतलब स्कूलों का दर्जा बढ़ाने से है। इस मांग के अन्तर्गत जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके माध्यमिक विद्यालय और जो माध्यमिक विद्यालय है, उनको उच्च विद्यालय और जो उच्च विद्यालय हैं। उनको इन्टर कॉलेज और जो इन्टर कॉलेज हैं उनको डिग्री कॉलेज के अन्दर परिवर्तित करने की योजना है। होना तो यह चाहिये था कि बच्चों को हमें किस तरह से शिक्षा देनी है। मूल आधार जनसंख्या का मान कर, कि पहले प्राथमिक पाठशालायें खोलनी चाहिये। फिर उन प्राथमिक पाठशालाओं में कितने विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं और उनके लिये किस जगह, किस संस्था को मिडिल स्कूल बनाने से उनको शिक्षा मिल सकती है इस तरह से मिडिल स्कूलों से निकल कर हाई स्कूल और हाई स्कूल से इन्टर, और इन्टर से डिग्री तक होना चाहिये। लेकिन व्यावहारिक रूप में होता और ही है।

मैं तो नम्रता के साथ कहूँगी-आज कृपा दृष्टि या कृपापात्रता सबसे बड़ी कसौटी है कहीं पर स्कूल खोलने की या किसी स्कूल का दर्जा बढ़ाने की। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर के समय यह साफ प्रतीत होता है कि हमारी सरकार की स्कूलों के संबंध में कोई निश्चित योजना नहीं है, जो भी प्रश्नों के जवाब दिये जाते हैं उससे यह साफ प्रकट हो जाता है जब हम पूछते हैं कि अमुक हाई स्कूल को कब इन्टर कॉलेज बना दिया जायगा? तो तीन नपे - तुले शब्दों में जवाब होगा - वहां की जनसंख्या, परिस्थिति, भवन की सुविधा आदि एवं सब स्कूलों के साथ इस पर भी विचार किया जायगा। इस उत्तर को देखते हुए यह साफ मालूम होता है कि सरकार के सामने भवन की सुविधा प्रधान है। जहां भवन मिलता है वहां स्कूल खोल देते हैं। भवन को पढ़ाना नहीं है हमें तो बच्चों को पढ़ाना है। हो सकता है वहां शिक्षा आसानी से दे सकते हैं जहां पर भवन की सुविधा हो। लेकिन जहां बच्चे पढ़ने वाले होंगे वहां सरकार को अपने आप भवन की सुविधा भी करनी पड़ेगी। हमारी सरकार द्राविड प्राणायाम करती है भवन की सुविधा पहले हो उसके बाद स्कूल खोलने पर विचार किया जायगा। इसी तरह से प्रश्नोत्तर के समय बताया जाता है। कि वहां की आबादी की मांग नहीं है,इसलिए स्कूल की आवश्यकता भी नहीं है। जनता की ओर से मांग नहीं आयी। सरकार के पास निश्चित योजना है। तो जनता को मांग करने की क्या आवश्यकता है। यह सरकार का खुद का काम है कि हर अनपढ़ को वह शिक्षित बनाये, और इसी आधार पर उसको काम करना चाहिये। लेकिन होता जो कुछ है वह इसके विपरीत होता है।

जयपुर शहर की बात ले लीजिये। यहां

(डॉ० चन्द्रकला)

पर जब कि राजधानी है, शिक्षा मंत्री का निवास स्थान है, भले ही शिक्षा संचालक का कार्यालय बीकानेर चला गया हो फिर भी उसका प्रभाव पड़ा हो तो दूसरी बात। यहां पर जो स्कूलों की संख्या है जनता की मांग को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए जिन स्कूलों को मिडिल स्कूल कर देना चाहिए था, प्राइमरी स्कूलों को माध्यमिक स्कूल और मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल कर देना चाहिए था। वह नहीं हुआ। यहां पर देखने में तो, यहां तक आया है कि एक स्कूल जहां पहले चल रही है उसके पास ही दूसरा स्कूल खोल दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बता दूँ कि एक योजना थी बेनीपार्क में लड़कियों के लिये हाई स्कूल खोलने की। जनता को जब यह मालूम हुआ तो उनको बड़ा सन्तोष हुआ, कि यहां पर यदि हाई स्कूल खुल जाता है तो यहां के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। लेकिन हुआ क्या कि वह स्कूल वहां से हटकर आदर्श नगर चला गया। क्योंकि वहां जरूत ज्यादा थी। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास कोई निश्चित योजना नहीं। वह तो समय के अनुसार चलती है और भी दूसरे दूसरे ख्याल हो सकते हैं, किन्तु निश्चित योजना नहीं है। अगर योजना होती तो जिस स्कूल की नींव खुद चुकी थी। उसके बाद में उसको दूसरी जगह नहीं ले जाते।

इसके अलावा जो स्कूल सरकार के हैं उनका स्तर बढ़ाने का तो वह ध्यान रखती है लेकिन उन्हीं स्कूलों के पास जो अर्ध सरकारी स्कूल हैं। एडेड और प्राइवेट स्कूल हैं। उनके स्तर को बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं देती। अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है या उच्च शिक्षा देनी है तो इन स्कूलों की ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। जयपुर शहर के स्कूलों को व्यक्तिगत रूप से मैंने जाकर देखा है। यहां के जो प्राइवेट स्कूल हैं, वे एक तरह के कमर्शियल शोर्स हैं स्कूल खोल लेते हैं और उससे संचालक मुनाफा कमाते हैं। उनका लक्ष्य केवल आमदनी प्राप्त करने का ही होता है। सरकार उनको रिकगनाईजेशन या सर्टिफिकेट दे देती है। फिर वे उसको मनमाने ढग से चलाते हैं उनका दर्जा उठाने की बात का कहना हो क्या? जो अपना दर्जा दिन दूना रात चौगुना बढ़ा हुआ दिखाते हैं जो मिडिल स्कूल हैं वहां पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी होती है इसके लिए कोई नियम नहीं, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी सरकारी स्कूलों तक ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य है। उन पर भी सरकार का नियन्त्रण होना चाहिये। हमारे बच्चों के जीवन का और उनके चरित्र का निर्माण उन द्वारा भी होता है।

ऐसी बहुत सी स्कूलें जयपुर में आज खुली हुई हैं जो कहती हैं कि शुरू से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई दो साल में, इन्टर की पढ़ाई दो साल में और एम० ए० बी० ए० तक की पढ़ाई एक साल में करा सकते हैं। इस तरह के बहुत से विज्ञापन आम जगहों पर, मकानों की दीवारों पर लगे रहते हैं। पर आज उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है, जब कि यहां शिक्षा सरकारी स्कूलों में बरसों की कड़ी मेहनत के बाद बच्चे लेते हैं। तो अपने ही स्कूलों का दर्जा बढ़ाना क्या महत्व रखता, है, जब कि दूसरी स्कूलें इस तरह से बढ़ती जाती हैं।

इसके साथ हो स्तर सम्बन्धी जिक्र आया,

Page No.39

(डॉ० चन्द्रकला)

संदन को सन्तोष होता यदि सरकारी स्तर उत्थान की ओर अग्रसर होता। पर हमारा स्तर तो आजकल दूसरी ओर ही चला जा रहा है। वास्तव में इस पर सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम सभी शिक्षण संस्थाओं को इसी तरह से चलाते चले जावेंगे। क्या आज का हमारा स्तर वास्तविक लक्ष्य की ओर हमें ले जा रहा है? नहीं तो फिर हमें ठहर ठहर कर सोचना होगा कि आगे इस गलत रास्ते पर बढ़ने की गलती न करके यह भूल यहीं सुधार लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मेरा छोटा सा निवेदन है. एक दृष्टांत प्रस्तुत करती हूँ खासकर लड़कियों की स्कूल का फिर अन्त में बताऊंगी कि यह जो हमारा स्तर है, यह हमारे जीवन के लिए, हमारी भावी सन्तान के चरित्र निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है। आज जो छोटी छोटी स्कूलें हम गांवों में और शहरों में खोल रहे हैं, खासकर औरतों और स्त्रियों को, और बच्चों को स्कूलों के बारे में मैं अधिक जानती हूँ, उनका प्रबन्ध किस तरह का है।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि वे इनकी ओर भी ध्यान दें, इन प्राइवेट स्कूलों के स्तर को देखें, अपनी स्कूलों के स्तर को भी देखें।

मेरा दूसरा प्रस्ताव गांवों की स्कूलों की शिक्षिकाओं के निवासस्थान के सिलसिले में है। इस सम्बन्ध में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत कुछ कह चुके हैं। सरकार की वन टीचर स्कूल गांवों में खोलने की जो नीति है और खास कर लड़कियों की स्कूलें उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कि एक टीचर गांव में रख दी जाती है और पहली से लेकर पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई उनको सौंप दी जाती है। नतीजा यह होता है कि बहुत सी पाठशालाएँ साल भर बन्द पड़ी रहती हैं और वहां कोई शिक्षिका जाना पसन्द नहीं करती। वे जिन कारणों से जाना पसन्द नहीं करतीं, उनमें से आवास की कमी, कोई बड़ा कारण नहीं है फिर भी सरकार का ध्यान इस ओर गया यह विचार शुभ और अच्छा है। सरकार ने कुल निवास स्थान १५२ तो क्वार्टर्स इस साल में और दूसरे में ६७ इस तरह २१९ क्वार्टर्स बनाने का विचार किया है। इससे उनको कुछ सुविधा मिलेगी और प्रोत्साहन भी पर इसके साथ ही साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि गांवों की शिक्षिकाओं के बारे में जैसे मेरे पूर्व-वक्ता ने बताया कि उनको निवास की ही समस्या नहीं रहती, उन्होंने दूसरी भी समस्या की तरफ ध्यान दिलाते हुए समाधान भी बताया, कि पति और पत्नी दोनों की नियुक्ति साथ साथ हो तो अच्छा रहे। हमारी सरकार ने यह भी नीति चलाई है कि लड़कियों की अलग स्कूल नहीं खोलेंगे गांवों में, बल्कि बीस की संख्या तक लड़के-लड़कियों की एक ही स्कूल रखेंगे, और उसमें लड़कियों के लिये एक लेडी टीचर जरूर रख दी जावेगी। पर ऐसी स्थिति में भी स्कूलों में वे काम करना पसन्द नहीं करती हैं और लड़कियों के मां बाप भी पहली, दूसरी और तीसरी तक तो पढ़ा देते हैं पर बाद में पढ़ाना पसन्द नहीं करते। मैंने स्वयं ने भी अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग करना चाहा पर लोगों ने इन्कार किया। तो इसका भी हल खोजना होगा। यह भी सोचना होगा कि लड़कियों की शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाने के

(डॉ० चन्द्रकला)

साथ साथ अध्यापिकाओं को किस तरह इकट्ठा करें। पति पत्नी को साथ रखकर प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा सफल हो सकते हैं। इस तरफ अधिक तत्परता से सोचना चाहिये। क्वार्टर्स की भी एक समस्या है, पर दूसरी भी समस्याएँ हैं जिनकी तरफ भी सोचना चाहिये।

तीसरा प्रस्ताव मेरा है शिक्षित बेकारों के सम्बन्ध में। यह समूचे देश की समस्या है और दिनों दिन भयंकर होती जा रही है और मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूं कि इसको हल करने के बदले हमारी सरकार इसे और बढ़ाती जा रही है तो अत्युक्ति नहीं होगी। बढ़ाती इस तरह से है कि जिस शिक्षा पद्धति से यह बेकारी की समस्या उत्पन्न होती है उसी को और अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का और प्रसार करने का प्रयत्न आज सरकार कर रही है। हर साल उतने ही और अक्षर ज्ञान से शिक्षित बेकार उपस्थित हो जाते हैं। अब इनमें से ८४० अध्यापकों को काम दिलाने की बात कही। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से पूछना चाहती हूँ कि इतनी धनराशि इन पर खर्च करने के बाद भी क्या इससे यह समस्या हल हो जावेगी? मुझे खेद होता है जब मुझे यह मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार को यह अन्दाज नहीं है कि हमारे प्रदेश के शिक्षित बेकारों की समस्या किस हद तक है। उनकी क्या संख्या है, क्या स्थिति है, क्या आंकड़े हैं यह सरकार ने अन्दाज नहीं लगाया तो फिर उसका उपाय करने का सवाल ही कहां आता है? यह तो ऊपर से बताया हुआ हल है कि वन टीचर स्कूल खोल दो तो समस्या हल हो जावेगी। पर इससे समस्या हल नहीं होने वाली है। इससे तो समस्या और बढ़ेगी क्योंकि ये टीचर जाकर वही अक्षर ज्ञान तो करा देंगे जो वे पाये हैं और अपनी ही तरह नये बेकार पैदा करते चले जावेंगे। इसलिये सरकार को इस तरफ सोचना होगा इस दृष्टिकोण से भी। मेरा तो यह सुझाव है कि एक शिक्षक स्कूल खोलने के बजाय तो सरकार थोड़े आर्ट और क्राफ्ट्स स्कूल, उद्योगों के छोटे छोटे स्कूल खोलने की योजना बनावे और इस दिशा में सोचे तो यह उपाय ज्यादा कारगर हो सकता है। इसी उद्देश्य से तो हमारे बापू की बेसिक शिक्षा की योजना थी। यदि सचमुच उसको हम ग्रहण कर सके होते तो हमारे सामने यह शिक्षित बेकारों का सवाल आता ही नहीं! लेकिन हमारी सरकार ने उसको भी उस रूप में ग्रहण नहीं किया। एक ढांचे को तो ले लिया, ऊपर की बातें तो ले लीं और उसके हिसाब से स्कूलों में पूनी और तकली तो रखवा दी पर अन्न पैदा करवाना या कपड़ा पैदा करवाना इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। बुनियादी तालीम को सच्चे अर्थों में ग्रहण ही नहीं किया। एक ढकोसला हमने उसके नाम पर कर रखा है। पर इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। बेकारी के सवाल को हल करने का दूसरा ही उपाय है।

क्या आवश्यकता है कि सभी लोग प्राइमरी तक पढ़ने वाले मिडिल स्कूल में जायेंगे और सब मिडिल तक पढ़ने वाले हाई-स्कूल में जायेंगे और सभी हाई स्कूल के पढ़ने वाले कॉलेज में जायेंगे और कॉलेज से पढ़ने के बाद वहां से निकलें ही? पढ़ाई तो उनके लिए होनी चाहिए, जो कि किसी एक खास लाइन में जाना चाहें, जो उस क्षेत्र में जाना चाहें। तो बाकी उनको अलग-अलग क्षेत्रों में जाना चाहिए और अलग-अलग क्षेत्र चुनना चाहिए और उसके अनुसार

Page No.41

(डॉ० चन्द्रकला)

शिक्षा दी जानी चाहिए और वह हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि शिक्षा की कितनी दिशायें हो सकती हैं और कौन-कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, किस किस तरह से लोगों को आगे के जीवन के लिए तैयार किया जा सकता है। उसके अनुसार योजनायें बनाई जायें। इससे हमारे शिक्षित बेकार नहीं होंगे और जब शिक्षित बेकार नहीं होंगे तो उसके बाद में हमारी यह समस्या नहीं होगी। लेकिन आजकल हमारी सरकार शिक्षित लोगों की बेकारी को दूर करने के जो उपाय कर रही है, वह सही उपाय नहीं हैं। इससे तो आगे चल कर हमारे सामने बेकारी की समस्या इतनी जोर से आयेगी कि उसका हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। मैं तो अध्यक्ष महोदय अपनी सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, कि अभी देर नहीं हुई है। सरकार को अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि पहली बात तो यह है कि जो शिक्षित बेकारों को पैदा करने वाली हमारी शिक्षा पद्धतियां हैं वे पहले बन्द होनी चाहिए और शिक्षित बेकार और पैदा न हो पायें इसकी कोशिश करनी चाहिए और जो शिक्षित बेकार पहले से हैं, उनको काम दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। होता क्या है कि आजकल हमारी शिक्षा केवल साक्षरता तो ला देती है परन्तु उसके साथ ही साथ वह हमारे अन्दर नया दुर्गुण पैदा कर देती है कि हमें केवल कुर्सी पर बैठ कर कागज और कलम चला कर काम करना तो पसन्द आता है और बाकी दूसरे उद्योगों के काम हमें ग्रहणीय नहीं लगते हैं और वे हेय लगते हैं और उनको बुरा काम समझते हैं। आज एक किसान का लड़का शहर में आकर पढ़ाई कर लेता है, इन्टर कर लेता है, बी० ए० कर लेता है तो उसको भी कृषि का काम अरुचिकर लगता है। इतना पढ़ लेने के बाद उसको खेत में जाकर अपनी शिक्षा का उपयोग करने का गौरव नहीं होता है। बल्कि वह एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने का आकांक्षी हो जाता है। हमारे पहले पूर्वज कहा करते थे उत्तम खेती। लेकिन आज का शिक्षित नवयुवक आज का यूनिवर्सिटी का निकला हुआ लड़का खेती को बहुत हेय समझता है। मेरी समझ में तो शिक्षित बेकारों के पूरे जीवन के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है और पूरा दृष्टिकोण बदला जायेगा तो कोई कारण नहीं है कि हमारे पास ऐसे बहुत उद्योग हैं जिनमें लोगों को लगाया जा सकता है। इससे हमारी बेकारी का सवाल भी नहीं रह जायेगा। लेकिन हमारी सरकार जब तक सोती रहेगी और जो एक ढांचा चला आ रहा है शिक्षा का पहले से उसमें थोड़ा सा हेर-फेर कर देते हैं या कहीं पर कुछ बढ़ा देते हैं या कहीं पर घटा देते हैं इससे हमारी यह समस्या हल नहीं होगी। मेरे विचार में इस दिशा में जागरूक होकर सारी बातों को बैठकर के उनका हल निकालने की आवश्यकता है। अच्छा यह हो कि शिक्षित बेकारों का पूरा अध्ययन किया जाये। स्कूल खोल कर शिक्षित बेकारों की समस्या को हल करना एक मात्र हल नहीं है इसके अलावा दूसरे उपाय भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। मैं इन शब्दों के साथ यह कटौती के प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करती हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, शिक्षा की मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव तो धौलपुर महाराना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को किए गये फर्नीचर एवं अन्य साधनों की सप्लाई के बारे में है। मैं आपको इसकी सूचना दूं कि वहां पर जो फर्नीचर सप्लाई

(डॉ० बहादुरसिंह)

किया गया उसमें किस प्रकार का फर्नीचर और दूसरा सामान सप्लाई किया गया, यह एक कहानी है। जिस समय महाराना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को फर्नीचर और सामान की जरूरत हुई तो आपके भरतपुर शिक्षा निरीक्षक कार्यालय ने टेन्डर इन्वाइट किये और उसके अन्दर अलवर का सप्लाई टेन्डर मंजूर किया जाता है। अब जो सामान दिया जाता है उस सामान की स्थिति मैं समझता हूं कि कम से कम दो बार तो मैं ही विधान सभा में क्वेश्चन पुट-अप कर चुका हूं, लेकिन एक बार भी इस सम्बन्ध में शायद सरकार ने कोई निर्णय उचित नहीं लिया। जो फर्नीचर सप्लाई किया गया है, मेरे ख्याल से विद्यार्थियों को वहां बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध नहीं हैं। उसमें आधी से अधिक कुर्सियां तो टूटी हुई हैं। जो अलमारियां सप्लाई की गई थी उसके बारे में पिछली दफा उपमन्त्री महोदय ने मेरे सवाल के उत्तर में कहा था कि हम उनकी मरम्मत करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात समझ में नहीं आई कि जब किसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है तो जिस समय कम से कम उसको पेमेंट किया जाय, उस समय यह देखा जाये कि जो सामान सप्लाई किया गया है वह सरकार के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं। नमूने के अनुसार माल सप्लाई किया गया है या नहीं। लेकिन इसको देखने की जरूरत किसी ने भी नहीं समझी। इसके अलावा जो टेबल्स सप्लाई की गई, जो अलमारियां सप्लाई की गई उनमें आज तक एक भी कांच फिट नहीं हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं स्वयं देखकर आया हूं और वहां के प्रधान अध्यापक से मिलकर मैंने पूछा कि कहां तक सरकार उसको मरम्मत कराने को योजना बना रही है। जब उनसे बात हुई तो मालूम हुआ कि उसको पेमेंट हो गया। हैड मास्टर ने पेमेंट के लिए ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि पेमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स की ओर से ऐसा आदेश आया कि नहीं, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा और इस प्रकार उसका पेमेंट किया जाता है। जो दराज़ों और अलमारियों के अन्दर लाक फिट हैं, वे पूरे नहीं हुए हैं। जो फर्नीचर सप्लाई किया गया, उसमें न तो ताले ही फिट हैं और न उनमें हैंडिल हैं और जो फर्नीचर के बनाने में लकड़ी लगाई गई वह इस प्रकार की घुनी हुई थी कि मैं समझता हूं कि कम से कम २५ प्रतिशत तो फर्नीचर वैसे ही खराब था।

इसी प्रकार आपके टेक्नीकल डिपार्टमेंट में जो सामान सप्लाई हुआ वह भी बहुत रद्दी था। मैं समझता हूं कि वहां जो हथोड़े सप्लाई किये गये, वे कम से कम दो या डेढ़ पौण्ड के होने चाहिए, वह छोटे-छोटे हथोड़े हैं, अब आप ही बतायें कि कैसे उनसे बच्चे काम करेंगे? इसी प्रकार से आरी, रेती एक ही नहीं, बल्कि टेक्नीकल सामान जो है भी उसकी इतनी इनफीरियर क्वालिटी थी कि ऐसा समझ लिया जाये कि जैसे मुफ्त का पैसा हो और मुफ्त का खरीददार हो, ऐसा सामान था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक बजट प्रोवाइड कर देते हैं सब सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स के लिए और उससे कह देते हैं कि तुम सामान खरीदो। तो या तो सामान के खरीदने के लिए कोई टेक्नीकल एक्सपर्ट्स रखने चाहिए या फिर राजस्थान गवर्नमेंट कोई सेन्ट्रल स्टोर रखे और फिर वहां से सामान दिया जावे। बात यह है कि छोटी-छोटी जगह हैं, जयपुर से जाने के लिए आपको दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन वहां तो फर्नीचर

(डॉ॰ बहादुरसिंह)

आपके इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने खरीदा उनको देखा गया और पेमेंट के लिए ऑब्जेक्शन्स रेज़ हुए और उसके बाद भी आप उनको सारा पेमेंट कर देते हैं। और पेमेंट करने के बाद में फिर बराबर शिकायतें आती हैं और मैं भी कर चुका हूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रकार क्यों होता है ? इसका मतलब तो यह है कि जो सार्वजनिक धन है उसका एक प्रकार से दुरुपयोग होता है।

१ म० प०

दूसरी बात मेरा जो कटौती प्रस्ताव है। वह कॉलेज के बारे में है। माननीय अध्यक्ष, कॉलेज राजस्थान में स्थापित हुए और शायद कॉलेज की मांग देश के आजाद होने के बाद, स्कूलों की मांग, प्राइमेरी शालाओं की मांग, माध्यमिक शालाओं की मांग, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की मांग बराबर बढ़ी है ; लेकिन कहां आवश्यकता है, कहां आवश्यकता नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान में रखने की भी आवश्यकता है। मैं एक नज़ीर अपने यहां की रख रहा हूँ। धौलपुर एक ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां एक उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय है और दो हाई स्कूल हैं। बीच में आगरा पड़ता है। धौलपुर और भरतपुर दोनों ही जगह की अलग-अलग कठिनाइयां आपको बताऊंगा कि विद्यार्थियों को क्या कठिनाइयां हैं। धौलपुर में पहले जब वहां हाई स्कूल था और जब तक उसका राजस्थान युनिवर्सिटी से सम्बन्ध नही था, और अजमेर बोर्ड से था तो उसका और उत्तर प्रदेश बोर्ड का स्टेन्डर्ड करीब-करीब एक सा था। तो आगरा युनिवर्सिटी में आराम से उनको एडमिशन मिल जाया करता था। जहां तक धौलपुर सर्विस के लोग हैं मैं समझता हूं कि वहां हंडेरड पर्सेन्ट आगरा युनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। लेकिन जब राजस्थान युनिवर्सिटी बनी और राजस्थान युनिवर्सिटी से उसका सम्बन्ध हुआ तो आज भी करीब १५० विद्यार्थी धौलपुर से आगरा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब से आपने हायर सेकेन्डरी एज्युकेशन देना शुरू किया तो ३५ विद्यार्थी भरतपुर के अन्दर हैं। उनकी स्थिति क्या है ? उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं उनसे मिला हूं तो वे बड़े परेशान थे। होस्टल की कोई व्यवस्था नहीं है, मकान किराये पर नहीं मिलते हैं, और भरतपुर एक ऐसी जगह है जहां मलेरिया का पूरा प्रकोप रहता है। धौलपुर एक बहुत स्वच्छ जगह है। वहां का वायुमंडल बड़ा शुद्ध है। धौलपुर का आदमी, धौलपुर को पैदायश का बच्चा, शायद दूसरी जगह इतना स्वच्छ नही रह सकता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह तो आपके शरीर से ही मालूम होता है।

(हंसी)

डॉ॰ बहादुरसिंह : मैं तो एक नमूना हूँ वहां का।

जयपुर में जब हम आते हैं तो काफी परेशानी कम से कम मैं तो अपने को ऐसा फील करता हूँ। मैं खुद यह बात महसूस करता हूं कि भरतपुर में जब विद्यार्थी हायर-सेकेन्डरी पास करने के बाद जाते हैं तो बहुत बड़ी कठिनाई उनको होस्टल की पड़ती है। दूसरी कठिनाई यह है कि अगर होस्टल वगैरह में जगह नहीं मिले तो कमरे नहीं हैं। लेकिन यदि शिक्षा मन्त्री जी विशेष कृपा

(डॉ० बहादुरसिंह)

करें तो वहां पर एक कॉलेज स्थापित हो सकता है और वह कॉलेज मैं समझता हूं कि वहां पर उनका जो केल्क्युलेशन है और उनके द्वारा एक बुकलेट निकला था शिक्षा विभाग की तरफ से कि राजस्थान में शिक्षा पर व्यय अधिक है, लेकिन शिक्षा का लाभ कम है, यह बड़ी खटकने की चीज है कि आप जिस पर्सेन्टेज में खर्च करते हैं, उस पर्सेन्टेज में शिक्षा लोग ग्रहण नहीं करते हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहां यह चीज़ नहीं होगी। जिस पर्सेन्टेज से आप खर्च करेंगे उससे अधिक पर्सेन्टेज से लोग उसका लाभ लेगें। जहां तक भवन का प्रश्न है तो वहां पर आपकी एक बिल्डिंग है वह कहलाती है "तिवारी बाग"। तिवारी बाग एक अच्छा महल है। उस स्थान में एस. टी. सी. स्कूल चल रहा है और आपने उसको "तिवारी-बाग" से तालाब की साइड पर ट्रान्सफर करने की आज्ञा दे दी है। २० हजार उस बिल्डिंग के लिए, सुधार के लिए स्वीकार किये हैं, तो तिवारी बाग की बिल्डिंग जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है, उसमें आपका कॉलेज बहुत अच्छी तरह से चल सकता है और सिर्फ जरूरत इसी बात की है तो वह इस बात की है कि आपको कुछ प्रोफेसर रखने पड़ेंगे।

होस्टल की जहां तक का सवाल है मैं समझता हूँ भरतपुर के विद्यार्थी भी चाहेंगे कि धौलपुर में शिक्षा ग्रहण करें। कम से कम मलेरिया का सामना तो उनको नहीं करना पड़ेगा।

इसी प्रकार से भरतपुर के विद्यार्थी मुझे जयपुर में मिले थे तो उनकी यह मांग थी कि हमें लॉ क्लास की जरूरत है। करीब ६० विद्यार्थी धौलपुर और भरतपुर के आजकल जयपुर में हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : It is just like a persuation and not in the form of a debate.

डॉ० बहादुरसिंह : कॉलेज के लिए कट मोशन है और कॉलेज में लॉ और एम. ए. की क्लासेज खोली जाती हैं। इस तरह के धौलपुर के विद्यार्थी ६० हैं उनको बड़ी परेशानी यहां होस्टल की है। मगर थोड़ी सी और व्यवस्था की जाय तो मैं समझता हूँ कि लॉ क्लासेज भरतपुर में जो कॉलेज है उसमें स्थापित की जा सकती हैं। एम. ए. क्लासेज भी हो सकती हैं। तो माननीय मुख्य मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री भी हैं और सहृदय भी है उनसे मैं धौलपुर की तरफ से यह मांग करूंगा कि कॉलेज धौलपुर के लिये अत्यन्त आवश्यक है और बिल्डिंग की दृष्टि से भी जो कि उनकी हमेशा डिमान्ड रहती है तो "तिवारी बाग" बिल्डिंग सबसे ज्यादा उपयुक्त बिल्डिंग है कालेज के लिए जो कि शहर से बाहर है, सुन्दर जगह है, स्टेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी सब कम्प्लीट है उसमें वह स्थापित कर सकते हैं। मैं उसके बाद आशा करता हूँ कि वे इसका ध्यान रखेंगे।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि कोटपुतली से कहीं ७०, ८० मील के आस पास उच्चतम शिक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है, इसके लिए प्रबन्ध होना चाहिए।

मेरा यह प्रस्ताव केवल इसी खास बात को लेते हुए है। वह खास बात क्या है? वह यह है कि इस ७०, ८० मील के एरिया में

(श्री रामकरणसिंह)

कोटपुतली के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण केवल अलवर और जयपुर दो जगह ऐसी हैं जिनमें इतने बड़े एरिया के रहने वाले वह चाहें अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे वे पैसा खर्च कर सकते हैं, वह पढ़ना चाहते हैं, तो उनको इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह आना पड़ता है। अगर किसी खास कारण से इन दोनों जगहों में उन्हें दाखला नहीं मिलता है, प्रवेश नहीं मिलता है तो उन्हें निराश होकर घर बैठ जाना पड़ता है। यह चीज इतने बड़े एरिया के लिए और खास कर इस एरिया में करीब ६,७ तहसीलें हैं और इन ६,७ तहसीलों में वहां इने गिने अंगुलियों पर जिन्हें गिना जा सकता है वह धनीमानी व्यक्ति हैं। वे धनीमानी व्यक्ति जिनके होने से इस एरिया में शायद किसी प्रकार से यहां कॉलेज चालू रखने का विचार रखें, तो काफी रुपया फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग के लिए, व अन्य प्रकार से लाखों की गिनती में दिया जा सकता है, और ऐसी हालत में यह आवश्यक हो जाता है कि आज हम जगह-जगह काफी तादाद में प्राईमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल व हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल रहे हैं। इस एरिया में करीब २० हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं। वे २० स्कूल कोटपुतली से २०, २२ या अधिक से अधिक २३ मील की दूरी पर पड़ते हैं सब के सब इतनी दूर और इतने पास की तहसील में हैं। इन हाई स्कूलों में ९वी और १०वीं क्लास में पास होने वाले हर वर्ष करीब १५०० या २००० विद्यार्थियों के लिए उच्चतम शिक्षा के लिए, किसी प्रकार का प्रबन्ध यदि वहां हो सके तो कितना उत्तम हो सकता है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं।

इसके लिए यह बात मैं कोटपुतली तहसील के लिए अर्ज करूंगा कि जब यहां पर मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल नहीं था, केवल मिडिल स्कूल तक ही लड़के पढ़ कर रह जाते हैं अब हाई स्कूल होने से क्या होता है कि १०वीं पास कर लेते हैं। उसके बाद में आमतौर से काश्तकार वर्ग के जो हैं वे अपने घरों में ठण्डी ताजा हवा में अपने माता-पिता के साथ खेती व पशुपालन में सहायता देते हुए सुबह-शाम स्कूल में आ जाते हैं और १०वीं पास कर लेते हैं। उनकी यह हालत नहीं रहती है कि अलवर या जयपुर जाकर कालेज में अपना आगे का अध्ययन कर सकते हैं, ऐसी हालत में यदि कोटपुतली जैसे स्थान में, जहां गवर्नमेन्ट में धनीमानी व्यक्तियों के द्वारा बिल्डिंग, व फर्नीचर व अन्य आवश्यकता की चीजें जो गवर्नमेन्ट को उचित लगें वह यदि मिल जायें तो मेरी ऐसी प्रार्थना है कि गवर्नमेन्ट को चाहिये कि उन काश्तकारों को जो अपने विद्या प्रेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और घर वालों को काम में सहयोग देते रह कर अध्ययन करना चाहते हैं, इस हालत में उनकी जरूर मदद करें। और मुझे विश्वास भी है कि उनको मदद दी जायगी, माननीय मुख्य मन्त्री हमेशा यह इच्छा रखते हैं कि जो पैसा आज खर्च हो उसका रिटर्न अधिक से अधिक मिले। इन चीजों को देखते हुए भी हमारे एरिया में करीब २०, २५ या ३० मील की दूरी पर ये २० हाई स्कूल्स हैं उनमें से डेढ़ दो हजार स्टूडेन्ट्स निकलते हैं और वे लोग अलवर, जयपुर या अन्य स्थानों पर दूर-दूर तक पढ़ने के लिये जाते हैं उनको वहीं पर पढ़ने की सुविधा देंगे और उनके हृदय में उच्च शिक्षा के लिये जो इच्छा उत्पन्न हुई है वह पूरी हो सके। इस हिस्से में थोड़ी कमी आई है, वह भी

(श्री रामकरणसिंह)

राजस्थान का हिस्सा होने के नाते वहां का स्टेन्डर्ड हर प्रकार से मेन्टेन किया जा सके इन विचारों पर अवश्य ध्यान देंगे ।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४७ पर मेरा कटौती प्रस्ताव है प्राथमिक शालाओं में अव्यवस्था के सम्बन्ध में । उपाध्यक्ष महोदय, आज़ादी के बाद शिक्षा क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है । हमारा लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का है, शिक्षा की व्यवस्था में हम आगे चल कर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं । लेकिन जब आजकी व्यवस्था को देखते हुए तो इस लक्ष्य से हम अपने आपको बहुत दूर पाते हैं । वास्तव में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हम अपने आपको समझते हैं तो शिक्षा की ओर हमें अधिक ध्यान देना होगा, शिक्षा की व्यापकता की ओर बहुत अधिक ध्यान देना होगा । आज हम राजस्थान की शिक्षा के सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि राजस्थान वास्तव में इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, यहां पर बहुत कम पर्सेन्टेज़ में लोग पढ़े हुए हैं । अशिक्षा वास्तव में हमारे प्रान्त के लिये कलंक है । जिसे हमें शीघ्रातिशीघ्र दूर करना होगा । यद्यपि शहरों में शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ है और वहां की जनता ने महसूस किया है कि पढ़ना, लिखना चाहिए । और शहरों में हर प्रकार की सुविधाएं भी होती हैं लेकिन गांवों में अभी बिल्कुल अंधेरा है । वैसे गांव ही संस्कृति के केन्द्र रहे हैं और देश में होने वाले महापुरुषों में से अधिकांश महापुरुष गांवों में ही हुए हैं । वास्तव में भारतीय संस्कृति के केन्द्र, गांव ही हैं । लेकिन अभी गांवों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि सरकार ने इस ओर थोड़ा कदम उठाया है और गांवों में कई प्राथमिक-शालाएं खोली हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी प्राथमिक शालाएं जो खुली हैं । लेकिन सोचने का विषय है कि आज सरकार और शिक्षा विभाग का काम केवल प्राथमिक शालाएं खोलने का ही नहीं है लेकिन व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार कोई विचार नहीं करती है । अभी अभी कोटा जिले में कई जगह प्राथमिक शालाएं खोली गई, लेकिन वहां पर दो, तीन महीनों तक अध्यापकों की कोई व्यवस्था नहीं हुई । लड़के स्कूलों में जाकर वैसे ही बैठ जाते हैं और घर चले आते हैं । कई जगह स्थान का अभाव था, बैठने का स्थान नहीं था । ७०,७५ लड़के एक जगह बैठ नहीं सकते थे, दो तीन स्थानों पर बैठना पड़ता था । एक जगह तो दो, तीन महीनों के बाद में अध्यापक पहुंचे हैं । इस प्रकार, कई अध्यापकों के परिवर्तन हुए, गांवों की स्कूलों में भेजे गये । लेकिन उच्च अधिकारियों की सिफारिश से ट्रान्सफर कैंसिल करवा दिये गये और परिणाम यह हुआ कि वे अध्यापक अभी तक कोटा में हैं और कार्यालय में हाजरी दे रहे हैं और गांवों की स्कूलों में स्थान रिक्त पड़े हैं । अभी अभी मेरे इलाके में एक गांव में एक स्कूल खुला है । मैं गांव गया तब मालूम हुआ कि वहां अब तक अध्यापक नहीं पहुंचा और उसका कारण यह मालूम हुआ कि वह अध्यापक कोटा जंक्शन का रहने वाला है, वह वहां पर इसलिये नहीं जाना चाहता कि गांव में उसकी तबियत नहीं लगती है । इस प्रकार के उदाहरण हैं । कई जगह प्राथमिक शालाओं को बेसिक

(श्री रामनारायण वर्मा)

स्कूलों में परिवर्तित किया गया, लेकिन वहां पर न तो सामान है और न अध्यापक ही हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर दुःख होता है। राष्ट्रीय संपत्ति और बालात्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में प्राथमिक शालाओं में अव्यवस्था है और ये सरकार के ध्यान में होंगी और जैसा मैंने निवेदन किया इस सम्बन्ध में सरकार पूरा ध्यान देकर जो कमियां हैं उन्हें दूर करेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में इस मांग के सम्बन्ध में मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। मैं समझता हूं इन चारों को सदन में पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे इन कटौती प्रस्तावों में कुछ शब्द टाइप न होने के कारण रह गये हैं। इसलिये मुझे इस कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ बातें कहने से रह जाने का डर है जिनमें से मुख्य तौर से फीस, अध्यापकों का अल्प वेतन व उनमें असंतोष तथा इसके कारण पढ़ने वालों पर विपरीत प्रभाव आदि ये कुछ शब्द कटौती प्रस्ताव में लिखे जाने से रह गये थे। मैं आशा करता हूं इनके बारे में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करेंगे।

मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने सेकिन्ड फाइव इयर प्लान का टार्गेट पूरा करने के लिये, एक सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड द्वारा सदन से इस बात का अधिकार प्राप्त कर रही है कि राजस्थान में कुछ नई प्राथमिक पाठशालाएं खोली जावें, कुछ प्राथमिक पाठशालाओं का स्तर ऊंचा किया जाय, कुछ कॉलेज खोले जायं और जितनी भी लेडी टीचर्स हैं उनके लिये ग्रामीण क्षेत्र में क्वार्टर्स या स्थायी मकान बनाये जायं, इन सब को लेकर राज्य सरकार ने इस प्रकार की मांग प्रस्तुत की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि राजस्थान में जो इस प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाई जाय। लेकिन जो हम कार्य करते जा रहे हैं, उसका हमें एक बार निष्पक्ष अवलोकन करना पड़ेगा। जो कुछ अब तक हमने किया है, उसमें यदि कुछ त्रुटियां रह गई हों तो उनको किस प्रकार से निकाला जाय। जहां तक प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में, और मिडिल स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में या अन्य इस प्रकार की स्कूलें हैं उनका स्तर ऊंचा करने से ग्रामीणों को ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा छात्र पढ़ने आयेंगे और शिक्षा का विस्तार अधिकाधिक होगा। इस प्रकार का दृष्टिकोण, यदि उनका स्तर ऊंचा करने में अपनाया जाय तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार भी मोटे रूप से इन सिद्धान्तों को स्वीकार करती है और उन पर अमल करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से इस प्रकार की कार्यवाही भी करती है। लेकिन अनुभव से ऐसा पता लगता है कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में जो सलाह देने का काम है, वह या तो शिक्षा विभाग का है या हो सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी बनी हुई हैं, उनका उनकी सिफारिश के आधार के ऊपर शिक्षा विभाग के प्रस्तावों के ऊपर राज्य सरकार इस प्रकार की कार्यवाही को अपने हाथ में लेती है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महो-

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

दय, मैंने एक बार पहले भी सदन में कहा था आज भी मैं उसी चीज को फिर दोहराऊंगा कि जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में, किसी प्रकार के किसी क्षेत्र में, इस प्रकार स्कूलों का स्तर ऊंचा करते हैं, वहां आवश्यकता है या नहीं इस फेक्ट के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि इसके स्थान पर जो एक गैप होता है उसको फिल-अप करने के लिए कुछ राजनैतिक कारण उसमें प्रवेश कर जाते हैं। यह बात आज मैं ही नहीं कहता, बल्कि राजस्थान के जितने भी विरोधी दल के सदस्य हैं वे इस बात को कह सकते है, उन्होंने इस बात को कहा भी है और कहते रहते भी हैं कि उनके क्षेत्रों का विकास नहीं होता। मैं अन्य बातों को छोड़ कर इस समय केवल शिक्षा का जिक्र करूं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि राज्य सरकार मैं स्टेटिस्टिक्स तैयार नहीं कर सकता, अपने विभाग के द्वारा वे आंकड़े तैयार करवा लें, जिन आंकड़ों से राज्य सरकार यह कह सके कि विरोधी दल के सदस्यों के क्षेत्रों के मुकाबले दूसरे लोगों के क्षेत्रों में ज्यादा काम नहीं हुआ है। बल्कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटीज में, जिनमें से एक का मैं भी एक सदस्य हूँ इस प्रकार की चर्चायें होती हैं, उसके आधार पर कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी मेम्बर्स हैं, उन मेम्बर्स के मस्तिष्क में एक फेक्ट निश्चित रूप से वर्क करता हैं, यह मनुष्य की वीकनेस है, इस कारण से केवल सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जाय, इसे मैं उचित नहीं समझता। लेकिन इस मनुष्य की कमजोरी के कारण कुछ क्षेत्रों का विकास न हो, तो यह जिम्मेदारी सरकार की है कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटीज में मेम्बर जब प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले उनके सामने एक बात आती है कि जिस गांव के अन्दर स्कूल खोलने का, जिस गांव के अन्दर स्कूल के स्तर को ऊंचा करने का, जिस गांव के अन्दर शिक्षा सम्बन्धी विकास कार्य करवाना है, वह गांव राजनैतिक दृष्टि से अपने अनुकूल है, या राजनैतिक दृष्टि से अपने विचार से प्रतिकूल है। मैं यदि कहूं कि केवल सतारूढ़ दल के सदस्यों की कमजोरी है तो यह ज्यादती होगी, मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि इस प्रकार की वीकनेस विरोधी दल के सदस्यों में भी है और इस दृष्टि से ज्यादा नुकसान उन क्षेत्रों का होता है, जिस क्षेत्र के अन्दर से विरोधी दल के सदस्य जीत कर चले गये। वे हमेशा इस बात की कोशिश करेंगे कि मेरी विचारधारा, राजनैतिक विचार धारा के प्रतिकूल जो क्षेत्र हैं, उनका किसी प्रकार विकास न हो। उसी प्रकार संतारूढ़ दल का व्यक्ति कहीं से जीत कर चला गया, तो वह कोशिश करता है कि मेरे विपरीत रहने वाले क्षेत्रों का किसी प्रकार का विकास न हो और इस मनोवैज्ञानिक कारण से राजस्थान के क्षेत्र को, जो राजनैतिक दल के विधान सभाई सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य हैं, उनकी विचारधारा के प्रतिकूल जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार की आलोचना नहीं करके सरकार के सामने सुझाव पेश करना चाहूंगा और आपके द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करूंगा कि ऐसे क्षेत्रों के अन्दर, जहां इस प्रकार की विचारधारा के कारण, विकास की सुविधायें नहीं दे सके हैं, हमारे शिक्षा विभाग को इतना एक्टिव होना चाहिए कि जिस समय भी डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटीज या इस प्रकार की अन्य कमेटी इन स्कूलों के बारे में निर्णय लें, इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की जानकारी शिक्षा विभाग दे। लेकिन जहां डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी होती है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं उनके सम्बन्ध में जिस प्रकार की जानकारी शिक्षा विभाग से मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है। और जानकारी नहीं मिल पाने के कारण, जानकारी के अभाव के कारण या राजनैतिक कारणों के आधार पर हम स्कूलों के बारे में निर्णय लेते हैं, इसमें थोड़ा सा शिक्षा विभाग एक्टिव हो जाय और सरकार एक क्राइटेरिया फिक्स कर लें कि किस जगह स्कूल की कमी है, किस एरिया में स्कूल की कमी है, किस स्कूल में छात्रों की संख्या ज्यादा है, किस स्कूल के स्तर को ऊंचा करना है इसके बारे मैं सरकार एक क्राइटेरिया मजबूती के साथ फिक्स करे तो मैं समझता हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी उसके विपरीत सुझाव दे, शिक्षा विभाग उसके विपरीत सुझाव दे तो सरकार उन बातों को स्वीकार नहीं करे। मैं यह मान कर चल सकता हूँ उस क्राइटेरिया के आधार पर हर क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी जो विकास होना चाहिए, जो विकास अपेक्षित होता है, उस प्रकार का विकास होगा। लेकिन सरकार निश्चित रूप से कहेगी कि हमने भी क्राइटेरिया फिक्स-अप कर रखा है, लेकिन कई प्रकार के उदाहरण ऐसे आते हैं, उन उदाहरणों की कमी नहीं है जहां पर जिस क्षेत्र के अन्दर स्कूल खोला है, उस स्कूल को खोलने के बारे में निर्णय लिया जाता है, वहां ऐसे स्कूल होते हैं, जिनके बारे में हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने एक पक्षीय निर्णय लिया हो। सरकार ने एक क्राइटेरिया फिक्स अप कर रखा है कि छात्रों की संख्या इतनी होनी चाहिए उस एरिया में बाकी की सुविधायें इतनी होनी चाहिए, भवन के सम्बन्ध में इस प्रकार का काम होना चाहिए, यह जो क्राइटेरिया फिक्स-अप कर रखा है, इस क्राइटेरिया के अनुसार कई स्कूलों में कमी होते हुए भी सरकार ने निर्णय किया है कि अमुक स्थान पर स्कूल खोल दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो क्राइटेरिया फिक्स-अप कर रखा है, उस पर सख्ती से अमल करें और उसमें जो कमियां ध्यान में आयें, उनको दूर करने के बारे में सरकार सख्त होकर नियम बना दे, और उन नियमों का उलंघन न हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में काफी सदस्यों ने जिक्र किया है, इसलिए इस पर मैं ज्यादा न कह कर आगे मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनके बारे में जिक्र करूंगा। राज्य सरकार ने इस बात की कोशिश की है और नये प्राइमरी स्कूल खोल कर, इस बात की ओर पग उठाया है कि राजस्थान में जितने शिक्षित बेकार हैं, उनको धन्धा दिया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षित बेकारी की बात को दूर करने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वह किसी प्रकार से ऐसा प्रयास नहीं है जिसकी आलोचना की जाय। लेकिन क्या सरकार जो प्रयास कर रही है, वह शिक्षित बेकारी के अनुपात के अन्दर जो धन्धा मिलना चाहिए, उस अनुपात के अनुरूप है? जहां तक शिक्षा विभाग द्वारा हम इस अनुपात को कम कर सकते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा हम बेकारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि राज्य सरकार इसमें पिछड़ी हुई है। आज कोई नहीं कह सकता कि राजस्थान के हर क्षेत्र में शिक्षा की सुविधायें हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र ऐसे अधिकांश पड़े हैं, जिनमें केवल इसलिए कि वहां कोई पाठशाला नहीं है, वहां शिक्षा की

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

सुविधायें नहीं हैं । इस तरह की बात कहीं देखें कि बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, वे बच्चे अनपढ़े रह रहे हैं, वहां सरकार को चाहिए कि सरकार इस सम्बन्ध के अन्दर उन मोटे मोटे आडम्बरों की आड़ न लेकर, खर्चे की बात न करके सरकार ऐसा निर्णय ले कि सिंगल टीचर प्राइमरी स्कूल, जिस गांव में नहीं है, जहां पढ़ने वाले छात्र हैं, वहां ऐसे स्कूल की व्यवस्था करें । यह हो सकता है कि वहां भवन न हो, लेकिन प्रश्न भवन का नहीं है, बाकी चीजों का प्रश्न नहीं है, प्रश्न लोगों को शिक्षित करने का है । इस प्रश्न को लेकर आज सरकार भवन आदि की बात को छोड़े और मकानों के सम्बन्ध में जो खर्चा होता है, उस खर्चे में से एक मोटी कटौती करके जो रकम बचे उस बची हुई रकम के आधार पर यदि इस प्रकार के सिंगल टीचर स्कूल हर गांव के अन्दर चालू कर दे, उनका जाल बिछा दे, तो दो बातें निश्चित रूप से होंगी; एक तो शिक्षित बेकारी दूर होगी और जो लोग अशिक्षित रहते हैं, शिक्षकों के अभाव में, वे लोग किसी प्रकार भी अशिक्षित नहीं रहेंगे । सेकिंड फाइव इयर प्लान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अन्दर शिक्षा के सम्बन्ध में पॉलिसी निर्धारित कर रखी है, उसको भी पूरा कर सकेंगी । अब हमको करना क्या है, माननीय उपाध्यक्ष, शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवानी हैं बाहर गांवों में स्कूल भवन बनवाते हैं, गांवों से चन्दा इकट्ठा करते हैं, हजारों रुपया खर्च किया जाता है, सरकार सहायता देती है । आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे चाहें एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ें, चाहे एक टूटे छप्पर के नीचे बैठ कर पढ़े, धूप में या छांह में बैठकर पढ़ें लेकिन शिक्षा की व्यवस्था करें । सरकार ने एक दृष्टिकोण अपना रखा है कि भवन नहीं बनेगा तो स्कूल नहीं बनेगा और न शिक्षा सम्बन्धी सुविधा प्रदान की जायेगी । मैं चाहूँगा कि सरकार इस दृष्टिकोण के अन्दर एक रेडीकल चेंज करे और मेटिरियल पॉइन्ट के, मेटिरियलिज्म के आधार पर बनी बड़ी बड़ी चीजों पर जो सरकार की ओर से ज्यादा खर्च होता है, उसमें कमी करके, बजट प्रोविजन करके जो सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज है, उसके ऊपर ज्यादा खर्च करे । आज जयपुर के अन्दर एक जबरदस्त बिल्डिंग बन रही है । मैं उसका उदाहरण के रूप में विरोध कर रहा हूँ । आज जो लाखों रुपये का खर्चा उस पर होगा, उस लाखों रुपयों के खर्चे में सरकार एक जगह नहीं पचासों जगह प्राइमरी स्कूल खोल कर सुविधा के लिये एक एक अध्यापक को लगा दे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जबरदस्त प्रचार होगा । मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार इस तरह का परिवर्तन अपनी शिक्षा पॉलिसी में करे, जिससे लोगों को शिक्षा मिले । प्रश्न यह आता है कि सारी शिक्षा का आधार, बार बार यह कहने को कहते हैं कि देश की भावी पीढ़ियां हैं, उनका निर्माण करने वाले अध्यापक हैं, अध्यापकों द्वारा उन लोगों का निर्माण कराना चाहते हैं जो हमारे देश के भविष्य का निर्माण करेंगे । यदि मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि राजस्थान में जो अध्यापक वर्ग है, उसमें भी सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स हैं उनके अन्दर शिक्षक वर्ग का वेतन स्तर इतनी नीचे की श्रेणी का है कि उनकी दशा इतनी दयनीय बनती जा रही है कि आज शिक्षक समाज यह महसूस करने लगा है कि जो वे लोग शिक्षा दे रहे

Page No.51

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, वे शिक्षा देने के दृष्टिकोण से शिक्षा विभाग में नहीं हैं बल्कि इसलिये शिक्षा विभाग में हैं, कि उनको कोई दूसरा धन्धा नहीं मिला और जब तक कि कोई दूसरा धंधा नहीं मिले तब तक उन्हें शिक्षा विभाग में रहना है। आर. ए. एस. और आइ. ए. एस में आने वाले जो नये व्यक्ति हैं, उनके जीवन के बारे में अगर हम जरा भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें पता चलेगा कि कई स्कूल टीचर्स थे, कई प्रोफेसर्स थे, कई लेक्चरार्स थे। जो आज इस तरह के व्यक्ति एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I would be failing in my duty if I don't make a distinction in between a discussion on the Cut Motion or on any other. It is desirable that the discussion over the cut motions be not turned into a discussion on the matters of general policy.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, यह कहने पर कि मैंने जो अध्यापकों के सम्बन्ध में कठिनाई बताई, वह कोई इस प्रकार की बात नहीं जो इन कट मोशन्स से कवर नहीं होती हो। सरकार अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है। नियुक्ति करने के सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है, उस नीति के बारे में इस सदन में इस कट मोशन के द्वारा चर्चा की जा सकती है और इसलिये ही मजबूर होकर अध्यापक वर्ग की ओर सरकार का ध्यान इस कट मोशन से आकर्षित किया है। यह और बात है कि मैंने जिस प्रकार के उदाहरण दिये हैं, माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान के अन्दर लागू न हों, पर मैंने मोटे रूप में कहा था कि हमें इस सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा कि यहां शिक्षक वर्ग के द्वारा हम किस प्रकार से शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। हमें सबसे पहले इस बात की आवश्यकता को महसूस करना पड़ेगा कि एक ज शिक्षक है, उसको पेट भर खाने के लिये सुविधा प्रदान करते हैं कि नहीं। यह सही है कि राजस्थान सरकार ने दो बार राजस्थान के शिक्षकों का वेतन स्तर ऊंचा किया है और इस बात का भी प्रयत्न किया है कि जिन लोगों का वेतन स्तर ऊंचा हुआ उनको जल्दी से जल्दी उस ऊंचे स्तर में तनख्वाह मिल जाय। पर प्रश्न यह है कि जो वेतन स्तर ऊंचा किया उससे राजस्थान के अधिकांश अध्यापक लाभान्वित हुए हैं या इससे राजस्थान के अध्यापकों के सामने जो आर्थिक कठिनाई थी, वह दूर हुई है। मैं समझता हूँ इस सम्बन्ध में मैं कहूं या राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहें, इससे अच्छा यह होता कि राजस्थान के शिक्षकों की रोजमर्रा की दिक्कतों, उनकी आर्थिक कठिनाइयों, उनकी तनख्वाहों और वेतन स्तर को एग्जामिन करने के लिये, राजस्थान के फाइनेन्शियल रिसोर्सेज को देख कर उनकी इन दिक्कतों को दूर करने के लिये इस बारे में जांच करने के लिये, जांच आयोग बैठाया जाता और वह आयोग राजस्थान सरकार के सामने इस प्रकार का सुझाव पेश करता कि इस तरह राजस्थान के शिक्षक वर्ग की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। आज मैं कहता हूँ कि राजस्थान के शिक्षक वर्ग की कठिनाइयां दूर होनी चाहियें। तो मुझे डर है कि जो कठिनाइयां उनके सामने आई हैं उनके कारण से शिक्षा का स्तर नीचा गिर रहा है, यह कहूं तो अच्छा न लगेगा पर आज स्थिति और खराब है। आज से १०वर्ष पहले सौगंध खाकर कह सकते थे कि शिक्षा विभाग में न रिश्वतखोरी थी और न किसी प्रकार का

Page No.52

(श्री भैरोंसिंह)

भ्रष्टाचार था । पर इसके विपरीत आज इस बात की सौगंध खाई जा सकती है कि राजस्थान के अधिकांश शिक्षा केन्द्रों में यह हाल है, अधिकांश शिक्षालय ऐसे हैं जहां रिश्वतखोरी चलती है । मुझे ऐसी बात कहने में भय भी होता है और संकोच भी होता है कि जब लड़कों के इम्तिहान होते हैं तो हालांकि सरकार ने नियम बना रखें हैं कि स्कूलों के अध्यापक, कॉलेजों के लेक्चरार्स दो से ज्यादा ट्यूशन्स नहीं कर सकते, पर चूंकि उनको तनख्वाहें कम मिलती हैं, जो तनख्वाह उनको मिलती हैं उससे उनकी आर्थिक कठिनाइयां दूर नहीं होतीं, इसलिये एक एक अध्यापक, एक एक प्रोफेसर व लेक्चरर बीस, बीस ट्यूशन्स इम्तिहान के दिनों में करते हैं और यह शहरों की बीमारी गांवों में भी फैल गई है । किसी सिंगल टीचर स्कूल को लें, प्राइमरी स्कूल को लें, मिडिल स्कूल को लें हाई स्कूल को लें, एक एक अध्यापक के पास पन्द्रह, पन्द्रह, बीस, बीस, ट्यूशन्स मिलेंगे, वे भी लम्बे समय के नहीं, इम्तिहानों के एक महीने पहले या दो महीने पहले से लेते हैं और हम देखते हैं कि जो लड़का बिल्कुल कमजोर होता है वह दो महीने में ही फर्स्ट या सेकिन्ड निकलता है, क्योंकि स्कूलों के टीचर्स हैं वे आपस में बैठ कर विचार करते हैं कि तुम मेरे लड़कों को पास कर देना मैं तुम्हारे लड़कों को पास कर दूंगा । एक के पास कॉमर्स होती है, दूसरे मास्टर के पास हिस्ट्री होती है, तीसरे के पास साइन्स होती है तो वे आपस में एक दूसरे के छात्रों को पास कर देते हैं, एक दूसरे के विद्यार्थियों को पास कर देते हैं तो दूसरा पहले के विद्यार्थियों को पास कर देता है। इसके बारे में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, माननीय मुख्य मंत्री किसी कॉलेज को लें, किसी हाई स्कूल को लें, जिसको वे पसंद करें, किसी एक को लें लें, उसके आंकड़े बता सकता हूँ कि किस किस अध्यापक ने, किस किस लेक्चरार ने कानून के विरुद्ध कितने कितने ट्यूशन्स किये हैं । इसी ट्यूशन्स के कारण आज एक ओर तो शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है और दूसरी ओर जो लड़कों के ऊपर पड़ने की जिम्मेदारी शायद होती है, वह कम हो रही है, लड़के सोल्वड नोट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं । कॉलेज के लेक्चरार पढ़ाने में विश्वास नहीं करते, लड़कों के पीरियड में नोट्स तैयार करते हैं, बुकसेलर्स को वे नोट्स दे कर नोट्स को किताबें तैयार कराते हैं और लड़कों को उन नोट्स को खरीदने के लिये मजबूर करते हैं । जिन नोट्स को पढ़कर वे पास होते हैं । इससे शिक्षा के स्तर में अभिवृद्धि नहीं होती ।

राजस्थान सरकार ने एज्युकेशन कोड बनाया, उसके द्वारा व्यवस्था हुई कि एन्युअल एग्जामिनेशन्स की व्यवस्था बन्द करके, मंथली एग्जामिनेशन्स के मार्क्स जोड़े जायं, जिससे जो आज अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है वह भी मिट जायगी और नोट्स रट रट कर पास होने की मनोवृत्ति भी दूर हो जायगी, जो आज लगातार बढ़ रही है । सोल्वड नोट्स ढूंढने की मनोवृत्ति बन रही है वह मिट जायगी । एक महीने में ट्यूशन करके लड़के पास कर दिये जाते हैं । हालांकि राजस्थान सरकार ने आदेश दिये हैं कि एन्युअल एग्जामिनेशन्स के स्थान पर मंथली टेस्ट लेने की व्यवस्था रखी जाय पर इस प्रकार की व्यवस्था आज किसी भी स्कूल में नहीं है । एग्जामिनेशन्स की पहले वाली ही व्यवस्था चल रही है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस कोड के द्वारा जो करना चाहती है वह फौरन से लागू करे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक

Page No.53

(श्री भैरोंसिंह)

कट मोशन इस बारे में भी पेश किया है, कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में नियम नहीं हैं वे नियम होने चाहिये जो नियम हैं, वे प्रभावशील नहीं हैं मैं इस नियम और खरीद-फरोख्त के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की खरीद-फरोख्त का एक मोटा प्रकरण तैयार हुआ है। राजस्थान की जन लेखा समिति ने सन् १९५४-५५ से अपनी रिपोर्ट में बराबर इसका उल्लेख किया है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में खरीद फरोख्त में बहुत गड़बड़ियां होती हैं। इस संबन्ध में डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के सम्बन्ध में कई प्रकार की आलोचनाएं की हैं। ५७-५८ में तो पब्लिक एकाउन्टेन्स कमेटी ने यहां तक अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि डिपार्टमेंट के अधिकारी कमेटी को इन्फोर्मेशन सबमिट करने में ही फेलियोर नहीं रहे बल्कि कमेटी ने तो यहां तक उनके बीहेवियर के बारे में भी लिखा है जो पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की तरफ से रिपोर्ट में दिये गये हैं। सन् १९५६ में लाइब्रेरी की किताबें खरीदी गई और उसमें काफी गड़बड़ी और घोटाला हुआ। टेन्डर्स इन्वाइट करने में गड़बड़ियां हुई। पेमेन्ट देने में बड़ी बड़बड़ियें हुई। पुस्तकों के टेन्डर्स आने के बाद किताबों की लिस्ट बनी। किताबों पर जो मूल्य लिखा था उससे ज्यादा मूल्य दिया गया। मैं इस सम्बन्ध में आज ही इस बात को राजस्थान की विधान सभा में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले भी प्रश्नों के द्वारा और भाषणों के द्वारा जानकारी कराई है और मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि हमारी राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी।

पिछली विधान सभा में मैंने जयपुर डिविजन में ब्लैक बोर्ड और फर्नीचर आदि स्कूल के खरीद के सम्बन्ध में व अन्य सामग्री के संबन्ध में एक बार नहीं, राज्य सरकार को कई बार निवेदन किया और राज्य सरकार के सामने रखा। मुझे इस बात का अफसोस है कि न तो सरकार ने गड़बड़ियों की जांच की और न उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की थी कोई कार्यवाही की। न भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो उसके बारे ही में कोई कार्यवाही की।

इसी प्रकार जीप और लाइब्रेरी बुक्स के बारे में और न जय अम्बे प्रकाशन के बारे में, पुस्तकें खरीदीं उसके बारे में कार्यवाही की गई। हालांकि उसके सम्बंध में कई प्रकार की चर्चाएं हुई और मुझे इस बारे में एक बात कहनी पड़ती है कि जब मैंने आश्वासन समिति की रिपोर्ट देखी और उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि कई बार पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में और छपाई के बारे में गड़बड़ियों के बारे में राज्य सरकार से निवेदन किया गया और राज्य-सरकार ने आश्वासन दिया था, मगर कोई कार्यवाही नहीं की। आश्वासन समिति ने ५७-५८ रिपोर्ट पेश की है। उसमें मैं यदि इसको ज्यादा में कहूं तो काफी समय लगेगा। मैं यह कहूंगा कि आश्वासन कमेटी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, राष्ट्रीय पुस्तकों के संबन्ध में जांच करके दोषी अधिकारियों को दंड देने का कहा था लेकिन अभी तक उस आश्वासन को भी पूरा नहीं कर सके। तो ऐसा लगता है कि सरकार के सामने खरीद फरोख्त के बारे में कितनी ही बातें कहीं और वे पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के सामने डिक्टेट हो चुकी हैं। मगर सरकार इस सम्बन्ध में सोई हुई है और कुछ नहीं कर

(श्री भैरोंसिंह)

रही है। इससे मुझे यही कहना चाहिये कि सरकार कुछ ऑफिसरों को इस मामले में प्रोटेक्ट करती है। जब डिप्टी डाइरेक्टर पर इस प्रकार का इलजाम है और उसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो इसका प्रभाव इन्पेसक्टर और अध्यापकों पर भी पड़ता है। इससे उनको यही नसीहत मिलती है कि जब हमारे डिप्टी डाइरेक्टर इस प्रकार करते हैं और खरीद फरोख्त में गड़बड़ी कर सकते हैं और उसका कोई ऑब्जेक्शन सरकार नहीं ले सकती तो हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। इससे हमारा स्तर खराब होता है। अभी अभी जयपुर वेस्ट में गेम्स का सामान खरीदा गया। एक हैड मास्टरों की कमेटी उस सामान को खरीदने के लिये बनाई गई। एक फर्म से फुटबॉल आये। एक से ५ नम्बर तक। ये पांचों नमूने कमेटी के सामने रखे गये। उसमें फर्म के नाम नहीं थे। वह नाम फर्म का उसमें इसलिये नहीं रखा गया कि कोई किसी का पक्ष न ले सके। इस पक्षपात से बचाने के लिये उसके नम्बर लगाये गये। लेकिन हुआ क्या, कि उस कमेटी के अधिकारियों के पास लिस्ट गई और उसमें फुटबॉल नम्बर १ से ५ तक की कीमतें और किस्में दिये हुए थे और उनका मेक दिया गया था। उस कमेटी के सदस्यों ने अच्छी पसन्द करके उस लिस्ट पर टिक लगा दिये। उनको जो जरूरी सामान अच्छा लगा और कम और कम कीमत का था उस पर उन्होंने टिक मार्क लगा दिये और नीचे की कमेटी के सदस्यों ने अपने सिगनेचर कर कर दिये। मगर यह मामला फाइनल एप्रूवल के लिये इन्स्पेक्टर के पास गया क्योंकि यह फाइनल एप्रूवल उन्हीं के पास से होता है। उसमें क्या हुआ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन टिक मार्कों को इन्सपेक्टर ने रबड़ से मिटा कर जिस फर्म का पक्ष लेना था उसके आगे टिक लगा दिया और दूसरे स्थानों पर निशान लगे थे उनको रबर से साफ कर दिया जिसको कमेटी के अधिकारियों ने लगाये थे। जब इन्सपेक्टर इस प्रकार की गल्ती करता है, और डिप्टी डाइरेक्टर गल्तियां करता है वहां जांच नहीं है। तो नीचे के कर्मचारी यह सोचते हैं कि ऊपर के कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी। जब ऊपर–वाले ही भ्रष्टाचारी हैं तो नीचे के भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते।

इतना होने के बावजूद भी सरकार कोई नियम नहीं बना सकी। इसलिये यह कहा जावेगा माननीय मंत्री महोदय की तरफ से कि सरकार की यह नीति है और सरकार इस संबंध में व्यवस्था करना चाहती है। लेकिन जो अधिकारी हैं वे इस खरीद फरोख्त को लेकर गड़बड़ करते हैं, इसमें रोड़े अटकाते होंगे। मैं इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में नियम बनावें।

अब, माननीय उपाध्यक्ष, प्रश्न आता है फीस का...

श्री उपाध्यक्ष : I may enlighten the Hon'ble member that as your cut motion has included so many matters, this particular matter has been excluded. Your cut motion about this is not relevent here.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध का कट मोशन दिया था और भाषण प्रारंभ करने से पूर्व ही मैंने यह निवेदन किया था कि यह कट मोशन किसी तरह से टाइपिंग मिस्टेक से रहा है और मुझे इसको मूव करने की इजाजत दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में अपने ऑफिस से पता चला लिया है। रूल १६५ के अनुसार एक ही विषय कट मोशन में दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कट मोशन के अन्य अंग को स्वीकार नहीं किया गया, अतः आप उसी सीमा में चलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव या अन्य किस्म का प्रस्ताव सचिवालय में दे तो सचिवालय को कोई अधिकार नहीं है कि वह बिना सदस्य की अनुमति के कोई अमेन्डमेंट करे। मुझे इस बात का ख्याल है कि मैंने कल कहा था कि यदि आप अलग से कट मोशन की आवश्यकता समझते हैं तो मैं अलग से लिख कर देने को तैयार हूं। उस समय मुझे बताया गया कि कोई आवश्यकता नहीं है उनको इस सम्बन्ध में Confirm कर लिया जावे। ऐसी पोजिशन में मैं यह चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : यदि सचिवालय भी नहीं करता तो भी मैं रूल १६५ के अन्तर्गत इस स्टेज पर एडमिट नहीं करता।

It is very clear. It will relate to one demand. I would have even at this stage disallowed this.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरी डिमान्ड है स्कूलों के खोलने की। मैं यह कहता हूं कि स्कूलों के अन्दर फीस ज्यादा ली जाती है और फीस का प्रकरण इस प्रकार का है कि जिसको हम स्कूल से अलग नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : I still stick to my observations on this point.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी खरीद फरोख्त के मामले में सदन के सामने कुछ बातें निवेदन कर रहा था और उस खरीद फरोख्त के मामले में ...

(फरोख्त का मामला कहां आ गया ऐसी आवाज)

श्री भैरोंसिंह : सॉरी। खरीद के मामले में, यदि आप चाहें तो शिक्षा विभाग द्वारा जो चीजें फरोख्त होती हैं उनके सम्बन्ध में भी कुछ बातें मुलाहिजा करा दूँ।

श्री उपाध्यक्ष : खरीद फरोख्त का तो मामला समाप्त हो गया था और फीस पर आ गये थे आप।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खरीद फरोख्त के बाद फीस आयगी।

श्री उपाध्यक्ष : फीस न आ पायी इसलिए संभवतः खरीद फरोख्त पर आना जरूरी हो गया था।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी पर्चेजेज के सम्बन्ध में रूल्स बनाने के लिए निवेदन कर रहा था। मैंने यह कहा कि मुझे खरीद फरोख्त के बारे में कुछ कहना है जिस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

ट्रेज़री बैंच की ओर से संकेत मिला कि फरोख्त की कोई बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे मार्फ़त मिला या सीधा ही ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बाला बाला तो बात करने का तरीका है नहीं इसलिए जो भी संकेत वगैरह होते हैं वे आपके माध्यम से ही आये हुए समझे जाते हैं ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर हा था कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में गेम्स मेटीरियल खूब खरीदे जाते हैं । खरीद के बारे में मैने छोटा सा नमूना पेश किया था । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि लाखों रुपयों का गेम्स का सामान खरीदा जाता है, किन्तु उसका डिस्पोजल किस प्रकार होता है, फरोख्त उनकी किस प्रकार होती है, उनका नीलाम किस प्रकार होता है ? न इस सम्बन्ध में नियम हैं; न इस सम्बन्ध में व्यवस्था है बल्कि जिस तरह से चाहे उस माल को डिस्पोज़ ऑफ कर दिया जाता है, उस सूरत में शिक्षा विभाग में फरोख्तगी भी होती है । महाराजा कॉलेज में लॉन है । उसका घास भी बेचा जाता है । मैं समझता हूं कि जिस लॉन को हम पानी पिलाते हैं, उसके चार्जेज स्कूल पर आते हैं लेकिन घास बेचने का अकाउन्ट नहीं है दो-तीन क्लर्क मिल कर घास बेच देते हैं, कभी बीस रुपये हिसाब में दिखा दिये, कभी ३० रुपये हिसाब में दिखा दिये, भैंसे, गायें उनमें चरती रहती हैं, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जानकारी करेंगे कि उस लॉन की कितनी इन्कम होती है और कितनी होनी चाहिये । एक नहीं फरोख्त के कई काम करने पड़ते हैं । हमने मल्टी पर्पजेज और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स के लिये गायें, भैंसे खरीदीं, मल्टी पर्पजेज में, मुझे अभी जानकारी मिली है, एक गाय बिकी है, किस तरह से बिकी है, इसकी जांच कर लें । इस प्रकार कई छोटी छोटी बातें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं उनको कहने लगूं तो शायद मुझे उपाध्यक्ष महोदय रोक दें ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की छोटी बातें such triffling things should not be discussed on the floor of the House.

श्री भैरोंसिंह : एक पैसा भी महत्व का है । उसको टैक्स के रूप में वसूल करते हैं और उसकी अनियमितता होती है, सदन में जिक्र किया That is not a triffling matter. तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि अब जितने भी प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, मल्टी पर्पजेज स्कूल्स खुलेंगे या जिनको हायर सेकेन्डरी स्कूल्स बनाने हैं इन्टर कॉलेजेज खोलेंगे, मुझे उसमें भय है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि छात्रों के साथ न्याय नहीं किया गया तो हो सकता है कि वे छात्र पढ़ने के लिए स्कूल्स में न आवें । न्याय किस तरह से किया जाय ? एक न्याय तो यह है कि पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलें । मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली जुलाई के महीने और उससे पहले कोशिश करने के बाद राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकें प्राप्त कराने के सम्बन्ध में बार बार मांग करने के बावजूद कुछ हद तक प्राप्त करा सके हैं , कुछ पुस्तकें मिली हैं । लेकिन अभी जानकारी की है उसके आधार पर एक पुस्तक जो छात्रों

(श्री भैरोंसिंह)

को मिलनी चाहिए थी, वह ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पायी है । फिर भी राष्ट्रीय-करण पुस्तकों का करने के बाद दो वर्ष तक बिना पुस्तकों के छात्रों को पढ़ना पड़ा, बिना पुस्तकों के दो वर्ष, डेढ़ वर्ष, छात्रों को पढ़ना पड़ा है । उसके बाद छात्र पुस्तकें लेकर कॉलेज में जाते हैं, सारी स्कूलों में राष्ट्रीय-करण की गई पुस्तकों को लेकर जाते हैं और अध्ययन करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आपके द्वारा इस सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने छात्रों के शिक्षा स्तर को ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह समझ रहा हूं कि आप बड़े युक्तिपूर्ण तरीके से और ढंग से वापिस उसी विषय पर आ रहे हैं । मेरी यह मान्यता है कि जो मैंने व्यवस्था दी है उसका सम्मान करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी इस प्रकार प्रयत्न नहीं करता कि उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों की तामील न करूं या मेरे द्वारा किसी प्रकार सदन का डेकोरम खराब हो । लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों का यदि उपाध्यक्ष महोदय आपके मार्फत उल्लेख किया गया तो आपकी और सदन की शोभा बढ़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अनुमति दी कहां ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि आप अनुमति दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रयत्न न करें । मैं उसी व्यवस्था पर मुस्तैद हूं ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करूंगा कि यह छोटे छोटे गरीब छात्रों का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : बजट सैशन में पूरे अधिकार दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): सब हो गये ।

श्री भैरोंसिंह : अब उनको पढ़ना पड़ेगा । फीस तो बिल्कुल इसमें से गायब हो गई ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : उसको तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिये । जितने आप सतर्क हैं, उतना मैं भी सतर्क हूं ।

श्री भैरोंसिंह : अन्त में मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि जितने स्कूल खोले जा रहे हैं, उनमें जो नियुक्तियां की जायं, जो अध्यापक उनमें रखे जायं, उनमें इस बात का ख्याल रखा जाय कि कहीं किसी रूप से मोहम्मद इलियास जाफरी जैसे राजस्थान शिक्षा विभाग में न आ जायं । मुझे आपको उनका नाम इसलिए याद दिलाना पड़ रहा है कि जिस दिन इस बात का उत्तर मिला है, राजस्थान के उप-शिक्षा मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था, मैं वे ही शब्द राजस्थान के मुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री महोदय के मुख से सुनना चाहूँगा कि उनकी निगरानी में उनके शिक्षा

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग में एक जेबकतरा भी है, एक इन्टे-न्डिंग इवेकुई भी है। एक जेबकतरा और एक सजायाफ्ता लेक्चरार होकर राजस्थान की भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकता है। यदि उनके शब्दों में भी वह कर सकता है तो यह मेरा और छात्रों का दुर्भाग्य है। लेकिन मैं यह मान कर चलूंगा कि माननीय मुख्य-मन्त्री महोदय इस प्रकार की बातें कभी कहने वाले नहीं। जिस व्यक्ति ने नियुक्ति की, उस नियुक्ति के लिए भी झूठे प्रमाण पत्र या जिसकी दर्ख्वास्त में भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं, पास्ट सर्विसेज का जिक्र नहीं, जिस व्यक्ति का पी० एस० सी० के द्वारा सलेक्शन होने वाला है ....

श्री उपाध्यक्ष : May I once again submit to the Hon'ble member that this issue has been beaten more than once on the floor of this House and I think that the Dy. Minister has made some observations representing the Treasury Benches, that is final.

२ म० प०

श्री भैरोंसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में ज्यादा नहीं कहता, किन्तु प्रश्न जेब काटने का है। इसलिए मैंने माननीय मुख्य मन्त्री...

श्री उपाध्यक्ष : This is not one of the issues of the cut motions.

श्री जनार्दनराय नागर : वह तो जेब-काटने का प्रयत्न था यह नाक काटने का प्रयत्न है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी बद किस्मती है कि मेरे कट मोशन्स गलत टाइप हो गए और कटमोशन्स का कट हो गया......

श्री उपाध्यक्ष : टाइप तो सही हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : यदि सही टाइप हुए होते तो फीस का मामला जरूर आता। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में सबसे पहले शिक्षा विभाग द्वारा हम इस बात की कोशिश करें कि जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उनका उच्च चरित्र हो, समाज पर जो अपनी छाप छोड़ सके, जिससे समाज की उन्नति हो शिक्षा की उन्नति हो और वह शिक्षा इस प्रकार को दी जाय जिसके कारण जो नागरिक उस शिक्षा को प्राप्त करके निकलें वे नागरिक देश के लिए लाइबिलिटी साबित न हों। अगर इस प्रकार का शिक्षा में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है तो समाज का स्तर भी ऊंचा होगा और समाज के स्तर के साथ साथ देश का स्तर भी ऊंचा होगा, हम इस प्रकार के परिवर्तनों की राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं।

मुख्य मन्त्री महोदय से उम्मीद करूंगा कि राजस्थान में जो इसप्रकार की अनिय-मितताएं होती हैं, जिनके कारण इस प्रकार की बातें बनती हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर कर दिया जाय और शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी हैं और जिनके सम्बन्ध में जांच चल रही है उनकी जांच करके जल्दी से जल्दी निर्णय ले लिए जायं और उन्हें इस प्रकार का दण्ड दिया जाय जिसके कारण नीचे के अधिकारियों पर उसका उचित

Page No.59

(श्रीभैरोंसिंह)
रूप से असर हो। इसलिए मैंने चार कटौती के प्रस्ताव रखे थे, उन चारों कटौतीं के प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जो एक अनपढ़ों का देश है, जिसमें बहुत कम संख्या में लोग पढ़े लिखे हैं उस देश का शिक्षा मंत्री छोटे-छोटे बच्चों के साथ जो राजस्थान के भावी भाग्य विधाता हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे यह मालूम नहीं होता कि ये कारखाने कब यह समझने लगेंगे कि हम बच्चों के साथ खेल न किया करें। हम बच्चों की शिक्षा के लिये जो शिक्षक दे रहे हैं, वे ऐसे शिक्षक हैं, जो जिन्दगी में बेकार हैं, जिनमें अनुशासन सिखाने का माद्दा नहीं है। उन शिक्षकों को कहा जाता है तुम इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करो जिन बच्चों द्वारा भावी राजस्थान बनना है। यह कोई छोटी बात नहीं। यह तो समय बतायेगा आज इन बगीचों के फूलों के साथ, जो आगे जाकर बड़ी पौध बनने वाली है, जिसको आगे जाकर आप किस रूप में देखना चाहते हैं जिनका स्थान मित्रों से कम नहीं। आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जिस वस्तु पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है शिक्षा। अगर आपके शिक्षा सचिव, आपके शिक्षा मंत्री या अन्य उच्च अधिकारी अपने बच्चों को सेन्ट जेवियर जैसे स्कूलों में भेज सकते हैं। वे इन पाठशालाओं में भेजना नहीं चाहते। क्यों नहीं भेजना चाहते? यह तो वे बतायेंगे। मैं समझता हूँ ट्रेजरी बैन्चेज पर जिस प्रकार से बातें हो रही हैं। वे खुद इतने जोर से बोलते हैं किसी को सुनते नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You resume you delbate.

श्री मूलचन्द डागा : जो शिक्षा के माध्यम हैं जिनके द्वारा आप शिक्षा देना चाहते हैं आपने एलान किया कि हम ८४० प्राथमिक पाठशालायें गांवों में खोलने वाले हैं। ये फिगर्स आकर्षक हो सकते हैं। किन्तु इन पाठशालाओं को जो शिक्षक आप भेजना चाहते हैं, वे शिक्षक कैसे हैं, जो निर्दयता का डंडा लेकर अपने हाथ में अनुशासन की स्थापना करना चाहते हैं। इस प्रकार इन ज्ञानमन्दिरों को अनुशासनरूपी डंडे से हांकना चाहते हैं और बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बच्चों को आप वह शिक्षा देना चाहते हैं जिनके कारण हमारे बच्चे भविष्य में विकास नहीं कर पाते।

आज आप राजस्थान में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टार्गेट है उसको पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं राजस्थान के इन प्राथमिक शालाओं में जिन अध्यापकों को आप भेजना चाहते हैं। मुझे अफसोस है जैसा कि बजट में रखा है। बेकारी को मिटाने के लिये हम कुछ शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहते हैं और शिक्षकों को तनख्वाहें क्या देना चाहते हैं। जो शिक्षक पचास या साठ रुपयों में जो अपनी जिन्दगी बना नहीं सका है। खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। ऐसे शिक्षक भेजना चाहते हैं यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो शिक्षक थके-मान्दे हैं, समाज में जिनकी शक्तियां का विकास नहीं हुआ। जो शिक्षक बच्चों के इरादों को, इच्छाओं को जानते नहीं, केवल

(श्री मूलचन्द डागा)

उनका दमन करना जानते हों। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिये आप शिक्षक देना चाहते हैं क्या वे बच्चों को अध्ययन करायेंगें? खुद का अध्ययन भी पूरा नहीं है। आप पाठशालाओं में जाकर देखें, तो आपको मालूम होगा कि। हम अपने भावी नागरिकों के भाग्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं। नये शिक्षक स्कूलों और मदरसों में जाकर क्या पढ़ायेंगे? जिन बालकों में हम जो बीज बोना चाहते हैं! वह बुनियाद और उस बुनियाद की ईंट टेढ़ी रह जाती है तो वह जिन्दगी भर टेढ़ी ही बनी रहती है। प्राथमिक पाठशालाओं के नाम पर आज जो सिंगल टीचर्स स्कूलों के नाम पर जो स्कूलें खोली जा रही हैं, जिनकी संख्या ८४० के करीब बतायी है ये खोल दी हैं मुझे मालूम नहीं होता आपकी योजना, आपके शिक्षकों की तनख्वाहें, उनकी आय और आमदनी क्या है? आजकल के शिक्षक केवल अपने हैडमास्टर को खुश करने का काम जानते हैं और रजिस्टर की खाना पूर्ति का काम जानते हैं। क्योंकि उनको यह भरोसा रहता है कि हमारी तरक्की का आधार हमारा हैडमास्टर है। आपने कभी सोचा है कि जिन अध्यापकों को आप लड़कों को पढ़ाने के लिये भेज रहे हैं उनका चरित्र किस प्रकार का है। मैंने पहली बात अपने कट मोशन में रखी है, वह यह रखी है। आज के विद्यार्थियों में तीन बातों की कमी होती है। अनुशासन की कमी यानी मास्टरों के ज्ञान की कमी, जो बालकों की इच्छाओं, इरादों को पूरी तरह से जान नहीं पाते, वह एक ही प्रकार का कारखाना है कि जिसमें एक ठप्पे के साथ एक ही मार्के के विद्यार्थी निकल रहे हैं। उसी एक ठप्पे के मार्के के कारण आज राजस्थान में यह स्थिति है कि हमें बाहर से लोगों को लाना पड़ता है। आज हम प्राथमिक शिक्षा के नाम पर शिक्षा के साथ और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हमें देखना यह है कि जिन शिक्षकों को आप ऐसी संस्थाओं में भेज रहे हैं जो गये गुजरे शिक्षक हैं, जिन शिक्षकों ने अपने जीवन में एक प्रकार की दुकान खोल रखी है जो अपने हुनर को बेचते हैं। जैसे गला फाड़ कर बेचते हैं जो अच्छे शिक्षक हैं। वे किताबें लिखकर या दो किताबें छापकर अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे शिक्षकों के आधार पर राजस्थान के भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं। यहां केवल आंकड़े बताने से सन्तोष नहीं होता। आप उन शिक्षकों का मापदंड जितना चाहते हैं। उतना बढ़ाइये। हो सकता है आप इसलिये यह कहें कि ये भावात्मक चीजें हैं, कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकती, असंभव सी हैं। हम लोग, इन बातों को नहीं मानते। हम राजस्थान में भावी निर्माण की इमारत उठा रहे हैं। जिस पर आप इमारत खड़ी करना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां आपके नाम को याद करेंगी कि राजस्थान में ऐसे शिक्षा मन्त्री हुए थे जिन्होंने छोटी छोटी पाठशालाएं खोलीं और ऐसे बेकार लोगों को वहां भेजा जिन्होंने कोई जीवन बनाने वाली शिक्षा नहीं दी, खोज करने की शिक्षा नहीं दी, जो स्वयं सुस्त और काहिल थे, वे क्या प्रगति की ओर खोज की शिक्षा देते। तो मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में अगर हमें बच्चों को शिक्षा देनी है तो हम उनके शिक्षकों को ठीक तनख्वा दें। इसके लिए चाहे दूसरों की तनख्वा हमें कम करनी पड़े, चाहे बजट पर बजन पड़े, चाहे पाठशालाएं कम करनी पड़ें,

(श्री मूलचन्द डागा)

उदयपुर में विद्या मन्दिर हमें भले ही कम करने पड़ें, बनस्थली, सेन्ट जेवियर और दूसरी स्कूलों को हमें घटाना पड़े। हमें ऐसे शिक्षक सबसे पहले उनको देने हैं, जिनके दिमाग, चेहरे और शरीर पर, हर अंग-प्रत्यंग पर नई जागृति के चिन्ह हों। आप जागृति की पिक्चर तो दिखलाना चाहते हैं पर मनोरंजन के लिये एम. एल. एज. को और आप चाहते हैं कि शिक्षक ऐसे हों जिन्होंने पचास, साठ रूपये में अपना जीवन आपको बेच दिया हो। आप चाहते हैं ? ऐसे शिक्षकों से राजस्थान की भावी पीढ़ी का इस तरह का नवनिर्माण होगा, वह पिक्चर कोई बहुत सुन्दर होगी ? शिक्षक कौन होता है ? जिसमें पुरुषार्थ होता है, जिसमें ताकतऔर जोश होता है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। जिस शिक्षक का प्रकाश बिक चुका हो, जो बेचारा सिर्फ अपना पेट पालने के ध्येय को लेकर गांव में जाता है, और जिसमें इन कारणों से कहना चाहिये जबर्दस्ती से उन आदमियों जैसे जो निर्दय और क्रूर होते हैं, कैसी निर्दयता, क्रूरता आदि के सब अवगुण आ जाते हैं ? जो आदमी अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सम्भाल सकता तो उसमें सारे अवगुण पैदा हो जाते हैं और उनका असर उन कोमल बालकों पर पड़ता है जिनके दिमाग खाली थैले जैसे हैं जिसमें कैसा भी बीज बोया जा सकता है। इस कारण ही हमारे राजस्थान में होनहार, शक्तिशाली, ज्ञानी और पुरुषार्थी कर्मयोगी आदमी हम नहीं पाते। इसीलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में एफीसियेन्ट व्यक्ति नहीं मिलते। हमारे शासक ऐसे हैं। जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, कुनबापरस्ती आदि सारी बातें फैलाते हैं। अगर आप केवल अक्षर ज्ञान करना चाहते हैं तो स्पष्ट कहिये कि हम तो केवल अक्षर ज्ञान चाहते हैं, उनके चरित्र निर्माण की चिन्ता आपको नहीं है। आज की आपकी मशीनरी में जो लोग बैठे हैं वे नहीं चाहते नई व्यवस्था आये नये जाग्रत और लगनशील पीढी निकले। आप में यह पुरुषार्थ नहीं कि आप इस तरह का बजट पेश करें कि जो नया हो जिसे दुनिया माने और आने वाली पीढ़ी जाय करें। आज जो गंदा वातावरण आप लोगों के चारों और फैला हुआ है, उससे न आपके दिमाग में नई चीजें पैदा होती हैं न इस मशीनरी के दिमाग में नई चीजें आ रही हैं। कि जिसके कारण आप अच्छे शिक्षक रख सकें। मैं नम्रतापूर्वक आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की पाठशालाओं से और इस प्रकार इस प्रकार के अध्यापकों से कभी राजस्थान में जाग्रत और प्रगतिशील विद्यार्थी नहीं निकल सकते, अक्षर ज्ञान भले ही आप करा लें।

यह तो हुई इस सम्बन्धी टेक्निक की बात। आप जो कुछ करने जा रहे हैं वह भी आप किस तरह से करते हैं इस पर भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ। हम जो प्राथमिक स्कूलें खोलने जा रहे हैं उनमें भी आपका क्या दृष्टिकोण रहता है यह भी मैं बताता हूँ। मैं अपने जिले और तहसील की बात बताता हूं। इस सदन में हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री ने दो बार अपने मुंह से कहा है कि पाली तहसील में एक भी सरकार की बिल्डिंग नहीं है। एक स्कूल में ११ सौ

Page No.62

(श्री मूलचन्द डागा)

विद्यार्थी पढ़ते हैं दो दो शिफ्टें चलती हैं पर उसमें कोई तरक्की नहीं। लड़कियों की स्कूल हैं जिसमें ६०० लड़कियां पढ़ती हैं पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई वृद्धि नहीं। कोई बात कहीं, जिस दृष्टिकोण से हम चाहते हैं। इस शिक्षा में कोई वृद्धि न हो तो कोई बुरी बात नहीं, बुराई न बढ़े न सही पर जिस दृष्टिकोण से आज आप दूसरी जगह वृद्धि करते हैं उस दृष्टिकोण से अपनी निष्पक्षता की बात मैं करता हूँ और जगह आप सभी कुछ करेंगे, पर आज एक सरकारी स्कूल पाली तहसील भर में नहीं। आपके आश्वासनों के बावजूद कोई अन्तर नहीं तो इन बातों का और इन कमों का असर हमारे दिमागों पर पड़ता है। हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी रिकमन्ड कर देती है, वहां के एम. एल. एज. कह देते हैं, वहां की बात हो जाती है, पर नहीं होता काम क्या अर्थ होता है इसका? कथनी और करनी का अन्तर यहां क्यों ? आप कहते हैं और कुछ करते नहीं, पाली में लड़कियों की स्कूल के लिये हो जावेगा। कोई बात नहीं हम इससे ही सन्तोष मान लेंगे। पर मैं बतलाना चाहता हूं कि हम कटौती प्रस्ताव रखते हैं, हम निवेदन करते हैं, हमें आश्वासन मिलता है, हम इस डरटी पोलिटिक्स और इसकी गन्दगी से दूर हैं, हमारे दिमागों पर इसका असर नहीं है। सही मांग और सही बात को करने की आग हमारे दिलों में है और जो आप आश्वासन देते हैं, उन बातों को मानते हैं। तो आश्वासन देने और मानने के बाद भी आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी की रिकमन्डेशन चाहिये, इन्सपेक्टर की रिपोर्ट चाहिये, इन सबके देने के बावजूद और इस बात के बावजूद कि हम इस गन्दगी से भी दूर हैं, पाली तहसील में जोधपुर और पाली के बीच में चालीस मील के एरिया में एक स्कूल को भी मिडिल स्कूल नहीं बनाया गया, रोड़ के नजदीक का एरिया होते हुए भी। कौन सुनता है ? हम भले ही कटौती प्रस्ताव पर करें या कुछ भी करें। आप प्राथमिक पाठशालाओं को मिडिल में परिवर्तन करना चाहते हैं, आप जरुर करिये, आपको अधिकार है। आप अपने डिस्क्रेशन को काम में लाइये पर आपका डिस्क्रेशन, आपका दृष्टिकोण, इन चीजों से प्रभावित न हो। मैंने कई बार सोचा है कि हम चाहते क्या हैं ? हम यह चाहते हैं कि जो कुछ हो वह निष्पक्षता के साथ हो। मैंने इसके विपरीत कई गांवों में देखा तो मैंने इस बात के लिए कहा कि एक तरफ तो १,१००, १,१०० लड़कों की स्कूल सुधि नहीं। दूसरी तरफ आप नक्शा उठाकर देखें उन स्कूलों में जिनमें १६ विद्यार्थी नहीं हैं, फिर भी वहां पर हायर-सेकन्डरी स्कूल बना दी गई है। आप उधर भी देखें और इधर भी देखें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कहां पर?

श्री मूलचंद डागा : डेगाना में आप देखें इसे। आप पूछना चाहते हैं? डेगाना की तरफ देखें और देखना चाहते हैं तो नागोर जिले में देखें और जांच करना चाहें तो जांच करें। कई हायर सेकन्डरी शिक्षण संस्थाएं खुली हैं। आप यह भी देखें किन किन गांवों में खुली हैं और वहां कितने कितने विद्यार्थी हैं। आप जांच करें। निष्पक्ष होकर देखें। मुझे भावना में किन्हीं बातों को कहना या उसका रोना, गेना नहीं आता। इन इन बातों को उखाड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं

(श्री मूलचन्द डागा)

कि न्यायपूर्ण कोई काम करें, तो देखें इनको और करें फिर हम अपनी तरफ से इसमें आपकी सहायता करने को तैयार हैं। हम इस गन्दगी से दूर होकर अपनी बात रखना चाहते हैं और इसे अपना कर्त्तव्य समझते हैं कह सकते हैं कि हम कठोर शब्दों में अपनी बातें रखते हैं, हो सकता है हमारे इरादों में मधुरता नहीं है। पर कथन में सत्यता अवश्य है। हमने यह अनुभव किया है कि हमारे साथ निष्पक्षता नहीं बरती गई। आप उन प्राथमिक पाठशालाओं की सारी सूची उठाकर देखने की कृपा करें। हम कहते है इन तीन सालों में अगर पाली तहसील में एक भी पाठशाला में परिवर्तन किया हो तो हमें बता दीजिए। आप उदाहरण बता दीजिये।

मैं और बताना चाहता हूं। आप सुनिये। मैं आपका निर्णय चाहता हूँ जहां ३५ हजार की जनता है, बांगड़ ने १।। लाख रूपया लगाकर स्कूल बनाई, उसके लिए आपने आश्वासन दिया, हमने माना कि शिक्षा मन्त्री महोदय के मुंह से जब बात निकली है तो पूरी होगी। पर व्यर्थ हुई बात। मैं दो दफे सुन चुका आपकी बातें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस बारे में आश्वासन ?

श्री मूलचंद डागा : यह आश्वासन कि बांगड हाई स्कूल, सेकन्डरी हाई स्कूल में परिवर्तित कर दी जावेगी। पर मैं इस बात के लिए शिकायत नहीं करता हूँ। फिर भी मैं समझता हूँ कि काम की अधिकता की वजह से भूल गये होंगे। लेकिन आप जब कहते है, तो हम समझने लगते हैं कि हमने ही क्या किया है ? हम चाहते हैं आपकी पाठशालाओं में व्यवस्था हो, लेकिन अव्यवस्था के रूप में, मैं आपसे कहता हूँ कितनी वृद्धि हुई है। यह आप स्वयं जाकर देख लें। शिक्षकों की कमी है। दसवीं कक्षा का इम्तिहान होने वाला है, पर साइन्स का टीचर नहीं मिला तब तक क्या फायदा इस पढ़ाई से ? अच्छे अध्यापकों की कमी, समान की कमी, भवनों की कमी, ठीक से बैठने के स्थान की कमी। यह है आपकी व्यवस्था का नमूना। आपका यह रवैया हमें पसन्द नहीं आता। आपके आंकड़े हमें अच्छे नहीं लगते, आपकी इकोनोमिक्स और स्टेटिस्टिक्स वालों की बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। हमारे दिमागों में इन तथ्यों के आगे इन सबबातों का असर नहीं होता। ये आपकी सारी बातें कुछ असर नहीं करती।

आप चाहे किन्हीं शब्दों में उत्तर दें, लेकिन अगर मौका मिलता है, उत्तर देने का तो मुझे भी मालूम है लेकिन श्रीमान् यह सच्ची बात है कि स्कूलों के अन्दर जो आज की शिक्षा पद्धति है वह किसी से उपाध्यक्ष महोदय, छिपी हुई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि राजस्थान सरकार के लिए और राजस्थान के लिए वह दिन कब अच्छा आयेगा, जब कि इन कारखानों में यह अध्यापक नहीं समझेंगे कि हम काम करने वाले हैं और हमें मजदूरी दी जाये ? मैं चाहता हूं कि आपके यहां होते हुए, आप शिक्षा मंत्री हैं और साथ साथ मुख्य मंत्री भी, हमारे हिन्दुस्तान में शिक्षा की योजना बननी चाहिए। और उसी रूप में काम होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह यादव ।

श्री चन्द्रसिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में धांधलेबाजी ....

श्री उपाध्यक्ष : यह धांधलेबाज़ी तो आपके कटौती प्रस्ताव में कहीं नहीं लिखी है । बहरोड़ तहसील में माध्यमिक शाला खोलने पर विचार करने हेतु ।

श्री चन्द्रसिंह यादव : मेरा मतलब इसी में धांधलेबाजी से है ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, आपके शब्द विचार करने का मतलब धांधलेबाजी है ।

(हंसी)

श्री चन्द्रसिंह यादव : मैं अभी आपको बताऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले बहुत से सदस्यों ने इसी चीज पर ज़ोर दिया है कि किसी काम में भी किसी की तरफ से आंख मीच लेना या किसी को खुश करें या किसी को वंचित रखें, इसमें एक ही चीज पर जोर दिया है और वह यह है कि या उस इलाके का एम० एल० ए० किसी दूसरी पार्टी से आया हो या अभी मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य थे उन्होंने काफी गिला किया है इस चीज पर और वह भी अपोज़ीशन के जैसे ....

डॉ० बहादुरसिंह : यह कैसे मालूम हुआ ?

श्री चन्द्रसिंह यादव : यह कैसे मालूम किया, यह मैं बताऊंगा ....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं आप नहीं बताइये । आप तो विषय पर ही आ जाइये ।

श्री चन्द्रसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो दुःख है इस चीज पर कि शिक्षा जैसे मामले पर तो किसी किस्म का भी ऐसा पक्ष नहीं होना चाहिए, जिसमें किसी गांव के साथ या किसी इलाके के साथ, किसी किस्म की बेइन्साफी हो । उपाध्यक्ष महोदय, ८ तारीख को मेरा इक क्वेश्चन था और उसका जवाब, शिक्षा मंत्री जी के अलावा हमारे किसी और ही मंत्री साहब याने रेवेन्यू डिप्टी मिनिस्टर श्री सम्पतराम जी ने दिया था । उस सिलसिले में आपके द्वारा अपने शिक्षा मंत्री जी को यह बतलाना चाहूंगा कि वहां के मिडिल स्कूल के खुलने में कितनी धांधलबाजी हुई है, उससे सारी चीजें स्पष्ट हो जायेंगी और किस को आगे लिया जाना है और किसको पीछे लिया जाना है इसमें ऐसी चीज हुई है या नहीं । उपाध्यक्ष महोदय तहसील बहरोड़ में अभी पिछले दिनों में एक मिडिल स्कूल खोला गया है और उस स्कूल के बाबत में उस इलाके के सभी लोगों की और सरकारी ऑफिसरों की भी रिपोर्ट गई है । दूसरी जगह के बारे में थी लेकिन स्कूल किसी और जगह खुली ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मंत्री) : जिला विकास समिति की रिपोर्ट कहां की थी वह भी जरा बता दें तो आसानी रहेगी ।

श्री चन्द्रसिह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, विकास समिति की रिपोर्ट थी, उसके सिलसिले में भी आपसे अर्ज करूंगा कि उस ग्राम के पंच और सरपंच, तहसील के सरपंच,

Page No.65

(श्री चन्द्रसिंह यादव)

तहसीलदार और सब–डिविज़नल ऑफिसर और उस इलाके के एम० एल० ए० इन सब की जिला विकास समिति के सामने यह रिकमन्डेशन थी कि फलां गांव में ही मिडिल स्कूल खोले जायें । इस सिलसिले में काफी देर तक विवाद हुआ । उसके बाद में कलेक्टर साहब ने अपना फैसला रिज़र्व रख लिया और उन्होंने यह बताया कि इस वक्त यह मिडिल स्कूल वहां खोला जायेगा, इसके बारे में बाद में फैसला होगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को यह बतलाना चाहूंगा कि उसके बाद भी हमने रिक्वेस्ट की कलेक्टर साहब से कि जब भी आप यह फैसला करें हमारी जो रिकमन्डेशन है आप इसके खिलाफ न जाना । उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े दिनों के बाद यह पता चला कि मिडिल स्कूल किसी दूसरी जगह खुल रहा है । उस समय तक खुला नहीं था । दुबारा फिर डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी की मीटिंग हुई उसमें फिर सवाल उठाया कि क्या आप इस स्कूल को किसी दूसरी जगह खोलने जा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा । यह ठीक है कि कुछ लोग दूसरी जगह के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन आपसे पूछने के बाद दूसरी जगह खोली जायगी । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस है कि मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि डेवेलपमेन्ट कमेटी की मीटिंग क्या थी। जब तीसरी मीटिंग हुई तब स्कूल खुल चुकी थे, उसके बाद में भी एतराज उठाया गया । उस समय कलेक्टर दूसरे थे और इस समय दूसरे हैं । जो मौजूदा कलेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि कमेटी के सारे मेम्बर्स की चाहे एक राय हो, लेकिन फिर भी अगर चेयरमैन चाहे कि मुझे कमेटी के डिसीज़न के खिलाफ करना है तो वह ऐसा कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नियम में उल्लिखित है कि चेयरमैन सारे डिसीज़न को चेंज कर देता है ।

श्री चन्द्रसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वह एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जब देखी कि किधर जा रही है तो लोगों ने एतराज किया था । डिस्ट्रिक्ट अलवर के सारे एम० एल० एज० ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है · तो ऐसा बतलाया गया कि चाहे सारी कमेटी की रिपोर्ट एक तरफ हो, और अगर चेयरमैन चाहें तो उनको ओवरलुक कर सकता है । अब मैं नहीं समझ सकता कि मैं किन लफ्जों में अपने मुख्य मंत्र जी को बताऊं कि कमेटी की रिकमन्डेशन थी या नहीं लेकिन फिर भी यह नहीं बताया कि स्कूल अमुक जगह खुलेगी । मीटिंग होने के बाद कोई पहुंच हुई या एप्रोच हुआ, लेकिन यह तो अन्डरस्टुड चीज है कि कैसे हो गया । लेकिन मैं अर्ज करूं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर आप इजाज़त दें ....

श्री उपाध्यक्ष : उस पर तो काफी प्रकाश पड़े चुका है ।

श्री चन्द्रसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वह स्कूल दूसरे गांव में खुल गई । अब जो भी हुआ है, लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिए यह अर्ज करूंगा कि वह स्कूल जहां खुली है वह सही खुली है या गलत । आप यह समझ लें कि अपोज़ीशन से बोलने वाले सदस्य बोलते हैं तो ठीक है, ओवरलुक कर जाइये लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि यह स्कूल जहां खुली है, वह गलत खुली है और कैसे गलत खुली है उसके बारे में मैं अभी आपसे अर्ज करूंगा ....

Page No.66

श्री चन्द्रसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय जिसकी कि रिकमनडेशन थी उस गांव की आबादी ५५० या ६०० घरों की है। उस गांव में जो प्राइमरी स्कूल था, उसके अन्दर ६ कमरे हैं वहां एक बड़ा हॉल है। उसके पास खैलने का जो ग्राउन्ड है वह काफी बड़ा था। और साथ में एक बड़ा अच्छा तालाब है जो कि उसकी शोभा को बढ़ाता है। उस गांव के अन्दर पोस्ट ऑफिस भी है, डिस्पेन्सरी भी है, और उस गांव के अन्दर छत्तीसों कौम के आदमी बसते हैं। उस गांव के चारों तरफ और जो गांव हैं जिनमें शायद प्राइमरी स्कूल है या नहीं वे १२ गांव हैं। मैं उनके एक एक के नाम बताऊंगा जिससे आपको यह यकीन होगा कि उस गांव के साथ इन्जस्टिस हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां जितने गांव हैं वे ऐसे हैं नागल, खरिया जिस गाव में यह मिडिल स्कूल खुलना था। वे सखा, खातन खेड़ा...

श्री उपाध्यक्ष : आपने संख्या बतला दी १२।

श्री चन्द्रसिंह यादव : नाम ले लेने दें ताकि सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं। उनको भी मालूम हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि संख्या ही पर्याप्त होगी।

श्री चन्द्रसिंह यादव : खैर, वह ऐसा है कि जिस गांव में स्कूल खोला गया है वहां ७०, ७५ घरों की आबादी है और उसके पास में एक भी दूसरा इस किस्म का गांव नहीं है जिसके बच्चे वहां पढ़ने के लिए आयें। दो गाव लगते हैं। दूसरा एक बड़ा गांव है जिसका नाम गंडाला है जो कि नजदीक पड़ता है और जिसमें से एक गांव माननीय डिप्टी–रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का भी है और जिसमें नहीं खुला है उसकी आबादी मैंने आपसे अर्ज की है और उसके चारों तरफ १२ गांव ऐसे है जो कि एक, डेढ़ या दो मील की दूरी के फासले से हैं. जिनके पास कोई मिडिल स्कूल नहीं है। उनकी मांग जायज थी लेकिन नहीं मानी गई, और अब, नहीं मानी गई, इसमें जो भी कुछ हुआ, वह हुआ होगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उस इलाके में हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि कॉंग्रेस के खिलाफ वोट्स दिये हैं वह अपनी बदनसीबी समझते हैं और जब हम जाते हैं तो वह इस चीज को कहते हैं कि हमने कॉंग्रेस के विपरीत अपने वोट्स देकर अपने वोटों को गढ्डे में डाला है, या हम ५ साल पीछे चले गये हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय यह...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके चुनाव क्षेत्र के लोग आपको क्या कहते हैं और आप उनको क्या कहते हैं, यह आपका अपना विषय है। उसको सदन में नहीं लायें।

श्री चन्द्रसिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, जब उनके साथ में किसी किस्म का अन्याय हो ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है कि वहां पर जो बातें आपके और उनके दरम्यान में होती हैं वे यहां सदन में नहीं आनी चाहिए। आप अपनी मान्यता रखें वह ठीक है।

श्री चन्द्रसिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि किसी चीज को ऐसे ढंग से नहीं लें कि आज वह अपने हक में है या विपरीत में है। मै यह अर्ज कर रहा था कि तहसील बहरोड़ डिस्ट्रिक्ट अलवर में वह तहसील है जो हिन्दुस्तान की आजादी की

(श्री चन्द्रसिंह)

लड़ाई में किसी से पीछे नहीं रही। आगे क्या होगा? यह तो मैं नहीं कह सकता। कहने की चीज़ भी नहीं है, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि उन्होंने इस दफा अगर कांग्रेस के खिलाफ भी कोई अपना नुमायन्दा चुन लिया है तो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को इतना ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिये, इस विषय में। वह पहले आपके थे और हो सकता है कि आगे भी रहे, लेकिन उनकी इस नुमायन्दा चुनने की गलती की वजह से इतनी जबरदस्त और ऐसी गलत सजा नहीं दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सही अर्ज करता हूं, हो सकता है कि जितना जो कुछ वहां हो रहा है मैं शायद वही एक्स्प्लेन नहीं कर सका लेकिन यह वक्त बतलायेगा कि जितनी मक्कारियां, घोटाले या लोगों में एक दूसरे को बरबाद करवाने की परम्परा वहां हो रही है वह हद से ज्यादा है।

अब इस वक्त जो विषय है वह एजुकेशन का है इसमें मुझे सिर्फ यह अर्ज करना था आपके द्वारा अपने माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि आगे चलकर मुझे उम्मीद है कि आप इस किस्म का फर्क नहीं रखेंगे और इसी में हमारी प्रजातान्त्रिक प्रणाली की बहतरीनता है। वरना तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि इस किस्म की मनमानी करने से हमारे चारों तरफ डेमोक्रेसी किस तरह से फेल हो रही है। कोई भी चीज छोटी सी पैदा होती है और वह आखरी टाइम तक कितना विकराल रूप धारण कर लेती है और उसके बाद जो नतीजा होता है, वह होता है, और बाद में उनके पछताने से कितना फायदा होता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस कॉन्स्टिटुएन्सी के साथ किसी तरह के मामलों के अन्दर यह सौतेला व्यवहार नहीं किया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपने वक्तव्य में गैलेरी में आसीन किसी अधिकारी को संबोधित किया है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि किसी भी अधिकारी को जो गैलेरी में बैठे हुए हैं या किसी भी नागरिक को जो गैलेरी में हो, संबोधित न करें यह सदन की परम्परा के विरुद्ध जाता है।

श्री चन्द्रसिंह : ठीक है। अगर मुझ से इस किस्म की गलती हुई है तो मैं वापिस लेता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में जो मांग इस सदन में प्रस्तुत की गई है, वह मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मांग थी कि जिसके ऊपर बहुत वाद विवाद की आवश्यकता नहीं थी। मुख्य बातें उसकी माननीय सदस्यों के समक्ष है।

महिला अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर्स बनाने की बात है, इसमें मैं समझता हूं दो राय नहीं हो सकती। उसी प्रकार प्राइमरी स्कूल बढ़ाने की बात थी, जिसके लिए खर्चा खास तौर से इसमें किया जा रहा है, युनिवर्सिटी एज्युकेशन के लिए जो मांग की गई है और उसको लेकर जो बहुत सा वाद विवाद हुआ, तो मैं यह निवेदन कर दूं कि यह जो खर्चा इसमें बताया गया है वह विशेष तौर से इस सदन में कई बार चर्चा चली थी। ओरियन्टल फैकल्टीज के बारे में हम चाहते थे। उनके शुरू करने का खर्चा इसमें है और होम साइन्स की फैकल्टी को शुरू करने का इसमें खर्चा है। जो दो नई फैकल्टीज युनिवर्सिटी में शुरू की

Page No.68

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जा रही हैं, ये विशेष तौर से खास खास बातें मैंने आपके सामने रखीं। वाद विवाद के दौरान में बहुत सी बातें सामने आईं उन पर संक्षेप में अपने विचार निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे पहले जो माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने इस बात को रखा कि गर्ल्स एज्युकेशन को प्राइमरी स्टेज पर बाहर एन्करेज नहीं करते हैं और अलग प्राइमरी स्कूलें खोलना सरकार ने बन्द कर दिया है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बन्दिश नहीं है कि बिल्कुल ही बन्द कर दिया हो जहां पर लड़कियों की संख्या काफी है वहां खोली जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल बन्दिश हो।

श्री पी० के० चौधरी : शिक्षा विभाग के पास से ऐसा लिखित जवाब आया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (जारी) यह ठीक है, मैंने निवेदन किया कि यदि लड़कियों की तादाद ज्यादा हो तो अलग स्कूल खोलने का विचार किया जा सकता है और किया गया है। आम तौर से प्राइमरी स्कूलों में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं। उनका साथ साथ पढ़ना हर दृष्टि से उचित होगा, यह कोई अनुचित बात नहीं है। प्राइमरी स्टेज पर खास तौर से, लेकिन अध्यापिकाओं की जितनी कमी है, उसके बारे में आज भी कई माननीय सदस्यों की शिकायत होती है। यहां जिक्र किया गया कि स्कूलें खोलने पर भी अध्यापिकाएं नहीं पहुँच पाती हैं, ऐसी स्थिति में ज्यादा विस्तार और भी मुश्किल होता है। हमने जहां जहां जानकारी की कि अध्यापिकाओं के नहीं जाने का कारण अध्यापिकाओं की कमी तो है ही लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल आता है, प्राइमरी स्कूलों में ही नहीं बल्कि लड़कियों की मिडिल स्कूलों में भी और रूरल एरियाज में जहां हाई स्कूल्स खोले गये वहां भी सबसे बड़ा सवाल था कि अध्यापिकाओं के रहने के लिये स्थान नहीं है। आज शिक्षा विभाग के सामने यहां तक कि लेक्चरार्स को भी बाहर भेजते हैं तो मुश्किल आती है। क्योंकि शिक्षक तो गांव में कहीं भी जाकर रह सकता है लेकिन शिक्षिकाओं के लिए अकेली जाकर जहां दूसरी फेमिलीज रहती हैं, उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है और उनके पेरेन्ट्स भी इसके लिये इजाजत नहीं देते। दो, तीन अध्यापिकाएं एक जगह रह जायं इसलिये हमने उनके क्वार्टर्स के लिये व्यवस्था की है। लेकिन इस पहलू से सिंगल टीचर की स्कूल की अध्यापिकाओं के लिये ऐसी बात नहीं है बल्कि जहां पर और भी अध्यापिकाएं हों, वहां पर एक होस्टल टाइप अकोमोडेशन भी हम दे सकें उसके लिये व्यवस्था की गई है, जो अत्यन्त आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि और भी असुविधाएं हैं। अकेली अध्यापिका नहीं जा सकती, दो हों तो जा सकती हैं, अकेले में ज्यादा मुश्किल आती है। यह ठीक बात है कि हम प्रयत्न करना चाहते हैं। लेकिन आज के दिन अध्यापिकाओं के बाहर नहीं जाने में सबसे बड़ी मुश्किल हमारी सामाजिक स्थिति के कारण भी है। जिसकी वजह से नहीं पहुँच पाती है, अब तक हमारी महिलाएं बहुत आगे नहीं बढ़ पाई हैं, यह जो कारण है, उसको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा और अभी एक योजना और शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षित किया जायगा। जिन विधवाओं या अन्य स्त्रियों के पास विशेष

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जरिया नहीं है और जो प्रौढ़ाएं हैं और जो पढ़ाने का काम करना चाहती हैं उनको पढ़ाने के लिये इन्तजाम कर रहे हैं जिससे महिला अध्यापिकाएं मिल सकें। लड़कियों की शिक्षा के बारे में माननीय सदस्यों को पता है एक व्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक प्रौढ़ महिला घर से बच्चियों को लाती है और स्कूल चले, जब तक वह वहां पर बैठी रहती है जिसको स्कूल मदर कहते हैं। वह कई छोटी छोटी बच्चियों को घर से लेकर आती है और स्कूल समाप्त होने पर उनको घर पहुँचा देती है। इसका असर राजस्थान में यह हुआ कि कई जगह शिक्षा में वृद्धि हुई और खास तौर से इस मामले में काफी प्रगति हो गई। तो इन चीजों के लिये जैसी हमारी सामाजिक परिस्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करनी होगी, यह मुश्किल सामने आती है।

बसेज के सम्बन्ध में कहा गया कि बसेज कम हैं। जयपुर के बारे में भी कहा गया कि यहां पर एक बस में काफी लड़कियां बैठ कर आती हैं, यह ठीक है, इसमें दो राय नहीं हैं कि बसेज की कमी है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां शिक्षा का प्रचार हो रहा है वहां कुछ जगह ऐसी है जहां बसेज नहीं हैं और राजस्थान सरकार का जितना खर्चा बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए मजबूरी की स्थिति है कि पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, वर्ना मैं कह दूँ कि पूर्ति कर दी है, और नहीं की है, और पूर्ति करना असम्भव बन गया है, तो यह ठीक नहीं होगा। जितनी आवश्यकता बसेज की हैं उतनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। एक बस के पीछे ३०-४० हजार रुपये खर्च होते हैं इसलिये जितनी है उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँच सकें इसकी कोशिश की जाती है और साथ ही साथ हर साल कुछ और नई बसेज खरीदने का भी प्रयत्न करते हैं और इस सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड में भी बसेज की खरीद के लिये रकम की मांग की है।

दूसरी बात यह कही गई कि विज्ञान की पढ़ाई के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करनी चाहिये। मैं स्वयं इस हक का हूँ कि ज्यादा से ज्यादा विज्ञान की शिक्षा दी जाय, लेकिन हमें इस दृष्टि से भी देखना होगा कि आज हाई स्कूल्स खोलते हैं उनमें विज्ञान की शिक्षा के लिये जितने आर्थिक साधन चाहिये उतने हमारे पास नहीं है। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, हम यह अनुभव करते हैं कि विज्ञान की शिक्षा के लिये हमें जितने शिक्षक चाहिये उतने उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और कई जगह से देर तक शिकायत आती है कि फलां जगह के लिये शिक्षक नहीं मिला। यह व्यवस्था नहीं हो रही है। इस वजह से हमें धीरे धीरे इस ओर बढ़ना पड़ता है क्योंकि विज्ञान की शिक्षा ऐसी चीज है कि केवल किताबें पढ़ कर काम नहीं चलाया जा सकता, उसके लिये शिक्षक की भी आवश्यकता होगी। मैं समझता हूँ समय के साथ-साथ शिक्षक भी उपलब्ध होंगे आसानी से और हम इस ओर ज्यादा आगे बढ़ पायेंगे, लेकिन हर वर्ष कुछ जगह बढ़ाने का प्रयत्न बराबर लगा हुआ है।

यह भी कहा गया कि पुरानी हाई स्कूल्स हैं उनको हाई स्कूल्स ही रख रहे हैं और नयी हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स खोली जाती हैं, इसका असर यह होता है कि बहुत से विद्यार्थी हाई स्कूल्स में जाना पसन्द करते हैं। दरअसल में यदि आज जितने हाई स्कूल्स हैं उनको हायर सेकेन्ड्री में परिवर्तित करें तो उससे पहले आर्थिक पहलू को भी देखना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पड़ता है। सबको एक साथ ही हायर सेकेन्ड्री करना मुश्किल हो जायगा। हम धीरे धीरे हायर सेकेन्ड्री में परिवर्तन करने की सोचते हैं। किसी साल ५ कर दी, किसी साल १० कर पायेंगे। लेकिन एक साथ करने में यह मुश्किल सामने आती है।

सदन में इस बात की जोर शोर से चर्चा की गई कि बेकार अध्यापक हैं, अयोग्य हैं, फैक्ट्री हैं, कारखाना है, क्या परिणाम निकलने वाला है। मैं समझता हूं यह अध्यापकों के प्रति अन्याय है और इसके साथ-साथ जो कुछ बातें कही जाती है। इस प्रकार की बातें कहने के लिये सदन ही पूरी तरह से विचार करें। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बेकारी को दूर करने के लिये इस माध्यम को अपनाया जा रहा है, यह शिक्षा विभाग के लिये उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति इस प्रकार की है। आज हमारे सामने माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं। दूसरी तरफ जहां स्कूलें नहीं खुलती हैं और आगे नही बढ़ें तो साथ-साथ निराशा का इजहार करते हैं, यदि यह सदन कह दे कि एक दो साल तक स्कूलें खोलने की आवश्यकता नहीं है, पहले सारी चीजें ठीक कर दें तो मैं समझता हूँ दूसरी कमियां पाई जाती है उनको दूर करने में मदद मिलेगी लेकिन जैसा सारा हाल है, एक तरफ काफी लोगों की भावना है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलें और दूसरी सुविधाएं बढ़ानी चाहिये। हम सोचते हैं कि जितने मिडिल स्कूलों को हायर सेकेन्ड्री में अपग्रेड करने के लिये इतनी ज्यादा मांग होती है और लड़कों की तादाद भी ज्यादा बढ़ती है जिसकी वजह से हमें विस्तार करना पड़ता है।

आज तो, उपाध्यक्ष जी, यह स्थिति है कि मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के विस्तार की बात रहने दी जाय, डिग्री कॉलेजों के बारे में भी प्रेशर बढ़ रहा है। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहेंगे कि धौलपुर में डिग्री कॉलेज हो कोटपुतली से आने वाले माननीय सदस्य कहेंगे कि कोटपुतली में डिग्री कॉलेज हो और कुछ माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, उनको जानकारी हो तो डिग्री कॉलेजों के बारे में कितना प्रेशर होता है। आज मैं समझता हूं यह निर्णय करने का प्रश्न है माननीय सदस्यों के और सदन के सामने है कि आगे के लिए यह निर्णय हो जाय कि हमको यह विस्तार करना है या नहीं? यह विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है तो जो खर्चा है, उसको जो कन्स्ट्रक्ट की है स्कूल, उन पर लगाये। मैं समझता हूं जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम उस प्रश्न के बारे में विचार कर सकते हैं और यह प्रयत्न किया जाय कि उस तरह कोशिश की जाय। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो प्राइमरी स्कूल्स के अन्दर अध्यापक जाते हैं, उन अध्यापकों के जाने के बाद यह मान लेना कि वे सारे के सारे काम के नहीं हैं और उनमें दूसरी बातें हैं, यह गलत है। अध्यापकों के सामने मुश्किलें हैं, आर्थिक दिक्कत भी उनके सामने है, उन सारी दिक्कतों को उठाते हुए भी आज कुल मिलाकर शिक्षा के प्रसार में राजस्थान में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और उनको एक प्रकार की स्थिति में डाल देना कि सभी रिश्वत लेने वाले हो गये, सभी अयोग्य हैं या सबके सब काम के नहीं हैं, इस प्रकार जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हों, लेकिन बहुत से व्यक्ति हैं जो हजारों की

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तादाद में काम करते हैं, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल्स में, कॉलेजेज़ में, और जो अच्छा काम कर रहे हैं, यह बात हमारे सामने स्पष्ट हैं । अब एक तरफ यह कहा जाय कि हमारे यहां वेतन स्तर नीचे होने की वजह से ये सारी की सारी बातें फैलती हैं, यह बात कही प्रोफेसर तक । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति खराब है तो वह वेतन स्तर के कारण नहीं है क्योंकि लेक्चरार के, प्रोफेसर के वेतन स्तर हमारे यहां पर कई जगहों के मुकाबले काफी ठीक हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां वेतन स्तर कुल मिलाकर अध्यापकों का भी दूसरे कई स्थानों के मुकाबले पिछले दिनों काफी ठीक किया गया है और जैसी हमारी आर्थिक सम्भावनायें हैं और जो कुछ साधन हैं, उनको देखते हुए निरन्तर इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर एक जो बाद में माननीय सदस्य खड़े हुए, उन्होंने यह कहा कि सिंगल टीचर स्कूल हमें शुरू नहीं करने चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब गांवों के अन्दर स्कूल शुरू किये जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ जगह तादाद ज्यादा हो लेकिन मैंने खुद ने इस बात को देखा है कि बहुत से स्थानों पर ऐसा भी है कि जहां पर जितने अध्यापक हैं, उनके अनुपात के अन्दर पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं । हम इसको थोड़ा बराबर कर रहे हैं कि इन दोनों में इस प्रकार का रेशनलाइजेशन हो, जहां ज्यादा हों, वहां से, जहां कम हों, वहां भेजा जाय, उसको ठीक किया जाय क्योंकि जो कुछ अनुपात टीचर्स और विद्यार्थियों का, राजस्थान का है, वह भारतवर्ष के अन्दर, सिवाय एक आध राज्य के कम है, आज के दिन भी । तो उस व्यवस्था को ठीक करने की बात हो सकती है । लेकिन जो विद्यार्थी भर्ती हुए, उनके पास पढ़ाने वाला नहीं होता, उनके सामने और मुश्किलें थी, यह पूर्णतया ठीक नहीं है । कुछ जगह विद्यार्थी ज्यादा हो सकते हैं और उनके मुकाबले में अध्यापक कम हो सकते हैं इस साल जितने एडीशनल टीचर्स हो सकते थे, उतने देने का प्रयत्न किया । जहां निश्चित तादाद से ज्यादा विद्यार्थी हो जाते है वहां एडीशनल टीचर भेजने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं और इस साल, मैं ठीक नहीं कह सकता, लेकिन, १२ सौ टीचर्स एडीशनल भेजे हैं । सिंगल टीचर स्कूल में शुरुआत में ३०, ४० बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं । मैं समझता हूँ कि अगर सिंगल टीचर भेजा जाता है तो वह ठीक है, अगर दो टीचर भेजे जाते हैं तो जो तादाद लड़के लड़कियों की, पढ़ने वालों की है और जितना परिमाण हम चाहते हैं वह नहीं रह सकता । जहां पर ज्यादा हैं, वहां की बात समझ में आ सकती है । लेकिन जितनी कमी है स्कूलों में और जितने स्कूल फैलाने हैं उसको आर्थिक दृष्टि से देखना पड़ेगा । हम वहां पर एक साथ आज टीचर्स के बढ़ाने की बात करेंगे तो फिर स्कूलों की तादाद निश्चित तौर से कम हो जाने वाली है । जब कि स्कूलों की राजस्थान में बहुत सी जगह आवश्यकता है । आज जो सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स सदन के सामने हैं, उनमें वे योजनायें हैं, जो, पिछली बार बजट आया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से स्कीमें निकलीं उन स्कीमों के अन्दर हमने मांग की, उन स्कीमों में उन एम्प्लायमेंट की स्कीम थी, गर्ल्स एज्युकेशन की स्कीम थी, उन स्कीम्स के अन्दर राजस्थान सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की तरफ से काफी कुछ शेयर प्राप्त

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होता है। जितना कुल मिलाकर खर्चा रखा, वह आपके सामने रख दिया। यह जो सिंगल टीचर वाला सवाल है, मैं समझता हूँ कि सिंगल टीचर स्कूल कुछ अर्से के लिए शायद हमको चलाने पड़ेंगे हमारे यहां की परिस्थितियों को देखते हुए।

दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष, यह कहा गया कि हम टीचर को साल, दो साल रखते हैं और फिर ट्रेनिंग में भेज देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम एक तरफ क्वालिटी को डिस्कस करते हैं और दूसरी तरफ ट्रेनिंग का विरोध करते हैं तो एक पेचीदगी भरी स्थिति पैदा होती है। मैं समझता हूं ट्रेनिंग के बिना अध्यापक को काम में लगाना नहीं है, ट्रेनिंग उसके लिए आवश्यक है। उस ट्रेनिंग के दृष्टिकोण से राजस्थान के अन्दर अलग-अलग जगह एस. टी. सी. स्कूल शुरू करके बराबर काफी तादाद में टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, वे ट्रेन्ड होकर आ जाते है, ट्रेनिंग के बाद उनकी ग्रेड में भी अन्तर पड़ जाता है। कुल मिला कर ट्रेनिंग उसके लिए लाभदायक सिद्ध होती है।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई भी मौका आता है, जैसे सामाजिक सप्ताह या और कुछ मनाया जाता है तो बच्चों को इधर-उधर घुमाया जाता है, इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। मुझे ठीक से पता नहीं, मैं इसकी जानकारी करूंगा। लेकिन हम स्वयं चाहते हैं, वैसे कुछ मौके हैं, जैसे रिपब्लिक डे, १५ अगस्त है, जिन मौकों पर सामूहिक तौर पर शिक्षा विभाग के कार्यक्रम होते हैं, उनके अन्दर बच्चे हिस्सा लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के समय पर उनकी पढ़ाई खराब की जाय, मैं समझता हूँ यह उचित नहीं है। अगर इस प्रकार की कहीं कोई बात हुई होगी तो उसकी जानकारी करके उसमें सलाह दी जायगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कोऑपरेटिव वीक में भी गये।

डॉ० चन्द्रकला : जानकारी विभाग से नहीं, हम लोगों से ले लीजियेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप तो देती हैं।

दूसरे, जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करती और उनके काम के अन्दर रुकावट आती हैं। साथ ही साथ यह भी कहा कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं उससे लोगों को नुकसान भी पहुंच रहा है। मैं समझता हूँ माननीय सदस्या भी अच्छी तरह जानती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को हम काफी मदद देते हैं इस मामले में (हंसी) शायद राय में फर्क नहीं होना चाहिए...

डॉ० चन्द्रकला : मदद की शिकायत मेरी नहीं है।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझा यह शिकायत है। उनका स्तर बढ़ाने के लिए कुछ कहा था, और उनका लाभ नहीं उठाया जाता...

डॉ० चन्द्रकला : मैंने कहा था कि वे कॉमर्शियल शॉप्स हैं, जो अपना लाभ देखती हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके साथ ही साथ कहा कि प्राइवेट स्कूल्स का स्तर बढ़ा कर लाभ लिया जा सकता है, इसलिए उनको मदद दी जाय....

रावराजा श्री सरदारसिंह : ऐसा कहा था।

डॉ० चन्द्रकला : मुझे लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की मुझे आप आज्ञा देंगे कि मेरी बहुत सी बातें शिक्षा मंत्री महोदय समझे नहीं !

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर रहा था, अगर आपने नहीं कहा तो बहुत ठीक है, उस पर जोर देने की जरूरत नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ...

३. म० प०

मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि हम तो यह चाहते हैं, कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं इस दिशा में काम करती हैं, उनको सरकार उचित सहयोग दे, और जनता उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाये।

डॉ० चन्द्रकला : मैं स्तर बढ़ाने का कहती हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्तर बढ़ाने का कहती हैं, मैं निवेदन करूं कि जयपुर में यहां जो कॉलेजेज, स्कूल्स चलते हैं उनको हमने विशेष सहयोग देकर कहा कि इन्टर कॉलेजेज़ को, डिग्री कॉलेजेज़ में, कामर्स कॉलेजेज़ में और साइन्स कॉलेजेज़ में इन्ट्रोड्यूस करें और इस तरह आप देखते हैं कि तादाद बढ़ती जा रही है, जो डिग्री कॉलेजेज़ में परिवर्तित हुए उनको सरकार की तरफ से जितना संभव हुआ उतना सहयोग दिया।

कुछ बोगस इन्स्टिट्यूट्स के बारे में आपने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या कार्यवाही हो रही है, पर मैं समझता हूं उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही होगी, अगर मिलती है तो मैं उसे रोकने के लिए अपने अधिकारियों से कहूंगा।

दूसरे, शिक्षित बेकारों के बारे में कहा गया, कि इस योजना से शिक्षित बेकारों की समस्या हल नहीं होती, यह किसी हद तक सही है, पर माननीय सदस्यों को जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों से हम निरन्तर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हाई स्कूल और इन्टर के बाद कुछ सुविधा साधन राजस्थान में उपलब्ध करा सकें, जिससे टेक्निकल एज्यूकेशन में और दूसरी शिक्षा में लोग जायं और उनसे लाभ उठा सकें, इसकी जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने राजस्थान में पोलीटेक्नीक खोले, इन्जीनियरिंग में तादाद बढ़ाई, स्टाकिस्ट्स की ट्रेनिंग, नर्सेज की ट्रेनिंग वेटनरी की ट्रेनिंग खोली और इन्डस्ट्रियल लेबर के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, इसमें भी हजारों, सैकड़ों लड़के शिक्षा पाने जा रहे हैं, आल्टरनेटिव ट्रेनिंग का उनको सामान दिया है जिससे यहां से जिसमें जाने से अनएम्लोयमेंट कम होगा। पर कुछ में तो जितने विद्यार्थी चाहिए उतने भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में ऐसी भी हालत है, राजस्थान के कुछ दूर के जिलों में टीचर्स का भी अभाव है, वहां टीचर्स जाते नहीं हैं, जयपुर के टीचर्स से कहें कि जालौर जिले में जाय, तो वह वहां जाना पसंद नहीं करता और यह बात ठीक है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा विभाग में ऐसे लोग आते हैं जो बाद में आई. ए.-एस. में चले जाते हैं और तरक्की करते

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है. तो यह तो शिक्षा विभाग का ही नहीं एक तहसीलदार है वह भी कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स में बैठ सकता है, हर एक अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, और वह कर सकता है तो टीचर्स भी कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स में बैठते हैं, उन्हें इनमें बैठने से नहीं रोक सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। जहां तक शिक्षा विभाग का प्रश्न है। हम स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में और कालेजेज़ में मास्टर्स, प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स के ग्रेड आर. ए. एस. और आई. ए. एस. के बराबर नहीं कर सकते कुछ लोग इसमें जायेंगे और उनको रोका नहीं जा सकता। फिर भी शिक्षा विभाग जितना फैला हुआ है, उसको देखते हुए यदि देखते हैं, तो कुछ लोग जाते हैं पर बहुत बड़ी तादाद तो शिक्षा विभाग में ही रहती है और शिक्षकों की तरह काम करती हैं। धौलपुर में खराब सामान खरीदा गया, इसके बारे में कहा गया

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी मुख्य मंत्री जी से करना चाहूंगा कि जिस तरह आर. ए.-एस. और आई. ए. एस. के काम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स होते हैं क्या शिक्षा विभाग में भी इसी तरह की एज्यूकेशनल सर्विसेज़ के लिये व्यवस्था करना वे चाहते हैं। जिससे कि इन्टेलिजेन्ट वर्कर्स शिक्षा विभाग में ही रिटेन किए जा सके ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस पर विचार कर रहे हैं, पर अभी फाइनल नहीं किया है। फिर भी माननीय सदस्य को जैसा कि मालूम है लेक्चरार्स के ग्रेड काफी ठीक रखने का प्रयास किया गया है जिससे कि वे लोग आर. ए. एस., आई. ए. एस. में जाने की न सोचें सिवाय उनके कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड को पसंद करते हैं। एज्यूकेशनल सर्विसेज़ के लिए भी कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स के लिए रूल्स वगैराह बनाए जा रहे हैं, जो जल्दी ही फाइनेलाइज़ हो जायेंगे।

धौलपुर में सामान खराब खरादे जाने के बारे में जिक्र किया, वह ठीक है मैं यह कहूँ कि सामान सारा ठीक खरीदा गया, इसका प्रश्न नहीं आता, इसके बारे में जाँच की जा रही है, जांच के परिणाम किस स्टेज पर हैं, किस पर नहीं, यह सारी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। पर मैं निवेदन करूं कि इस खरीद के बारे में श्री माधोपुर से से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जैसा कि इस बारे में जिक्र किया था, हमारी तरफ से हम बराबर इस प्रयत्न में हैं कि ठीक समय पर अच्छा सामान खरीद कर रखें। उदाहरण के तौर पर बताऊं, अभी आपने बताया फुटबाल खरीदने के लिये। नम्बर लगा कर पता न चल सके ऐसा किया गया, तो तरीका तो ठीक था, तरीके के बारे में तो कोई शिकायत नहीं, उसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। आपने जो शिकायत की है, उसके बारे में मैं अविलम्ब जांच करूंगा और जिसने गलती की उसको सजा दी जा सकती है, पर तरीके के बारे में दो राय नहीं हो सकती कि तरीका ऐसा था कि जिसमें ऐसी गुंजायश नहीं मिल सकती थी। दूसरे मैं यह निवेदन करूं कि शिक्षा विभाग में कुछ बड़ी चीजों के बारे में खरीदने में आसानी हो सकती है, कन्ट्रोल रखना आसान हो सकता है पर फर्नीचर वगैरह मामूली सामान खरीदना हुआ, उसका एक सेंट्रल डिपो बनाना बड़ा मुश्किल है, वह कर देंगे तो भी जो कलेक्शन्स होंगे मास्टर वगैरह ही करेंगे। एक बार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जयपुर में सामान की खरीद की गई थी और बाहर भेजा गया था। इस पर भी कहा गया था कि यह चीजें तो बाहर भी बन सकती हैं, ऐसा मुझे याद पड़ता है। तो रूल्स प्रोसीजर के माफिक काम किया जाता है, जो जो चीजें, सामान आता जाता है, ठीक ही तरीके से काम किया जाता है। अभी रूल्स मेरे पास नहीं हैं, पर फिर माननीय सदस्य को बताऊंगा, पर वह सब माननीय सदस्य की जानकारी में है, दूसरी हैसियत से भी उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त होती रहती हैं।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : दूसरी हैसियत से कैसे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर हाँ इस हैसियत से।

(हंसी)

श्री भैरोंसिह: रूल मेथड्स की जानकारी नहीं,रूल्स की जानकारी वहां हो सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे धौलपुर और कोटपुतली में डिग्री कॉलेज खोलने का काफी कहा गया। मैं कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन के बारे में एक चीज हमें स्पष्ट रूप में देखनी पड़ेगी कि हमारा खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा है, अभी तक दो साल में हमारा प्लान एक्सपेन्डीचर था और अगले तीन सालों में हमारा प्लान एक्सपेन्डीचर होने जा रहा है, उस सब को देखते हुए टोटल प्लान का जितना आउट ले है, शिक्षा विभाग में, हो सकता है कि हम कुछ उसको एक्सीड कर जायं, क्योंकि काफी स्कूलें खोली हैं। हमें इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें प्राथमिक शिक्षा को तो प्राथमिकता देनी होगी और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आज यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन में यह सही है कि खर्चे की काफी बढोतरी हो गई है इसीलिए हमने कुछ जगह डिग्री कॉलेजेज़ को बढ़ाया फिर भी मैं मानता हूं कि दूसरी पंच वर्षीय योजना काल में हम डिग्री कॉलेज बहुत खोल पायेंगे, यह बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि गांवों में प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की काफी समस्या है। प्राइमरी स्कूल्स न खोल कर डिग्री कॉलेजेज़ के बारे में ज्यादा करें तो दोनों में वही बात होने वाली है, वहां भी उतने ही साधन चाहिए जिससेकि डिग्री कॉलेजेज़ की व्यवस्था कर सकें, इसके साथ ही खर्चा भी काफी बढ़ जायगा।

जिन स्कूलों को कॉलेजेज़ में बढ़ाया है, उन कॉलेजेज़ में जब एक विद्यार्थी घर छोड़ कर बाहर जाता है तो ३० मील दूर जाने में, ६० मील दूर जाने में और ८० मील दूर में मैं समझता हूँ थोड़ा ही फरक रह जाता है। उनमें कुल मिला कर अगर हम देखें तो इस बात की गुंजायश है कि विद्यार्थियों की तादाद को लिया जा सकता है और भर्ती हो सकते हैं। जबकि प्राइमरी स्कूलों के लिये यह ना कहना मुश्किल है। साधनों की कमी होते हुए, मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इसके लिये पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो कुछ टारजेट हमने सैकिन्ड फाइव इयर प्लान में रखा है। ७से११साल के बच्चों के लिये प्राथमिक शालाओं के लिये उस टारजेट को हम पूरा कर पाएंगे, बहुत मुमकिन है कि एक साल पहले ही उस टारजेट को पूरा कर लेंगे। क्योंकि यह हमारे प्रान्त की आव-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रखता है । डिग्री कॉलेज के लिये यह समझ कर चलना कि वह घर पर ही हो, यह तो मुश्किल है । यह समझना कि विद्यार्थी घर का काम करते हुए भी कॉलेज का काम कर सकें, लेकिन युनिवर्सिटी के लिये हम इस परिभाषा को आगे नहीं ले जा सकते । किसी के लिये यह प्रश्न होगा कि आखिर किसी न किसी को तो युनिवर्सिटी एज्यूकेशन के लिये बाहर जाकर अटेन्ड करना ही होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि कुछ जगह टीचर्स देर से पहुंचे । इसके लिये भी काफी कहा गया है । यह ठीक है कि कुछ जगह टीचर्स देर से पहुँचे और उसकी वजह से मुश्किलातें आईं । लेकिन एक यह बड़ी मुश्किल हमारे सामने है कि एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के मारफत बहुत से व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं । जिस समय उनको गवर्नमेंट ऐपोइन्टमेंट देती है और जब बहुत से लोगों को एपोइन्टमेंट दे दी जाती है तो उनको मालूम होता है कि बाहर गांवों में जाना होगा तो वे बाहर जाना पसन्द नहीं करते और वे बीच का समय लैप्स करते हैं । इस बीच में समय चला जाता है । बहुत से लोग शहरों को छोड़ कर कस्बों में नहीं जाते । लेकिन हमको तो पहले यह मालूम नहीं होता। हम तो अपॉइन्टमेंट एक्सचेन्ज की सूची के अनुसार एम्पलोयमेंट करते हैं । हमको यह तो पहले मालूम नहीं होता कि फलां गांव में अमुक व्यक्ति जाने को तैयार है , या नहीं? उसको नहीं भेजा जावे । यह एक टेक्निकल दिक्कत हमारे सामने है । इसके लिये जितना इसको कम किया जावे, हम प्रबन्ध करेंगे । श्री माधोपुर से आने वाले, मुझे दाँता रामगढ ज्यादा याद रहता है, ने कहा कि मन्थली टेस्ट,जो सरकार ने रूल्स में प्रिस्काइब्ड किये हैं, वे नियमित रूप से नहीं लिये जा रहे हैं । जो उन्होंने जानकारी दी है उसमें जहां जहां कमी है उसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे । अब रहा इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल के बारे में शिकायत के सम्बन्ध में । जयपुर ईस्ट या वेस्ट, क्या कहा । ईस्ट, इसकी जानकारी करके उचित कदम उठाया जावेगा ।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा गर्ल्स हाई स्कूल नहीं खोले और बहुत पक्षपात और दलबन्दी हुई है, ऐसा उन्होंने बताया । वे माननीय सदस्य तो सारी बातें कह कर चले गये, लेकिन एक बात मैं सदन की जानकारी के लिये कह देना चाहता हूँ कि हमने पता चलाया कि नागौर. पानल आदि में और दूसरी जगह हाई स्कूल खोला जावे तो लड़कियों की तादाद कितनी होगी । पाली की और नागौर की यही हालत थी कि वहां पर ८, ९ या १० लड़कियां थीं । इसलिये आखिर तादाद भी तो हमें देखनी पड़ती है कि कितनी लड़कियां पढ़ने वाली हैं । मैंने कहा था कि यदि २० या २५ लड़कियें भी पढ़ने वाली होंगी तो खोल देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५, ६ तो माननीय सदस्य के भी मौजूद हैं ।

(हंसी)

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : वे नाइन्थ क्लास में नहीं हैं ।

दूसरे बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बड़ी भारी दलबन्दी है । एक मिड़िल स्कूल नहीं खोलने पर नाराजगी जाहिर की । पहले भी यही कहा कि कहां पर खुले, पाली सुना । नाराज़गी का प्रश्न पैदा नहीं होता । एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम लोग जो विरोधी पक्ष वाले हैं और जीत कर आये हैं । वहां पर किसी प्रकार का विकास

Page No.77

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का काम सरकार नहीं करना चाहती या उनमें रुकावटें डालती है। मैं यह कहूंगा कि यदि उनकी यह धारणा है तो गलत है। अगर मेरे पास पहले इस प्रकार की सूचना होती तो मैं सदन के समक्ष लिस्ट लेकर आता जिसमें यह पता चलता कि हाइयर सेकेन्ड्री कहां पर ज्यादा खुली है। जहां तक मिडिल स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों का सवाल हैं हम डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी से कहते है कि कहां पर खोलना है। अब डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी में जैसे माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कई डिफिकल्टीज हो सकती हैं। अलवर में भी जहां डिफिकल्टीज हो सकती हैं और एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके, इसीलिये उलझन पैदा हुई। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा ठीक तरीका है कि उस कमेटी में सदस्यों की तादाद ही कम हो। जिस डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी के ज्यादा सदस्य होते है तो एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते।

श्री जनार्दनराय नागर : झगड़े की जड़ खोलते हैं।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि इसी नीयत से नहीं किया। अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी में उनका हक न रखना चाहिये तो आपकी मर्जी है। मगर कुल मिला कर यह चीज बैठ जाती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, यह कहा गया कि मकान के मामलों में हम मकान की शर्त रखते हैं यह उचित नहीं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम कहीं पर स्कूल खोलना चाहते हैं तो उस गांव वाले मिल कर अवश्य सहायता देते है लेकिन जब स्कूल खुल जाता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करते। स्कूल खोलते समय भवन जरूर देखना होता है इसके अलावा आम लोगों की सहायता से बहुत से काम पहले हो जाते है। वह हजारों रुपये मकान में बाद में खर्च करने पड़ेगे। मकान के बिना लोग बाग उसमें पढ़ने के लिये कैसे तैयार हो जावे। प्राइमरी स्कूलों के लिये हम इस बात पर बहुत जोर नहीं देते कि बहुत अच्छा भवन हो, तभी प्राइमरी स्कूल खोली जावे। लेकिन हाइयर सेकिन्ड्री के लिये मैं समझता हूं कि ऐसा मकान होना चाहिए जिसमें दो वर्ष तक ज्यादा खर्चा न करना पड़े। यही बात हम आम तौर से कहते भी हैं। इसमें भी ऐसे स्थान हैं। जहां पर लोगों के पास मदद देने के लिए नहीं है तो वहां पर सरकार भी अपनी तरफ से स्कूल खोल कर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। हमने अमुमन देखा है कि जहां पर लड़कों की तादाद ज्यादा है वहां पर काफी लोगों का सहयोग आया भी है। इसके साथ-साथ आस पास में बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जहां दूर-दूर तक कोई स्कूल न हों, और पढ़ने वालों की संख्या काफी हो, तो इस प्रकार की चीज़ सरकार के ध्यान में लाई जावे तो सरकार उसके लिए प्रबन्ध करने का प्रयत्न करेगी। बहुत सी बातें बहस के दौरान में मेरे सामने आई और माननीय सदस्यों द्वारा ध्यान में लाई गई हैं। उनका मैंने उत्तर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कट मोशन रखें हैं। अब उनको वापिस लेंगे और जो सीधी-साधीसी मांग आपके सामने आई है, उसे स्वीकार करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब कतरे प्रोफेसर के बारे में ...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो मैंने उसी वक्त डिसएलाउ कर दिया था । It does not need any explanation.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो फीमेल एज्युकेशन के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री ने लड़कियों के प्राइमरी स्कूल्स खोलने के सम्बन्ध में गवर्नमेंट की पोलिसी बताई और कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि लड़कियों के लिये अलग स्कूल नहीं खोला जावे । हालां कि आज तक शिक्षा विभाग से जब कभी लड़कियों के स्कूल खोलने के लिये डिमान्ड जाती, तो ऐसा जवाब देते थे कि अलग नहीं खोली जाती है । जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा निर्णय नहीं है, तो मैं इसको पोलिसी स्टेटमेंट मानूंगा ।

दूसरी बात जो उन्होंने एडल्ट टीचर्स तैयार करने की कही है, उसको मैं एप्रूव नहीं करता हूं । एडल्ट्स वुमन हैं, एडल्ट्स महिलायें हैं उनको शुरू से पढ़ाई–लिखाई सिखा कर उनसे टीचर का स्कूल में काम लिया जाय । हो सकता है उसमें अक्षर ज्ञान फैलाने के लिए, लिट्रेसी फैलाने के लिए लाभदायक हो सकता है । लेकिन शिक्षा की दृष्टि से, जो शिक्षा का स्टेन्डर्ड है, वह उसको नीचे लायगा । इसलिए स्त्री शिक्षा के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया है कि एडल्ट विमन को साक्षर करके स्कूलों की पढ़ाई–लिखाई करावेंगे, वह चीज हम एप्रूव नहीं कर सकते ।

बसेज़ के लिए उन्होंने कहा कि इकोनोमिक डिफिकल्टी के कारण बसेज़ का इन्तजाम नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : May I know whether you are withdrawing ?

श्री पी० के० चौधरी : I will withdraw, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I think then there does not exist any right of reply. The only question before us is wether you withdraw or not ?

श्री पी० के० चौधरी : The right of reply is always there, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : The practice is otherwise and I am supported in this by the observations of the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha also.

श्री पी० के० चौधरी : In this House we always give a reply before withdrawing the cut motion.

श्री भैरोंसिंह : अभी तक तो यहां ऐसे कन्वेन्शेन्स रहे हैं । so far as the observations of the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha is concernd, I also have many citations about it.

श्री पी० के० चौधरी : We have got the experience here. In the last session, and in the session before last, always we reply.

श्री उपाध्यक्ष : So far as the Hon'ble Member is concerned, he has to withdraw. You are to withdraw that is what I feel-

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then where lies the necessity of exercising the right of reply, and when I say that the practice in the Lok Sabha is also like this, let us stick to that practice.

Page No.79

श्री पी० के० चौधरी : How does the Hon'ble Deputy Speaker know that I am going to withdraw ?

श्री उपाध्यक्ष : You can controvert it then. You can say that you are not going to withdraw.

श्री भैरोंसिंह: यहां पर ऐसी परम्परा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह परम्परा गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : So far as the phase of withdrawal is concerned, I would request the Hon'ble Members not to exercise that right of reply and then withdraw.

श्री पी० के० चौधरी : I will take hardly two-three minutes. I have some points which the Hon'ble Chief Minister did not touch in his speech.

श्री उपाध्यक्ष : I would be glad if the Hon'ble Member withdraws without a speech or sticks to the cut motion, rather than spending the time in giving a statement before the withdrawal.

श्री पी० के० चौधरी : Alright, then I may be permitted to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७ मुख्य शीर्षक ३७ में जो कटौती के प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृति)

कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I want to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७ मुख्य शीर्षक ३७ में जो कटौती के प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखे हैं उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृति)

कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डॉक्टर चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७ मुख्य शीर्षक ३७ में जो कटौती का प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने रखा है, उसको वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७ मुख्य शीर्षक ३७ में जो कटौती

Page No.80

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं उनको वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

श्री रामकरणसिंह : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७ शीर्षक ३७ में जो कटौती प्रस्ताव श्री रामकरणसिंह ने रखा है उनको वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त दी गई ।

श्री रामकरणसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

श्री रामनारायण : मैं अपना कटौनी प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७ मुख्य शीर्षक ३७ में जो कटौती प्रस्ताव श्री रामनारायण वर्मा ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामनारायण वर्मा: मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री उपाध्यक्ष : Now the position is still open to us. When I have pointed out that there exists no practice so far as the exerscise of right of reply is concerned and that I may tell you that I am supported by the observations of the hon'ble Speaker of the Lok Sabha I think we should follow the same practice here in the light of the observations of the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha and I have very rightly sensed the spirit of thisaugust House. So we stick to that practice. Therefore, my ruling is...

श्री भैरोंसिंह : Before giving, any ruling Sir, I want to make an explanation about it.

श्री उपाध्यक्ष : No, my observations are that this right of reply does not exist so far as cut motions are concerned and we follow the established practice of Lok Sabha as well as of our own House.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोक सभा में इस प्रकार की जो प्रेक्टिस है यदि उसके आधार पर इस सदन में कार्यवाही की जाय तो मैं आपको यह विश्वास पूर्वक कहता हूं कि सभी मेम्बर्स को कट मोशन्स मूव करने का और कट मोशन्स के सम्बन्ध में रिप्लाई देने का अधिकार नहीं है । सारे कट मोशन्स मुख्य

(श्री भैरोंसिंह)

किये हुए समझे जाते हैं और पार्टी मेम्बर्स को इन्स्ट्रक्ट किया जाता है कि पार्टी मेम्बर्स अपनी अपनी पार्टी के आधार पर कट मोशन्स के ऊपर अपने अपने विचार प्रकट करें। जिन लोगों के कट मोशन्स टेक्निकली मूव्ड किये हुए माने जाते हैं उनको राइट ऑफ रिप्लाई नहीं है। लेकिन एक रिप्रेजेन्टेटिव ऑफ दी पार्टी के नाते जिनको स्पीकर ने इजाज़त दे दी है जनरल स्पीच देने की, उनको राइट ऑफ रिप्लाई देने का अधिकार है। राजस्थान विधान सभा में भी...

श्री उपाध्यक्ष : I have not made this subject as open for debate and moreover I can convince the Hon'ble Members about the observations in the actual expressions so made, in this 'Decisions of the Chair' where in it revealed clearly that the mover has no right of reply except moving the cut motions. I may read the exact words :-

"After the Government Member had replied to a reduction motion to a demand under the Railway Budget, the mover got up to reply when the president intervened and said that he had no right of reply. Mr. Abdul Matin Chaudhury pointed out that a right of reply had been given before, but the President observed :-'That is not the general practice.' "

So we proceed. The only position is whether the Hon'ble Member would like to withdraw or not.

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह एक इस प्रकार की अहमियत का प्रश्न है मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जो आज तक इस प्रकार के कन्वेन्शन्स रहे हैं उन कन्वेन्सन्श को वे ऑफ करने के लिये इस सदन से अगर उपाध्यक्ष महोदय, परामर्श करते तो ज्यादा अच्छा रहता और परामर्श करने के बाद इस प्रकार का निर्णय देते।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के एक्सट्रेक्ट आपने पार्लियामेंट के पढ़कर सुनाये हैं। मैं भी इस सदन के एक्सट्रेक्ट पढ़कर सुना सकता हूं। इस चेयर की तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। रूल्स में हालांकि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी इसी चेयर की तरफ से इस प्रकार की डिबेट्स को अलाउ किया गया है। कट मोशन्स का जवाब देने का माननीय सदस्यों को अधिकार है और उन अधिकारों का आज तक प्रयोग करते आये हैं। इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके अनुरूप अगर यहां पर करना है तो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि पार्लियामेंट में सारे मेम्बरों को राइट ऑफ रिप्लाई न होकर जो मेम्बर बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाता है। आप हमारे इस सदन की प्रोसीडिंग्ज़ उठाकर देख लीजिये, उसमें आपको यही मिलेगा। अगर वे कन्वेन्शन्स खराब रहे हैं, उनमें आपको सुधार करने की इच्छा है तो आप उसे कर सकते हैं। उसके बारे में आप यह कह सकते हैं कि आज तक जो कन्वेन्शन्स रहे हैं वे गलत थे उन कन्वेन्शन्स से ये कन्वेन्शन ज्यादा अच्छे हैं अतः इनको लागू किया जा रहा है।

Page No.82

श्री उपाध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया है मैं इस परम्परा को और उस सम्बन्धी नियमों को और भी अध्ययन करना उपयुक्त समझूंगा। पूर्ण रूप से अध्ययन करके इस सदन को जब तक मैं यह विश्वास न दिलादूँ तब तक मैं सिर्फ उन माननीय सदस्यों को, जो अपने कटमोशन विद्ड्रा नहीं करना चाहते उनको जबाब देने का अधिकार देता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्ड्रा नहीं करना चाहते यह जो कन्डीशन रखी है यह तो एक एक्सेप्शन हो गया। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपसे अपील करता हूँ जब कि आपने एक दफा राइट ऑफ रिप्लाई का अधिकार नहीं दिया है उसी के अनुसार किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर : राजस्थान विधान सभा के रूल्स में क्या प्रोविजन है ?

श्री उपाध्यक्ष : There is no provision.

श्री पी० के० चौधरी : there should be no such discrimination like this against members and members. Whether a Member is going to withdraw or not, how the Chair can anticipate it ? and the member can say that he is still making up his mind and during his speech of 15 or 20 minutes, he may change his mind.

श्री उपाध्यक्ष : The chair can put a straight question to the Hon. Member and I think the Chair is not debarred from putting a question whether he has the intention of withdrawing the motion or not.

श्री पी० के० चौधरी : Hon'ble member can say that he is still thinking about it and during the 15 or 20 minutes that he speaks, he would be able to give his reply and make up his mind also.

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो डिस्क्रीमिनेशन हो जायगा। जो विद्ड्रा नहीं करना चाहते उनको बोलने की इजाज़त देकर। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा जब कि चेयर की तरफ से एक्सट्रेक्ट पढ़कर सुना दिये गये हैं, डिसीजन आफ दी चेयर के तो फिर माननीय सदस्य को उसके पालन में सहयोग देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : I have made my previous observation a little flexible, subject to the condition' referred before But so far as Members withdrawing the motions are concerned, the observation and the practice is very clear and if the Hon'ble Members want to be enlightened on this issue, I will once again to enlighten them on this issue that a Member withdrawing a cut motion has no right of reply and he has straightaway to withdraw his motion.

श्री श्रीभानसिंह : Your observation is sufficient for this House without any enlightenment and the Hon. Members are to abide by it.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह जानना चाहता हूं माननीय चेयरमैन, यह किस प्रकार से जान सकेंगे कि माननीय सदस्य विद्ड्रा कर लेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : Chair has got full conception of it. I would not like to enlighten the House on this any more.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, उनका उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री ने जितनी उनके पास जानकारी थी उसके आधार पर दिया।

श्री श्रीभानसिंह : Once again rise Sir, whether the Hon. Member has been asked whethar he is going to withdraw his motion ?

श्री भैरोंसिंह : जो उत्तर उनकी ओर से मिला।

३. ३७ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

श्री श्रीभानसिंह : My point of information still stands.

श्री सभापति : one member at a Time. Shri Bhairon Singh will resume.

श्री भैरोंसिंह : Hon'ble Chairman, I am in apposition of the Hous, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : I am rising on a point of information, Sir.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order. Sir, has the Chair put a direct quest Hon to the Hon. Member whether he will withdraw his cut motion or not and whether the Hon. Member has a right of reply My protest stands, Sir.

(Shri Bhairon Singh sits down)

श्री सभापति : One member at a time

श्री श्रीभानसिंह : Only one membe is standing, Sir. has the Chair put a direct question to the hon. Member whether he will withdraw ..

श्री भैरोंसिंह: (जारी रखते हुए) मैं विदड्रा नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन पूछने से पहले ही मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

जो उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया उससे मुझे किसी भी प्रकार से सन्तोष नहीं हुआ। मेराप्रश्न अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में था। उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि हमारे राज्य में अध्यापकोंका वेतन कई अन्य राज्यों के मुकाबले ऊंचा है।

सभापति महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। आज हमारे देश में ऐसे भी राज्य हैं। जिन राज्यों में हमारे प्रान्त के अध्यापकों का जो वेतन स्तर है उससे भी कम वहां वेतन स्तर है हम इस बात को नहीं भूलना है कई ऐसे राज्य भी हैं जहां यहां से भी अच्छे ग्रेड्स हैं। मेरे ख्याल से अधिकांश इस तरह के राज्य जहां के अध्यापकों का वेतन स्तर यहां के अध्यापकों के वेतन स्तर से अच्छा है। लेकिन मैं दूसरे राज्यों की तुलना नहीं करता अगर हमें तुलनात्मक दृष्टिकोण ही अपनाना है तो उसके साथ साथ हमें एक बात यह भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि दूसरे राज्यों में वेतन स्तर यहां नीचा है, वहां पर केपीटा इन्कम क्या है। और उस इन्कम की बेसिस पर तनख्वाह क्या है। मैं इस सिद्धान्त को मानकर चलता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का वेतन निर्धारित करें उसके लिये आवश्यक यह है कि हम अपने प्रान्त के अपने राज्य की सारी स्थितियों कोसामने रख कर एक आदमी की आवश्यकता

(श्री भैरोंसिंह)

क्या है। और उस आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है, किस माध्यम में वह पूरी की जा सकती है, राजस्थान के फाइ-नेन्स के सोर्सेज क्या है, उन सारी बातों को सामने रखकर यह देखना हैं कि उस व्यक्ति के इन्कम का क्या जरिया है, प्रान्त का जनरल स्टेन्डर्ड क्या है? इन पांचों बातों को सामने रखकर मैं समझता हूं हम निर्णय लें और उस निर्णय के आधार पर यह कहें कि यहां के अध्यापकों का वेतन स्तर अच्छा है तो वह बात ठीक हो सकती है। मेरी समझ में भी आ सकता है और दूसरे भी इस बात को समझ सकते हैं।

हमारे यहां का वेतन स्तर अच्छा है। यह कह कर सारे प्रश्न को यही खत्म कर देना, और यह बताना कि इसके बाद वेतन स्तर बढ़ाने के बारे में सरकार कोई विचार नहीं कर रही, मैं समझता हूँ कि यह अध्यापक वर्ग के साथ एक अन्याय होगा। राजस्थान का अध्यापक वर्ग जब भी मौका आता है इस बात की कोशिश करता है. छटपटाता है, सोचता है कि, हमारे पर इतनी बड़ी जिम्मे-दारी है। उसके मुकाबले में हमारा जो वेतन स्तर है, वह इतना कम है कि इसके कारण से जिस ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हम उस उत्तरदायित्व को निभा सकते है। उसके निभाव में हमारे सामने कई कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। मैंने इस कट मोशन के द्वारा मांग की थी कि इसका वेतन स्तर कितना हो, कितने की आवश्यकता है, राजस्थान सरकार कितना कर सकती है। इस पर आप वैसे विचार न करें पर तुरन्त एक कमीशन नियत करें जो सारे आस्पेक्ट्स को सामने रखकर इस बात पर निर्णय दे कि हमारी परिस्थितियों के अनुसार, नागरिकों की परि-स्थितियों के अनुसार उनकी आवश्यताओं के अनुसार कितना वेतन स्तर होना चाहिये? और किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई, इसका मुझे अफसोस है। बल्कि यह कह कर कि दूसरी स्टाटों से राजस्थान में वेतन स्तर कम नहीं है, इस तरह कहकर इस ढंग से इस प्रश्न को बन्द किया गया है कि भविष्य में हमारी सरकार जो वेतन स्तर उनका है उसमें किसी प्रकार का कोई विचार करने का भी वादा नहीं करना चाहती।

सभापति महोदय, एक प्रश्न आया था एम्प्लोयमेंट के बारे में। मुझे माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने जो इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी या जो बताया कि राजस्थान सरकार शिक्षित बेकारों की बेकारी दूर करने के लिये प्रयास करने जा रही है इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षित बेकारों की कमी होगी। पर प्रश्न एक आता है कि आज जो शिक्षित बेकार बढ़ते जा रहे हैं उस बढ़ने के अनुपात के आधार पर हमारी राजस्थान सरकार उन शिक्षित बेकारों को धन्धा दे रही है या नहीं। अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आंकड़े यदि इस बात के इकट्ठे किये जावें, राजस्थान सरकार ने उस रूप से आंकड़े इकट्ठे किये होंगे, करती भी होगी, कि एक वर्ष में शिक्षित बेकार कितने निकलते हैं और उस वर्ष में राजस्थान सरकार कितने बेकारों को धन्धा देती है तो इस पर्सेन्टेज की यदि तुलना की जावे तो विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि शिक्षित बेकारों की वृद्धि ज्यादा होती है और उसकी तुलना में उन लोगों को हम बहुत कम धन्धा देते हैं। और इसके कारण से आज शिक्षा जहां एक तरफ हमारी बढ़ रही है, वहां बेकारों के लिये भी यह शिक्षा एक प्रकार का भार बनती जा

(श्री भैरोंसिंह)

रही है। मैं नहीं कहता कि लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिये, पर साथ साथ यह व्यवस्था भी करनी है जिसके लिये मुझे कहना है कि जो अनपढ़ बेकार हों, वे अनपढ़ बेकार यदि शिक्षित बेकारों में कन्वर्ट हो जावें तो इसके द्वारा हम किसी प्रकार बेकारी को दूर नहीं करेंगे, उसी रूप से बनी रहेगी। इसके वास्ते सरकार को चाहिये कि राजस्थान में शिक्षित बेकारों की बेकारी दूर करने के लिये हर इफेक्टिव मेजर्स को अपनाने के लिये और भी व्यवस्था करें, जो मेजर्स उसने अब तक लिये हैं वे इफेक्टिव नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री महोदय ने जो चर्चा की उसमें यह सन्तोष नहीं हो सकता कि बेकारी को दूर करने के लिये ऐसे कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं जो किसी भी प्रकार से लाभदायक हो सकते हैं।

दूसरी बात खरीद फरोख्त के सम्बन्ध में आई। मैं ऐसा समझ कर चल रहा था कि आज के दिन इन कट-मोशन्स के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के मुख से जो शिक्षा मंत्री भी हैं, इस प्रकार के शब्द निकालने के लिये, ऐतिहासिक दिन होगा कि राजस्थान में और खास तौर से शिक्षाविभाग के उच्चाधिकारी, जिनके खिलाफ कुछ जांचें चल रही हैं, काफी अर्से से जांच हो रही है उनके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने कोई निर्णय किया होगा, इसकी सूची आज इस कट मोशन के द्वारा या इस डिमान्ड के द्वारा सदन को दी जा सकेगी। पर मुझे अफसोस और दुःख है कि चाहे कितनी ही बार उन जांचों के सम्बन्ध में सदन में कहा जावे या बाहर किया जावे, प्रश्न पूछे जावें, कुछ भी किया जावे केवल एक उत्तर मिलता है और वह उत्तर किसी भी प्रकार से किसी को सन्तोष नहीं दे सकता। पर एक मांग करने वाले व्यक्ति की जबान बन्द करने के लिये प्रयत्न हो सकता है। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं वही मुख्य मंत्री भी हैं, वे इन्क्वायरी कराने में कराने के बाद निर्णय देने में और निर्णय लेकर, जो अधिकारी दोषी हैं, उन को कड़े से कड़ा दण्ड देने में उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं हो सकती है। अब यदि यह माना जावे कि शिक्षा विभाग में भी जो इन्क्वायरी सालों से चल रही है, वह ५६, ५७ तक कंम्पलीट न हो, आज तक कंम्पलीट न हो, उसमें जो इन्क्वायरी हुई है उस पर क्या निर्णय सरकार ने लिया है? वह आज तक रखा न जा सके बल्कि उसकी मियाद निरन्तर बढ़ती रहे और वे अधिकारी जिन्होंने गड़बड़ी की है, खुले आम दूसरी जगह जाकर काम करते रहें यह सारी इस प्रकार की व्यवस्था है जिससे हम खरीद-फरोख्त के मामलों में कोई सुधार नहीं कर सकते। उन्होंने एक छोटी सी बात कहकर प्रश्न को उड़ाना चाहा कि इन खरीदों के नियम जुदा हैं। मैं मानता हूं कि अलग अलग विभागों की खरीद के नियम जुदा होंगे पर इस प्रकार के नियम शिक्षा-विभाग की या सारी ही विभागों की खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में भी हो सकते हैं। वे भी छोटे मोटे नियम हैं। पर उनका पालन होता है या नहीं, यह देखने वाला भी कोई है?

हम एक सेन्ट्रल पर्चेजिंग ऑर्गेनाइज़ेशन यदि नहीं बना सकते तो कम से कम हम अलग अलग विभागों के अन्दर और कुछ ऐसी सामग्रियों के लिये जो हर स्कूल में चाही जाती हैं, जिसकी हर कॉलेज में आवश्यकता है उनकी खरीद के लिये हम

(श्री भैरोंसिंह)

एक एक विभाग का एक सेन्ट्रल पर्चेजिंग आर्गेनाइजेशन बना सकते थे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। मैं तो यह कहता हूं कि जिस प्रकार से हमने भिन्न भिन्न कामों के लिये हर डिपार्टमेंट में कई तरह के डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर बना रखे हैं, कई एडिशनल डाइरेक्टर बना रखे हैं उनके साथ एक डाइरेक्टर या डिप्टी-डाइरेक्टर या एडीशनल डाइरेक्टर इस खरीद-फरोख्त के लिये भी हर विभाग में बना सकते हैं। आप उनको कह दें कि वे सारे विभाग की खरीद-फरोख्त की व्यवस्था करते रहेंगे। अगर कभी कोई घोटाला या गड़बड़ी या गलती उस वक्त पाई भी जावे तो एक आदमी को तो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं ऐसी हालत में। इससे व्यवस्था भी ठीक होगी, नहीं तो आज एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहते हैं और इसी में उस गड़बड़ी का पता ही नहीं लग पाता और असली कल्प्रिट छिप जाता है। अब अलग अलग इन्सपेक्टोरेट में खरीदी की जावे तो उसमें अगर घोटाला होता है तो उसमें न सरकार का ध्यान जा सकता है, न उनके सामने मामला रख सकते हैं। एक स्थान में ये सब चीजें होंगी तो ठीक तरह से व्यवस्था हो सकेगी। अब फर्नीचर के मामले में शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि यह फर्नीचर एक स्थान से नहीं खरीदा जा सकता। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान में सभी शिक्षाणालयों में फर्नीचर की आवश्यकता होती है। इसके सम्बन्ध में मैंने यहां तक शिकायत की थी कि बुकसेलर्स फर्नीचर के कोटेशन्स देते हैं। जब कि फर्नीचर वे सप्लाई कर सकते हैं और आज करते भी वे ही हैं। पर इन बुक्सेलरों की मार्फत करना पड़ता है, तो वे सप्लाई करते हैं जिनकी कोटेज इन्डस्ट्रीज हैं। पर उन लोगों को सीधा चान्स नहीं मिलता। वे बुकसेलर जो कुछ मैगनीच्यूड मैग्नेट्स होते हैं इसकी भी सारी सामग्री सप्लाई करने की किसी ने, किसी प्रकार से तरकीब लगाकर उस फर्नीचर के टेन्डर भी अपने नाम मन्जूर करा लेते हैं और वह सामान फिर धीरे धीरे सप्लाई करते रहते हैं। वे समय पर भी और अच्छा ठीक सामान भी सप्लाई नहीं कर पाते। इसकी बीसियों शिकायतें आये दिन होती रहती हैं। तो इन वास्तविकताओं की दृष्टि में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बातें कहीं, मुझे उनसे किसी प्रकार से भी इन बातों के बारे में सन्तोष नहीं होता।

उन्होंने एक बात मुख्य रूप से कही है जिस पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जल्दी ही कुछ विचार कर निर्णय लेंगे, वह बात यह कही कि एज्युकेशन सर्विस की स्थापना वे करने जा रहे हैं। इससे मेरा विश्वास है कि उन लोगों को जो इन्टेलीजेन्ट हैं उनकी इन्टलीजेन्स का शिक्षा विभाग में अच्छा उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में यह कदम काफी कारगर सिद्ध होगा। उनकी इन्टेलीजेन्स का पूरा पूरा लाभ भी इससे राज्य को मिल सकेगा। मैं कहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लें।

फिर जो कुछ भी उत्तर मुझे मिला है और जिन कारणों से मैंने अपना कट मोशन मूव किया था उसको उनके उत्तर से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता है। इसलिये मैं अपना कट मोशन सदन की सम्मति के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

Page No.87

श्री सभापति : प्रश्न यह कि जो कटौती प्रस्ताव (१५ से १८) श्री भैरोंसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

श्री मूलचन्द डागा : I beg leave of the House to withdraw my cut motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव (संख्या १६ व २०) श्री मूलचन्द डागा ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री मूलचन्द डागा : I withdraw my cut motion.

श्री सभापति : श्री चन्द्रसिंह यादव।

श्री चन्द्रसिंह यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इज़ाज़त चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह कि जो कटौती प्रस्ताव (संख्या २१) श्री चन्द्रसिंह यादव ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्द्रसिंह यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७ मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा की मांग को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या ४६ शीर्षक ३६ जनस्वास्थ्य

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा, स्वास्थ्य मन्त्री की ओर से) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं० ४६ मुख्य शीर्षक ३६—जन स्वास्थ्य के संबंध में ३१ मार्च १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,०१,००० रु० तक की राशि और प्रदान कीजावे।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री जगदीशप्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे :

२२. कि मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक ३६ (२) में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्राम जल योजना के कार्य पर विचार करने के लिये)

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी : २३. कि मांग सं० ४६ मुख्य शीर्षक ३६ जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध में विचार विनिमय हेतु)

श्री पी० के० चौधरी प्रस्ताव करेंगे

24. "That the Demand No XLIX - Major Head- 39 Public Health to be reduced by Rs. 100/- (to discuss the creation of additional posts for taking up of Urban water Supply Schemes)

(श्री सभापति)

25 "That the Demand No. XLIX Major Head - 39 public Health be reduced by Rs. 100/- (to discuss the delay in the execution of water supply scheme for Kishangarh Renwal village).

श्री भीमसेन प्रस्ताव करेंगे : 26. "That the amount under Head 39. public Health be reduced to Rs. 100/- (to discuss the supply of drinking water in rural areas of Bikaner District).

" That the amount under Head 39. puplic Health be reduced to Rs. 100/- (to discuss drinking water problem in Lunkaransar-Runia Bas village of Bikaner District).

श्री भैरोंसिह (श्री माधोपुर) **प्रस्ताव करेंगे :** २८. कि मांग सं० ३६ मुख्य शीर्षक ३६ जनस्वास्थ्य भाग (१) में १) रु० की कटौती की जाय (जल प्रदाय योजनाओं का चयन आवश्यकता के आधार पर न करने के कारणों पर वाद-विवाद करने के लिये)

२६. कि मांग सं० ४६ मुख्य शीर्षक ३६ जन स्वास्थ्य भाग (२) में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम्य जल प्रदाय योजनाओं के खर्चे पर वाद विवाद के लिये)

श्री लक्ष्मीचन्द प्रस्ताव करेंगे : ३०. कि मांग सं० ४६ मुख्य शीर्षक ३६ जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (जैसलमेर व बाडमेर के ग्रामों में पानी पीने के लिये बेरे खोदे जाने पर विचार करने हेतु)

श्री मूलचन्द डागा प्रस्ताव करेंगे : ३१. कि मांग सं० ४६ मुख्य शीर्षक ३६ जन स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (देहाती (पाली जिला) पानी पीने की व्यवस्था में असंतोष तरीके व धनराशि के वितरण पर विचार करने के हेतु)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है :

"मांग संख्या ४६ मुख्य शीर्षक ३६ (२) में १००) रु० की कटौती की जाये (ग्राम जल योजना के कार्य पर विचार करने के लिये) ।" सभापति महोदय,

राजस्थान में गांवों के अन्दर पानी की समस्या जिस प्रकार से पहले थी। उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज भी उसी अवस्था में है और इसलिये सरकार ने यह १२ लाख रुपये की मांग और की है। पहले हमारी सरकार ने एक दूसरी योजना बनाई थी राजस्थान के गांवों में पानी देने के लिए और उस योजना में सरकार ने अपना धन देकर एक स्वतन्त्र रूप से, एक बोर्ड का निर्माण किया था। इस बोर्ड का नाम था राजस्थान ग्राम जल बोर्ड। इस ग्राम जल बोर्ड के कार्यों के सम्बन्ध में हमारी विधान सभा में काई बार प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। और पिछली बार बजट अधिवेशन में जयपुर नगर के जौहरी बाजार क्षेत्र से चुनकर आये हुए माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कुछ बातें बताईं थीं और उन्होंने कहा था कि तत्कालीन राजस्थान के जो मुख्य सचिव थे

Page No.89

(श्री जगदीश प्रसाद माथुर)

उन्होंने इस राजस्थान ग्राम जल बोर्ड के मंत्री के सम्बन्ध में जांच करने के आदेश दिये हैं और सारे जलबोर्ड के कार्यों के सम्बन्ध में ८० लाख रुपये का घोटाला हुआ है, ऐसी बात पिछली बार इस सदन में कही गई थी। इस सम्बन्ध में कई बार उनकी जांच करने के मौके मिले। लेकिन जितने भी इस बोर्ड ने कार्य किये हैं। उनके बारे में इस प्रकार की सूचना मिली है कि जलबोर्ड की ऐसी निश्चित शर्त थी कि ऐसे गांवों में जहां कम से कम ८० घर होंगे उन गांवों में जलबोर्ड की ओर से कुंए बनाये जायेंगे लेकिन इस प्रकार की चीज देखी गई कि जहां केवल एक व्यक्ति का घर था उस स्थान के ऊपर भी जलबोर्ड ने कुंए बनवाये।

श्री भीमसेन : I think there is no qurum in the House.

(गणपूरक घंटी)

(अनेक माननीय सदस्यों ने सदन के प्रांगण में प्रवेश किया)

श्री सभापति : जारी करिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : राजस्थान जलबोर्ड के रुपये का इस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है। मैं यह बता रहा था कि जलबोर्ड की यह निश्चित शर्त थी कि जहां ८० घरों की आबादी होगी वहां कुंए बनाये जायेंगे। लेकिन इस प्रकार की ढाणियां हैं जहां केवल एक या दो घर हैं इस प्रकार के स्थानों पर भी कुंए बनाये गये हैं। इसके अलावा जितने भी जलबोर्ड का पुराना हिसाब है वह आज तक पूरा नहीं हो सका है। हमारी सरकार द्वारा बार बार इस प्रकार के आश्वासन देने के बाद जलबोर्ड भंग कर दिया गया है। लेकिन वह भंग इसलिए किया गया कि जलबोर्ड को जिस उत्तरदायित्व के साथ काम दिया गया था उस तरह से वह काम नहीं कर सका है। उसके अन्दर इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं जिसके कारण सरकार को मजबूर होकर जलबोर्ड को समाप्त करना पड़ा। लेकिन जलबोर्ड को समाप्त कर देना ही कोई समस्या का हल नहीं है। आज भी सरकार का बहुत सा रुपया जो इस अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वीकृति दे रही है। यह यह उन कुंओं के लिए दिया जा रहा है जिनमें जलबोर्ड का पहले रुपया लग चुका है। और अब उन पर सरकार का और रुपया लगाकर उनको पूरा किया जायेगा। तो अब सवाल एक आता है कि जलबोर्ड ने जो रुपया खर्च किया उसका हिसाब कहां पर है? जो सरकार की ओर से रुपया दिया जाने वाला है और पहले का रुपया जो जलबोर्ड से मिला है तो जब तक पिछला हिसाब जो है उसका पूरा रेकॉर्ड न हो कि कितना रुपया लग चुका है और अब कितना देंगे, यह निश्चित योजना हमारी सरकार के पास नहीं है।

अब सरकार ने गांवों में रुपया बांटने के लिए एक योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान के जिलों को ४ भागों में बांटा है। इसमें कुछ जिले तो इस प्रकार के हैं कि जो रेगिस्तानी जिले हैं, दूसरे नम्बर पर वह जिले आते हैं जो कि सेमी डेजर्टेड हैं, तीसरे नम्बर वह जिले हैं जो कि पहाड़ी हैं और चौथे वह जिले हैं जो कि इनके बीच के स्थान हैं। इन जिलों के विभाजन पर जो रुपये का अलॉटमेन्ट किया है उसके कारण से बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं। पहले सरकार ने जो डिविजन किया है वह बिलकुल गलत किया है। सरकार ने

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

झुंझुनूं जिले को सेमी डेजर्ट में शामिल किया है। झुंझुनू और सीकर जिले की जैसे फतेहपुर या लक्ष्मणगढ़ तहसील हैं यह स्थान ऐसे हैं कि जो बिलकुल ही डेजर्टेड हैं और जहां कुंए १००–१५० फीट गहरे होते हैं। और इन स्थानों को जो सेमी डेजर्ट एरिया में शामिल किया है। इससे उनको नुकसान होगा और पैसा कम मिलेगा। इनका जो अलॉटमेन्ट हुआ है वह बिलकुल गलत है। हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी की ओर से यह प्रस्ताव भेजा था कि राजस्थान सरकार ने जो ज़िलों का विभाजन किया है वह गलत रूप से किया है जो डिमार्केशन किया है इन चार केटेगरीज में सरकार उस पर पुनः विचार करे और विचार करके रुपये का ठीक प्रकार से वितरण करे। वरना क्या होता है कि जैसे भरतपुर जिला है, उसको भी सीकर झुंझुनू सब को एक ही कैटेगरी में लेने के कारण बहुत दिक्कत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं की सीकर, झुंझुनू आदि स्थानों पर कुंओं में पानी १००–१५० फीट गहरा मिलता है और भरतपुर की तरफ पानी कुंओं में ३० फीट गहरा ही मिल जाता हैं। आपने नागौर, रूचू सीकर झुंझुनू जिलों को सेमी डेज़र्ट माना है, जब कि इन जिलों में पानी की समस्या ज्यादा है और यह ज्यादा रेगिस्तानी हैं। इस केटेगरी में इन जिलों को लाने से जो पानी की समस्या हल करनी चाहिये थी वह हल नहीं होगी। क्योंकि जहां तक गांव में पानी की समस्या है, वह इन जिलों में ज्यादा है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, पाली और इन जिलों को इस केटेगरी में डालने से रुपया कम जायेगा। तो आज़ भी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट कमेटी की मीटिंग होती है तो हमें आश्चर्य होता है कि लगभग सैकड़ों दख्वास्तें इस नाते से रिजेक्ट करनी पड़ती हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है जब कि गांव वाले आधा रुपया लगाने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूं कि कमेटी में ऐसी एप्लीकेशन्स ज्यादा आती हैं जिनमें गांव-वाले आधा रुपया लगाने के लिए तैयार हैं। वहां पर उस जिले के अन्दर एक कुंआ बनाने में ८,००० रु० खर्च होता है और इसमें से ४,००० रुपया गांव वाले देने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी हम उनको रुपया नहीं दे सकते। जिन जिलों में १,००० रु० में कुंआ बन जाता है उनके लिए भी सरकार उतना ही रुपया देती है जितना कि उन गांवों में देती है। जिनमें कि ८,००० रु० में कुआ बनता है। इस प्रकार से जो आपने विभाजन कर रखा है और जिसके आधार पर १२ लाख रुपयों का वितरण करना है, उसकी प्रणाली बिल्कुल गलत है। इस कारण इस रुपये का उपयोग ठीक प्रकार से और उचित ढंग से नहीं हो सकेगा। इसलिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन है कि भविष्य में जो योजना बनायें उसके अन्दर पहले जो इन डिस्ट्रिक्ट का डिविज़न किया है उसको खत्म करके, नये ढंग के डिस्ट्रिक्ट का डिविज़न करें और फिर उनमें रुपयों का वितरण करें।

इसके अलावा जो धनराशि आप खर्च कर चुके हैं उस धनराशि की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जांच नहीं तो कम से कम जो कुंए जल बोर्ड द्वारा दी गई राशि से बने हैं और अब उनको और सरकार द्वारा रुपया देना चाहते हैं उनकी तो जरूर ही जांच होनी चाहिए। उनको सरकार को रुपया जब देना चाहिए जब कि पिछला सारा

Page No.91

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हिसाब उनका क्लियर हो जाये और उसकी जांच वहां के तहसीलदार द्वारा हो। अब तो रुपया तहसील रेवेन्यू एजेन्सी के जरिये दिया जाता है। इसलिए जब तक उस पैसे की जो कि जलबोर्ड द्वारा दिया गया था उसकी पूरी तरह से जांच नहीं हो जाये तब तक हम डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी द्वारा जो रुपया दिया जाने वाला है वह रुपया नहीं दिया जाये और इस सारी योजना पर पुनः विचार करें इसलिए ही मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक, जनस्वास्थ्य के सम्बन्ध में अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं गांव में पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध में कुछ सुझाव सरकार को देना चाहती हूं।

यह निर्विवाद है कि पानी की आवश्यकता मनुष्य के लिए जीवन से भी अधिक होती है। लेकिन हमारा प्रान्त इस मामले में प्रकृति का बड़ा कृपापात्र नहीं रह सका, और पानी के अभाव वाला प्रान्त रहा है। जो कुछ भी प्रकृति से हमको मिला है उसी को अपने साधनों से और सुविधाओं से हम संचित करके अपने उपयोग में लाने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए प्रयत्न किया है और इसी उद्देश्य से जल बोर्ड बनाया गया जिसके विषय में अभी तक माननीय सदस्य ने थोड़ा सा बतलाया। इसके लिए सरकार ने एक अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड नाम की संस्था का गठन किया था जिसका काम था कि पीने के पानी का पता लगाये कि किस जगह पानी है और उस पानी का उपयोग जनता को लोगों को मिल सके इसकी कोशिश करें। इसके अतिरिक्त कुंओं को अच्छा करना, बोर या होल्स या दूसरे दूसरे साधनों से जनता को पानी की सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है; इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी सरकार की ओर से जो प्रयत्न होते हैं उसका पूरा पूरा लाभ जनता को मिले इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जल बोर्ड ने अपने उद्देश्य को बहुत कुछ पूरा नहीं किया। खैर, जो पैसा या धनराशि उनको जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मिली हुई थी वह कुछ लोगों के निहित स्वार्थ-सिद्धि में चली गई, और वही स्वार्थसिद्धि अन्त में जलबोर्ड को लेकर डूबी। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का भी यही हाल रहा।

श्री सभापति : (Quorum is not complete) आप स्थान ग्रहण कीजिये। The Member-in-charge should see that the quorum is complete.

डॉ० चंद्रकला : पीने के पानी की व्यवस्था बहुत जगहों पर की गई है लेकिन अधिकतर जो विकास क्षेत्र में आते हैं उन जगहों में कुए बनाये गये और भी तरह के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन दूसरी कई जगहें ऐसी हैं जो कि विकास क्षेत्रों में नही आती हैं वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं दूसरी जगह की बात नहीं कहती हूं। मुझे बहुत थोड़ा अनुभव है इन गांवों का। वह हिस्से जो कि शहर से मिले हुए हैं और म्युनिसिपेलिटी ने बिना गांव वालों की जान-

(डॉ० चन्द्रकला)

कारी के उसको अपने क्षेत्र में मान रखा है। और गांव वाले यह समझते हैं कि वह गांव में है और गांव की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से या जो कोई भी व्यवस्था गांव में होगी उसकी ओर से पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। गांवों की पंचायत ने नगरपालिका को सौंप रखा है इसलिए वह निश्चिन्त हो जाती है। मेरे स्वयं के क्षेत्र में ऐसे कई उपग्राम हैं या उपनिवेश हैं कि जहां पर पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। वे उपनिवेश हैं ही, क्योंकि छोटी छोटी बस्तियां हैं। जिनको कुछ दिन चाहे जब म्युनिसिपेलिटी अपने अधिकार में सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन के जरिये कर देती है। तब तो म्युनिसिपेलिटी पर कर्जा होता है और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उनको पानी देने में असमर्थ हो जाती है। और जब फिर वहां से निकल कर पंचायत के क्षेत्र में जाते हैं तो उधर भी उनको न गांव का फायदा मिलता है और न शहर का हिस्सा होने का फायदा मिलता है और वहां पर उनको पीने के पानी की बहुत तकलीफ होती है। मुझे सिर्फ यह कहना है कि जब पीने के पानी की व्यवस्था या जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से पानी की व्यवस्था पर विचार किया जाय उस समय सब जगहों का विचार किया जाय। क्योंकि पानी की जरूरत अमुक को हो और अमुक को नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जब हमारी सरकार इस तरह की व्यवस्था करने जा रही है, जिलाधीशों के द्वारा, तहसीलदारों के द्वारा, यह राहत देकर कुंओं के द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे तो यह ख्याल रखें कि भुक्तभोगी होने के नाते मैं बताना चाहती हूं कि कलेक्टर साहब से कहती हूं तो बताते हैं वह हमारे क्षेत्र में नहीं आती हैं और यह नगरपालिका का काम है तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूं कि आप नगरपालिका को सलाह दें कि गांव को अलग कर दें और ग्राम पंचायत बना दें ताकि कम से कम उनको पीने के पानी का आराम तो हो। लेकिन यह बात नहीं होती है तो सरकार कम से कम उन क्षेत्रों का या जहां पर इस तरह के लोग हैं उन सब के पीने के पानी की व्यवस्था का ध्यान रखे तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, इस डिमान्ड पर मेरे दो कट मोशन्स हैं and I take them to be moved. सभापति महोदय, मेरा पहला कट-मोशन है वह क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स के बारे में है यह जो डिमान्ड रखी गई एक टोकन डिमान्ड है for creation of additional posts for taking over urban weter supply जहां तक गवर्नमेंट का अर्बन वाटर सप्लाई के सम्बन्ध में अर्जेन्सी का सवाल है, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ शंका है कि सिर्फ पोस्ट्स क्रियेट करने से अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम जो है वह टेक ऑवर नहीं हो जाती है, और सिर्फ पोस्ट्स क्रियेट करने से गवर्नमेंट यह महसूस करती है अर्बन वाटर सप्लाई की अर्जेन्सी; वह साबित नहीं होती है।

आज राजस्थान के कई शहरों में हम देखेंगे कि वाटर सप्लाई की कन्डीशन्स काफी खराब है। आप बीकानेर में देखेंगे कि इस साल समर में ऐसे कई दिन लगातार गये हैं जब कि लोगों को एक बूंद भी पानी का नहीं मिला है और उससे गवर्नमेंट के खिलाफ या पार्टी इन-पावर के खिलाफ लोगों में काफी एजीटेशन होता है। मैं तो इस सम्बन्ध में ज्यादा डिटेल्स में न जाकर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा। मेरे खुद की

Page No.93

(श्री० पी० के० चौधरी)

कॉन्स्टिट्यूएन्सी है जहां वाटर सप्लाई स्कीम के सम्बन्ध में गवर्नमेंट कितनी अरजेन्सी महसूस करती है, वह साबित होता है। साँभर में जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसके सिलसिले में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने २८. ६. ४७ को....

श्री सभापति : You are referring to Sambhar ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir.

श्री सभापति : But you have only mentioned "to discuss the delay in the execution of water supply schemes for Kishangarh-Renwal village"

श्री पी. के. चौधरी : That is the other one.

श्री सभापति : And in the first you have to discuss creation of additional posts for taking up of urban water supply schemes.

श्री पी. के. चौधरी : So I am talking about creation of additional posts for taking over of urban water supply schemes. My contention is that.........

श्री सभापति : It should not be a general debate.

श्री पी. के. चौधरी : No, no. It is not going to be a general debate.

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ पोस्ट्स क्रियेट करने से अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम टेक-ओवर नहीं होती है और उसके लिए गवर्नमेंट कितनी अरजेन्सी महसूस करती है, और सांभर का जो है वह मैं एक इन्स्टान्स के रूप में ले रहा हूँ। उसमें आप देखेंगे तो यह महसूस करेंगे कि गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में कितनी अरजेन्सी फील करती है, उसकी इनफॉर्मेशन आपके सामने पेश कर रहा हूं। जून १९४७ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एप्रूव किया है वन-थर्ड अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए सबसिडी देने के लिए।

उसके बाद सांभर शामलात के लगभग साढ़े तीन लाख रुपये थे जो जयपुर स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त हुए थे, उनमें से जयपुर गवर्नमेन्ट ने डेटेड ५-४-१९४८ के लैटर के ऑर्डर में २।। लाख रुपये मंजूर किये और २२-३-४८ को जोधपुर गवर्नमेन्ट ने इस स्कीम के लिये ३३ हजार रुपये मंजूर किये थे, और कंट्रिब्यूट किये थे लेकिन इस वाटर सप्लाई स्कीम के रुपयों का क्या हुआ? ढाई लाख रुपये और जोधपुर गवर्नमेन्ट ने ३३ हजार रुपये दिये उनका और जनरल मेनेजर साल्ट्स ने १० हजार रुपये दिये उन सबका क्या हुआ, इसका पता नहीं है। इसके बाद में सांभर म्युनिसिपेलिटी ने लोन मांगा था गवर्नमेन्ट से वाटर सप्लाई स्कीम के लिए आज जो लोन सेंक्शन हुआ टेक्निकली, लेकिन उसके लिये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नहीं मिल रही है, क्रीएशन ऑफ पोस्ट्स की सेंक्शन नहीं मिलती है। तो यह सेंक्शन गवर्नमेन्ट को देने की बात है। आज १० साल से यह स्कीम पड़ी हुई है, रुपये भी अलॉट हो चुके है। सांभर शामलात के रुपये थे उनका पता तक नहीं है कि किसके हाथ में वे रुपये हैं, गवर्नमेन्ट की ट्रेजरी में हैं या किसी ने उठा लिये हैं, इसका पता नहीं। उसके बाद भी म्युनिसिपेलिटी ने लोन लिया, उसकी टेक्निकल सेंक्शन ४ साल पहले हो गई लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन का पता नहीं कब तक

(श्री पी० के० चौधरी)

पोस्ट क्रीएट होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन मिल जायगी ? लेकिन मैं जानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन पोस्ट के लिये नहीं मिलती है। उसके लिये गवर्नमेन्ट को खुद को सेक्शन देनी चाहिये। सिर्फ पोस्ट क्रीएट करने से वाटर स्कीम टेक ओवर नहीं होती है। उसके लिये गवर्नमेन्ट को खुद को जागरूक होना चाहिये, और जहां जहां म्युनिसिपेलिटीज लोन लेकर वाटर वर्क्स बनाना चाहती है, उनको प्रिफरेन्स देनी चाहिये, वाटर वर्क्स खोलना चाहिये।

दूसरा मेरा कट मोशन किशनगढ़-रेनवाल के लिये है। वह कभी से एप्रूव हो गई। तीन, चार साल हो गये एप्रूव हुए, उसका वन-थर्ड खर्चा प्राइवेट व्यक्ति ने दिया है। सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिये कंडीशन रखी गई थी कि वन-थर्ड गांव वाले देंगे तो बाकी गवर्नमेन्ट देगी। इसलिये प्राइवेट आदमी ने वन थर्ड कंट्रिब्यूट किया, गवर्नमेन्ट की सेंक्शन भी हुई लेकिन प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कुआ नहीं खोदा गया, न पम्प लगाया गया। इसलिये इन कट मोशन्स के द्वारा मैं गवर्नमेन्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दोनों स्कीम्स को इम्प्लीमेन्ट करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : चेयरमैन महोदय, मेरा मांग संख्या ४६ के ऊपर पहला कट मोशन जो है, बीकानेर जिले में पानी की व्यवस्था करने के लिये है।

चेयरमैन महोदय, बीकानेर जिला हमारे राज्य का रेगिस्तान का हिस्सा है। यह ऐसा हिस्सा है जिसमें ३०० फीट या ४०० फीट की गहराई पर जाने से पानी मिलता है। चेयरमैन महोदय, यहां पर नल लगाने के सम्बन्ध में..........

श्री आबिद अली : On a point of information, Is the quorum complete ?

(एक माननीय सदस्य का प्रांगण में प्रवेश)

श्री सभापति : The quorum is just walking in. It is complete now.

श्री भीमसेन : चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बीकानेर जिला रेगिस्तान का जिला है और उस जिले में कम से कम ६०० गांव हैं, उन गांवों के लिये, हम शहरों की बात करते हैं। जहां नल और बिजली लगाने की बातें करते हैं। लेकिन हमारे जिले के गांव ऐसे हैं जहां पर १० मील या १५ मील की दूरी से पीने के लिये भी पानी लाना पड़ता है और वहां की हर फेमिली में से कम से कम एक आदमी पानी मुहैया करने में लगा रहता है। इस तरह की जहां व्यवस्था है वहां आजादी का क्या मूल्य हो सकता है? हमारे रेगिस्तान में रहने वालों को पानी जैसी अमूल्य चीज़ मिल सके तो वे स्वाधीन होने का आनंद ले सकते हैं।

मैं जल बोर्ड के बारे में बतलाना चाहूँगा। जिस समय जल बोर्ड का गठन हुआ था उस समय हमारे ज़िले के लोगों ने बड़े साहस और हिम्मत से कॉन्ट्रिब्यूशन दिया था हालांकि ऐसी हालत उनकी नहीं थी कि एक तिहाई कंट्रिब्यूट कर सकें। लेकिन उनके लिये पानी की समस्या ऐसी गंभीर समस्या है कि उन लोगों ने भूखों मरना कबूल करके भी एक तिहाई कंट्रिब्यूट किया और इस तरह से ५ लाख रुपये उन्होंने इस काम के लिये कंट्रिब्यूट किये। लेकिन चेयरमैन महोदय, जल बोर्ड

(श्री भीमसेन)

किसी कारण से एबॉलिश किया और हमारे ज़िले के जो काम अधूरे छूट गये उनकी तादाद ८०,६० है। उन अधूरे कामों के कारण वहां की जनता में सरकार के प्रति बुरी भावना बनती जा रही है। इसलिये सरकार यदि उस तरफ की पब्लिक के लिये अधूरे कामों को पूरा करने के लिये फंड अवेलेबल करे तो मैं समझता हूँ कि वहां के लोगों की पानी की समस्या हल हो सकती है।

हमारे बीकानेर ज़िले की डेवेलपमेन्ट कमेटियों ने पिछले साल ५ लाख रुपयों की मांग की थी और कहा था कि कम से कम ५ लाख रुपये मिल जावें तो जल बोर्ड के द्वारा छोड़े हुए जो अधूरे काम हैं उनकी व्यवस्था पूरी कर सकें। सभापति महोदय, मैं आपके सामने सन् १९५३ की बात कहना चाहता हूँ। उस समय पं० हृदयनाथ कुंजरू का हमारी तरफ दौरा हुआ था और उन्होंने लूणकरणसर तहसील के लोगों के पीने के पानी की हालत देखी थी और वहां की हालत देख कर उनको बड़ा दुःख हुआ था और उनकी ज़बान से निकल पड़ा कि आज भी हिन्दुस्तान में इन्सान पानी के लिये तड़फता है। उन्होंने पंडित नेहरू से वहां के हालात बयान किये और इस कारण से राजस्थान को १ करोड़ रुपये पानी के लिये मिले लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस १ करोड़ रुपये में से बहुत मामूली हिस्सा हमारे ज़िले को मिला, जब कि १ करोड़ रुपये राजस्थान का मिलने का सारा श्रेय लूणकरणसर को है। यदि वे राजस्थान का दौरा नहीं करते और लूणकरणसर के कुंओं को नहीं देखते तो यह पैसा राजस्थान को नहीं मिलता। लेकिन आज भी लूणकरणसर के लिये किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। वह तहसील हैड क्वार्टर है और बीकानेर स्टेट के ज़माने में पीने के पानी की एक टंकी रोज भर कर वहां जाती थी और वहां के लोग एक एक घड़ा बांट कर मीठा पानी और साथ में खारा पानी मिलाकर काम चलाते थे। इस इलाके में जो खारा पानी मिलता है उसको कोई इन्सान पी ले तो वह मौत का शिकार हो सकता है। लेकिन वहां के लोग बरसात में पानी इकट्ठा करके खारे पानी के साथ मीठा पानी मिलाकर अपना गुज़र-बसर करते हैं। जहां के इन्सान पानी के लिये मोहताज हैं, वहां मैं समझता हूँ उनकी हालत कदापि अच्छी नहीं कही जा सकती।

सरकार कह सकती है कि हमने हाल ही में एक डेजर्ट कमेटी बनाई है। लेकिन कमेटी बनाने से ही समस्या हल नहीं हो जाती है बल्कि समस्या की ओर पूरा ध्यान देने से समस्या हल होती है। यदि सरकार जरूरत माफिक फंड अलॉट करे और इस समस्या को हल करने का पूरा प्रयत्न करे तो इसका समाधान हो सकता है। लेकिन आप किस तरह से पैसा हरएक ज़िले में आबादी के लिहाज से अलॉट कर देते हैं। और नहीं देखते कि किसको क्या आवश्यकता है कहां कितनी गंभीर समस्या है? और उस तरफ ध्यान नहीं दें तो समस्या का हल नहीं निकल सकता।

पूरे फन्ड्स, पूरे साधन मुहैय्या किये जायं। मैं समझता हूँ कि पिछले साल में खर्च किया गया उसका औसत निकाला जाय, तो बीकानेर ज़िले में कम औसत मिलेगा। लेकिन यह जल की समस्या सबसे बड़ी और गम्भीर समस्या है राजस्थान की। माननीय चेअरमैन, किसी एक गांव में एक कुंआ है और वहां के लोग मांग करें कि यह कुंआ हमारे यहां से दो मील

(श्री भीमसेन)

दूर पड़ता है इसलिए हमारे गांव के अन्दर दूसरा कुंआ खुदना चाहिए,मैं समझताहूं कि वहां ऐसी समस्या हो सकती है । लेकिन दूसरी तरफ ऐसी जन संख्या रहती है, जिनको १० १५ मील दूर से पानी लाना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि दोनों इलाकों में आपस में फर्क होता है । मैं समझता हूँ कि ऐसे इलाके में, जिस गांव में पीने का पानी नहीं मिलता उस गांव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए । मैं इस बात को मानता हूँ कि जिस गांव में एक कुंआ है वहां दूसरा कुआ मिल जाय, वह एक सुविधा हो सकती है लेकिन ऐसे गांव के अन्दर जहां एक भी कुंआ नहीं है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिससे वहां के लोगों को पानी जैसी अमूल्य चीज़ मिल सके इतना निवेदन करके मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उस एरिया के लिए जहां खारा पानी मिलता है वहां सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो ज़मीन में नीचे पानी है उसकी ज्योलॉजी कल सर्वे करके बता दे, कि इस इलाके में मीठा पानी मिलेगा और इस इलाके में खारा पानी मिलेगा । इससे जो लोग परिश्रम करके कुंए खोदते हैं और इतना सारा परिश्रम करके भी खारा पानी मिले तो उन्हें कितना दुःख होता होगा । इसलिए राजस्थान का वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस इलाके की ज्योलॉजीकल सर्वे करादे तो समझता हूँ कि आप लोगों को सहयोग दे सकते हैं और उनको इसके साथ ही फन्ड्स अवेलेबल करें । आपकी जो जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखते हुए उनको फन्ड्स दें, यह मेरा निवेदन है ।

श्री भैरोंसिंह : (श्रीमाधोपुर) माननीय सभापति महोदय, इस गांव के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं । पहले प्रस्ताव का सम्बन्ध है अर्बन एरिया में जो प्लेसेज़ वाटर सप्लाई के लिए सलेक्ट किये जाते हैं उस सलेक्शन के सम्बन्ध में है । सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर इस बात की जानकारी मिलती है कि सरकार कुछ क्षेत्रों के अन्दर जल प्रदायी योजनाओं के द्वारा जनता का जल कष्ट निवारण करने के सम्बन्ध में कुछ कार्य कर रही है । इससे जिन क्षेत्रों में इस योजना को कार्यान्वित किया जाता है यह बात सही है कि उन क्षेत्रों में ऐसी योजना का स्वागत होता है । जनता उनमें सहयोग भी देती है । और आने वाली आपत्तियों से बचने के लिए धन एकत्रित करने की आवश्यकता हो तो वह भी आव-श्यकतानुसार एकत्रित किया जाकर उसयोजना में लगाया जाता है । जहां तक उन क्षेत्रों का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि किस क्षेत्र में यह योजना लागू की गई लेकिन प्रश्न एक है कि योजना लागू करने से पहले सरकार इस निर्णय पर किस प्रकार से पहुंचती है कि अमुक क्षेत्रों में हमको यह योजना लागू करनी है ?

आज यह निर्विवाद रूप से स्वीकार करने जैसी बात है कि राजस्थान में जल कष्ट है । गर्मियों के दिनों में जयपुर शहर के अन्दर देखा जाय तो जिस राजस्थान का नकशा, जिस राजस्थान की स्थिति, राज-स्थान में जल का अभाव, इन चीजों का ज्ञान राजस्थान के एक कोने जैसलमेर जाने पर हो सकता है, वह गर्मियों के दिनों में जयपुर शहर के जौहरी बाज़ार में और सबसे ज्यादा क्राउडेड स्ट्रीट गोपालजी के रास्ते में भी लग सकता है । कहनेका तात्पर्य यह है कि सरकार की ओर से जल कष्ट के निवारण हेतु जो कार्य होने

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिए वे कार्य नहीं हो पाते हैं। सभापति महोदय, जयपुर का यहां तक हाल है कि जिन बस्तियों में जहां घनी आबादी है या गरीब तबके के लोग रहते हैं उन क्षेत्रों में हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की है कि वहां पर बोरिंग किया जाकर कुछ कुंए तैयार किये जायं इस बात की चिन्ता नहीं है कि उन कुंओं में पानी खारा है या पानी मीठा है। सरकार के केमिकल एडवाइजर्स जब इस बातका सर्टीफिकेट दे देते हैं कि इस पानी का स्वाद चाहे कैसा ही हो तन्दुरुस्ती की दृष्टि से यह ठीक है, हार्नलेस है उसके बाद सरकार यह चिन्ता नहीं करती कि गर्मी के दिनों में लोगों को, खास तौर से राजधानी की जनता को और उसके साथ ही साथ राजस्थान के बड़े बड़े शहरों को मीठा पानी पीने की व्यवस्था करे।

सरकार यह व्यवस्था करती है, गर्मी के दिनों में भी करती है, लू चलने वाले दिनों में भी करती है। लेकिन वह करती है केवल सरकारी ऑफिसरों में, वह व्यवस्था केवल होती है सी स्कीम के बंगलों में या सिविल लाइन्स के बंगलों में। वहां मीठे पानी से यदि बाग बगीचों को पानी दिया जाय तो कोई चिन्ता नहीं। जयपुर के एक कौने में मीठा पानी न मिले दूसरी तरफ चूंकि सरकारी ऑफिसर हैं और वे लोग रहते हैं जो पैसे वाले हैं। वे आज मीठे पानी का दुरुपयोग भी करते रहें तो हमारी सरकार उसको बर्दाश्त करती है, अच्छी बात है। लेकिन पानी का प्रश्न आज यदि गंगापोल के रास्ते की तरफ कोई जाकर देखे गर्मियों के दिनों में कोई चला जाय तो माननीय सभापति, मैं आपके द्वारा सदन को यह सूचना देना चाहूँगा कि उस मौहल्ले के अन्दर गलियों में कोई तलाश करे गर्मी के दिनों में मीठा पानी पीने को नहीं मिल सकता। एक घन्टे के लिये मीठे पानी का पाइप खोल दिया जाता है और उस एक घन्टे में कोई घड़ा भर ले तो ठीक अगर घड़ा भरने को नहीं मिले तो खारा पानी पीये। यह बात सही है कि सरकार उस समय खारा पानी खूब देती है। चाहे नाहते वक्त साबुन लगाया जाय वह साबुन उस पानी से न उतरे शरीर पर चिप जाय उस बात की चिन्ता नही है, कपड़े उससे साफ न हों उस बात की चिन्ता नहीं है, अगर बाग बगीचों में पानी दे दिया तो बाग बगीचे नष्ट हो जायं ऐसे क्षेत्रों में सरकार को चिन्ता नहीं होती सरकार केवल चिन्ता करती है धनी मानी व्यक्तियों के बंगलों की या बड़े बड़े सरकारी ऑफिसरों की जिनके हाथ में इस प्रकार की योजनायें बनाने का काम है। इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार कहा गया है कि राजस्थान की सरकार, जहां बड़े बड़े शहरों में मीठे पानी की कमी है वहां और योजनायें लागू करने से पहले कम से कम यह व्यवस्था करे चाहे वहां गरीब हो या अमीर हो, चाहे गलियों में रहने वाला हों, या सिविल लाइन्स में रहने वाला हों पैसे वाला हों, या बिना पैसेवाले, नौकरी में हों, या बेकारहो, जो कोई भी राजधानी में रहता है उसको एक अनुपात से मीठा और एक अनुपात से खारा पानी मिलेगा। लेकिन अनुपात का प्रश्न नहीं, न्याय का कोई सवाल नहीं है, गरीब चिल्लाते रहें उनकी चिन्ता नहीं है, अमीर को बिना चिल्लाने से चीज मुहैय्या होती रहे। यह सरकार का दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन केवल इतना कहने से भी मैं समझता हूं मेरे कटौती के प्रस्ताव का मतलब पूरा नहीं होगा। मैं यह कह रहा था कि सरकार उन स्थानों का चयन करती है कि किन स्थानों पर हमें योजना लागू करनी है। वह चयन करने के नियम इतने

(श्री भैरोंसिंह)

अधूरे हैं, इतने असंगत हैं, इतने अन्यायपूर्ण हैं कि कोई आदमी उनकी सराहना नहीं कर सकता है। या तो राज्य सरकार जिस वर्ष बजट तैयार हो उसके पहले कोई तारीख निश्चित करे कि हमें इस योजना के अन्तर्गत १० लाख, २० लाख रुपया खर्च करना है, कोई भी धन राशि कितनी भी हो, उतनी धन राशि खर्च करनी है। राजस्थान के कस्बों, राजस्थान के ऐसे शहरों, राजस्थान के ऐसे स्थानों, जो इस योजना के अन्तर्गत लिये जा सकते हैं, की कमियों को राज्य सरकार के सामने अमुक तारीख तक प्रस्तुत करें, बाकायद अधिकारियों से जांच करवा कर प्रस्तुत करे, उसके बाद सरकार इस बात का निर्णय लेगी कि किस क्षेत्र के अन्दर हमें पानी के बारे में व्यवस्था करनी है।

सभापति महोदय, लेकिन सरकार का कोई प्रोसीजर इस बात का नहीं। कोई व्यक्ति रिप्रेजेन्टेशन करता है कि यदि किसी क्षेत्र में इन्टेलिजेन्ट, प्रभावशाली व्यक्ति हैं राज्य सरकार पर उनका प्रभाव है और वहां हालाँ कि इतना जल कष्ट भी नहीं है जिसके कारण लाखों रुपयों का वहां खर्चा करना पड़े, वहां योजनाएं स्वीकार कर ली जाती हैं। स्वीकार ही नहीं कर ली जाती तुरन्त लागू भी कर दी जाती हैं। पिछले सालों में यही हाल सीकर और झुंझुनू का रहा। सीकर के लिये आज से ३ साल पहले राजस्थान सरकार के सामने योजना पेश की गई और झुंझुनू की आज से नहीं राजस्थान सरकार के पास ४ साल से योजना पेंडिंग में है। सीकर झुंझुनू की हालत देखें तो मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय को बताना चाहूँगा कि झुंझनू में इतनी दिक्कत आती हैं, खास कर गर्मियों के दिनों में कि कई बार नहाये बिना रहना पड़ता है।

उस शहर में, राजस्थान के उस हिस्से में जल कष्ट निवारण के लिये यदि राजस्थान सरकार के पास योजना आये और उसको राजस्थान सरकार ठुकराती रहे कि वहां के राजनीतिक कार्यालयों में आपस में मतभेद है इसके कारण कोई वहां के लिये सरकार पर प्रभाव नहीं डाल सकता, प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता उसको हमारी सरकार को चाहिये कि स्वयं लाभान्वित करे पर सरकार ऐसे क्षेत्रों की अवहेलना करती है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस बारे में बाकायदा नियम निर्धारित करें कि अमुक तारीख तक नगरपालिकाएं जहां जहां जलकष्ट हैं दरख्वास्त पेश कर सकती है, कौन अधिकारी उन दरख्वास्तों की जांच करेगा कि कहां कहां कितना कितना जलकष्ट हो सकता है, जिसके कारण कि वहां योजनाएं क्रमानुसार कार्यान्वित की जा सकती है, वहां किस हद तक जनता को, सरकार को, सहयोग देना पड़ेगा, इन सब बातों में नियम से चलें ताकि जिन क्षेत्रों में वाकई में भयंकर जलकष्ट है वहां वह जल कष्ट शीघ्र दूर किया जा सके। राजस्थान में जैसलमेर का हिस्सा है, जिसके बारे में मैंने सुना है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के एक्सपर्टस ने हमारी राजस्थान सरकार को सूचना दी है कि जैसलमेर में पानी की सतह धीरे-धीरे बहुत नीचे जा रही है; यदि तुरन्द कदम नहीं उठाया गया तो एक दिन वह भी आ सकता है कि जैसलमेर जैसे क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा। मुझे जानकारी नहीं है कि इस सूचना के देने पर राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की है पर अभी तीन चार रोज पहले एक डेपुटेशन माननीय मन्त्री महोदय से मिला था, मैंने भी उससे जानकारी

Page No.99

(श्री भैरोंसिंह)

की थी और उसके आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो पानी जयपुर के मवेशी नहीं पीते, जयपुर में ही नहीं बल्कि जोधपुर के मवेशी भी नहीं पीते, जोधपुर के ही नहीं बल्कि राजस्थान के ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है वहां भी इस तरह के गन्दे पानी को मवेशियों को भी नहीं पिलाया जाता जैसलमेर के आदमी उस गन्दे पानी को पीते हैं ! राजस्थान सरकार जहां दूसरे क्षेत्रों में लाखों रुपया खर्च कर रही है मैं निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार को कि जहां लोग ऐसा गन्दा पानी पीते हैं और इसके कारण बीमारियां मोल लेकर उनका सामना करते हैं वहां वह रुपया लगाया जाय । जैसलमेर एक दूर प्रदेश है वहां का प्रतिनिधित्व ठीक तरह से नहीं हुआ है, इसकी जिम्मेदारी प्रतिनिधित्व करने वालों पर नहीं, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां का प्रतिनिधित्व नहीं है वहां का प्रतिनिधित्व सरकार खुद करे । जो प्रतिनिधित्व मण्डल आया और सरकार के सामने मांग रखी कि सरकार के उच्च अधिकारी या मन्त्रीजी जैसलमेर जाकर जांच करें, और फिर जितना रुपया खर्च करना आवश्यक हो खर्च करें, ऐसी बात होती है तो हम उसका स्वागत करेंगे । पर यहां जो होता है राजनैतिक दृष्टि से और जो बोलता है उसको मिलता है, ऐसी नीति अख्तार की तो ऐसे धन का अच्छा उपयोग नहीं हो सकेगा ।

सभापति महोदय, सीकर जिले में ऐसे स्थान हैं जहां लोगों को पानी नहीं मिलता मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहाड़ी इलाका होने से गर्मियों में पानी नहीं मिलता । लोगों ने पिछले सालों में लगातार मांग की थी कि सरकार इन्तजाम करे, पर सुनना तो दरकिनार, जो तार दिये गये, दर्खास्तें दी गई, डेपुटेशन मिले उन पर भी सरकार ने वहां कोई जांच तक नहीं की ।

मैं तो इतना कह कर अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा कि सरकार ऐसे नियम बनाने के बाद नीति निर्धारित करे और सब लोगों को बता कर करे कि इतनी एलोकेशन्स आई, सबको सुनने का मौका देकर फिर यह तय करे कि इस क्षेत्र में इस तरह की योजना लागू करना है ।

अब दूसरा प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह है राजस्थान की ग्राम्य जल योजना । सभापति महोदय, यह कटु सत्य है कि हमने पिछले सालों में कटु अनुभव हासिल किये हैं । ग्रामों में जलकष्ट दूर करने के लिये जनता की एजेन्सी मुकर्रर की जाय तो इस समस्या का अच्छा समाधान होगा । मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि राजस्थान में जलबोर्ड बनाया तो उसके द्वारा राजस्थान में कुओं का निर्माण हुआ, कई स्थानों पर जलकष्ट दूर हुआ, नये कुंए बने, कई स्थानों पर पुराने कुंओं की मरम्मत हुई । पर अबकी बार सरकार ने जो यह निर्णय लिया है जैसा कि इस डिमान्ड में उल्लेख है कि अबकी सरकार जो योजना बना रही है वह योजना कलेक्टर की एजेन्सी से कार्यान्वित होगी तो इससे स्पष्ट है कि सरकार ने प्राइवेट एजेन्सी को आधार बनाया था उसमें कुछ त्रुटियां पाई हैं और उस अनुभव के आधार पर काफी धनराशि सरकारी मशीनरी के मार्फत लगाने की योजना सरकार ने बनाई है । ऐसी स्थिति में इस बात का विरोध करें कि सरकारी मशीनरी के मार्फत यह रुपया नहीं लगाना चाहिये तो मेरे सामने राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

जलबोर्ड का नकशा आता है, उसके बारे में कानों से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कानों से सुनने के बाद, आंखों से देखने के बाद मन्त्री महोदय को जानकारी करा देने के बाद भी सुनवाई नहीं होती तो यह मानना पड़ेगा कि नेता श्रेणी के लोगों द्वारा कुंए नहीं खुदवा कर कुंओं का रुपया पूरा का पूरा हजम कर लिया जाय, अन्यय किया जाय तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यदि इस प्रकार की स्थिति हो तो कुओं के बनाने में यदि इस प्रकार से धन का दुरुपयोग हो तो, राजस्थान सरकार का कदम ठीक है कि प्राइवेट एजेन्सी की मार्फत ऐसा काम न कराके सरकारी मशीनरी द्वारा ऐसे कुंए बनवाने की योजना रखी है। बजट सेशन में पिछले सत्र में मैंने तथ्य रखे थे कि क्षेत्रों का जलबोर्ड का रुपया गबन किया गया है, कुछ क्षेत्रों में दुरुपयोग किया गया है और इस प्रकार का दुरुपयोग करने में छोटे-मोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि उच्च श्रेणी के कार्यकर्ता आते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार उनसे वह रुपया वापिस नहीं ले सकती। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी जानते हैं कि एक दफा जलबोर्ड में वह ऑडिट रिपोर्ट भी पेश हुई थी जिसमें हमारे एक एम. पी. साहब का नाम जो जलबोर्ड के सेक्रेटरी,तथा बीकानेर के ऊंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनका नाम, नागौर के जलबोर्ड के सेक्रेटरी हैं उनका नाम, जिनमें किसी के नाम ६०० रुपया, किसी के नाम १,२०० रुपया, इस तरह के गबन के आंकड़े ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा उनके सामने रखे गये। उस मीटिंग में उनकी सादगी का अनुचित लाभ उठाया और उन्होंने कह दिया कि एक दफा और जांच की जाय। इन रुपयों को वसूल करने की सरकार ने कोई कोशिश नहीं की और मैं समझता हूं कि उनकी जाककारी भी है या नहीं मगर मुझे अवश्य इसकी जानकारी है। नागोर के बृजमोहनजी ३,८००) रु० बाकी हैं। इन रुपयों को जो कुंओं के लिये थे लेकिन अभी तक उसका हिसाब पेश नहीं किया। रुपये कुंए के लिये थे मगर उनमें से कुंए नहीं बनाये। वास्तव में ये रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को कुंए के लिए देने के लिये लिये थे मगर उसको न देकर खुद हजम कर गये। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की कार्यवाही करता तो उसे पुलिस में दे देते। लेकिन ये कांग्रेस के नेता हैं इसलिये उनके साथ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार में किसी की भी ऐसी शक्ति नहीं कि वे उसके खिलाफ कदम उठा सकें। अगर ऐसा है तो सब्र कर लिया जावे। ३,८००) कोई बड़ी रकम नहीं है और कोई महत्व नहीं रखती। ३,८००)को भी दरगुज़र किया जा सकता है। मगर इसके अलावा और भी देखें तो आपको मालूम होगा कि यह एक केस ही नहीं है। अगर आप बीकानेर पहुंचें और वहां पर देखें तो आपको मालूम होगा कि रामरतनजी कोचर के हिसाब में १,१०० रुपये निकलते हैं। लेकिन यह भी सब्र करें ३८००) और ११००) मिलाकर कुल ४९००)रु० होते हैं। इसके अलावा भी और कई व्यक्ति हैं। लेकिन सभापति महोदय, कुछ व्यक्तियों के नाम लेना उचित नहीं होगा। मुझे उनके नाम लेने में डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं यह समझता हूं कि उनके नाम लेने से राजनैतिक क्षेत्र दूषित होगा इसलिए मुझे उनके नाम नहीं लेने चाहिये। इसमें ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, कुछ

(श्री भैरोंसिंह)

भूतपूर्व मंत्री हैं, भूतपूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिनको ज़िला जल बोर्ड ने रिमाइन्डर दिया है ऑडिट रिपोर्ट में भी जिनका जिक्र आया है व रकम वसूल नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय को बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि इसमें उनकी कोई बदनीयती नहीं है। लेकिन यह सरकार का सामूहिक दायित्व है कि इस सम्बन्ध में कोई इस प्रकार का कदम न उठावे जिससे रकम वसूल न हो। सरकार को चाहिये कि इस प्रकार के कदम उठाए जिससे रकम वसूल हो जावे। सीकर जिले में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कुंओं के नाम से रकम ली गई। लेकिन कुंओं के लिए उस रकम को कतई काम में नहीं लिया गया। उसका हिसाब कुंओं के लिये जरूर पेश हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार के पास और जल बोर्ड के पास शिकायतें आईं कि इस किसम की घटनाएं हुई हैं। हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में मालूम किया और सरकार को मालूम हुआ मगर फिर भी हमारी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और कानों में तेल डाले बैठी है।

फिर भी मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन-जिन लोगों में सरकारी बकाया है वे उन सदस्यों के नाम बतावें और किन कारणों से है वह भी बतावें कि जिन कारणों से प्राइवेट संस्थाओं को यह काम न देकर सरकारी मशीनरी को दिया जा रहा है वरना यही समझा जावेगा कि सरकार के सामने कुछ इस प्रकार के कारण हैं और सरकार उन कारणों को यहां पर बताना नहीं चाहती है और अब सरकार सरकारी एजेन्सी के मार्फत काम कराना चाहती है।

ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वें इसके कारण बतावें। इसके अलावा अभी एक मोटे प्रश्न के बारे में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कौन से क्षेत्र सूखे, कौन से अर्द्ध सूखे और कौन से क्षेत्र गीले होंगे। इस सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय ले लिया। उनका इस सम्बन्ध में कौन से जिले इस कैटेगरीज़ में लिये जावेंगे; उनका यह दृष्टिकोण इस प्रकार के प्रश्न से था। मैं यह अर्ज करूंगा कि राजस्थान में कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर एक तहसील में १०० हाथ की गहराई पर पानी निकलता है और दूसरी जगह १० हाथ की गहराई पर पानी निकल सकता है। अगर उक्त दोनों क्षेत्रों को एक ही कैटेगरी में लेकर रकम दें तो मुझे भय है कि जो धन आवश्यक क्षेत्रों में मिलना चाहिये उनको नहीं मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह से सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है मुझे भी सरकार से यह आशा करनी चाहिये कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी। अब एक प्रश्न आता है कि ज़िले में कितने लोगों से पूछा जावे, किसी जिले में कितने ही लोग हैं किन किन से पूछा जावे। माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार का रवैया यह रहा है कि वह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी को नहीं पूछती कि कितना कोटा उनके लिये आवश्यक है। सरकार अपनी मर्जी से ऊपर से कोटा मुकर्रर करती है। जैसे मान लें कि तीन लाख रुपया खर्च करना है उसमें सरकार अपनी मर्जी से २५ हजार सीकर के लिये, चूरू के लिये २० हजार, बीकानेर के लिए १५

(श्री भैरोंसिंह)

हजार, नागोर के लिये ६० हजार इस प्रकार से कोटा मुकर्रर कर देती है ।

श्री मूलचंद डागा : सभापति महोदय, आज के बाद तीन दिन का अवकाश है इसलिए आज १० मिनट पहले ही सभा की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय तो लोगों को सुविधा रहेगी ।

श्री सभापति : आप जाने के लिये स्वतन्त्र हैं ।

श्री मूलचंद डागा : मैं कुछ विधान से बंधा हूँ । सबकी यही इच्छा है ।

श्री भैरोंसिंह : ऐसे ही आप लेट हो गये हैं ।

श्री मूलचंद डागा : मैंने गाड़ी रोक दी है ।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार वितरण का प्रबन्ध करती है उसमें ज्यादातर सरकार ऊपर से ही तय करती है । सरकार को चाहिये तो यह था कि वह नीचे से सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी से प्रोपोजल मंगावे । डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी से जो मांग आवे उसके आधार पर वह अपना आॅर्डर देने के लिये तय करे और जिस स्थान को जितनी आवश्यकता हो उसके अनुरूप ही हमें सारा धन अलॉट करना होगा । यदि हमने इस प्रकार की व्यवस्था की तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमें कुछ न कुछ धन मिलने का मौका मिलेगा और यदि इस प्रकार इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो माननीय यातायात मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार जल बोर्ड का पैसा नागोर में ज्यादा खर्च हुआ उसी तरह से दूसरे स्थानों पर भी जिनमें प्रभावशाली व्यक्ति होंगे वहां पर ज्यादा खर्च होगा । मैं यह नहीं कहता कि नागोर में पैसा खर्च नहीं हो; शिकायत यह है कि एक स्थान पर ज्यादा और दूसरे पर कुछ नहीं खर्च होता है । यदि अनुपात से खर्च होता तो जलन किसी को भी नहीं होती । मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे किसी बात की जलन नहीं है । लेकिन जनता इस बात को अनुभव करती है इसलिये मैंने यहां पर निवेदन किया है । अंत में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ माननीय मंत्री महोदय से एक बात जो मैंने पहले कही थी स्पेशिफिकली फिर कह देना चाहता हूँ कि जल बोर्ड को भंग करके सरकारी मशीनरी के मार्फत कार्य कराने का निर्णय लिया है वह क्यों लिया है ? क्या सरकार ने जल बोर्ड को अयोग्य समझा है, या इसमें कोई घोटाला होता है ? मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण अपने उत्तर में करेंगे जिससे मुझे भी संतोष होगा और सदन के सभी सदस्यों को भी संतोष होगा कि हमारी सरकार इस प्रकार से किये गये धन के दुपरुयोग को रोकने के लिये सतर्क है ।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो मैं नहीं बोलना चाहता । दूसरे दिन....

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा कट मोशन यह

Page No.103

(श्री लक्ष्मीचन्द)

है कि जैसलमेर, बाड़मेर आदि इलाकों में पानी की बहुत बड़ी कमी है। सभापति महोदय, ये दोनों इलाके ऐसे हैं, जहां पर मीठा पानी तो क्यों पीने के लिये पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। सरकार को इस सम्बन्ध में सख्त कदम उठाना चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां शहरों में नल लगते हैं बगीचों में पानी दिया जाता है लेकिन जहां पर पीने के पानी का सवाल है, वहां पर पीने को पानी नहीं मिलता। मैं एक दफा सेरवा की तरफ गया, उस गांव में मैं एक महाजन के यहां जाकर ठहरा, उस का पति बीमार था, उसकी पत्नी दो मील दूर पानी भरने के लिए गई। वह अपने पति को छोड़ कर पानी भरने के लिये गई और पीछे से उसका पति मर गया। जब लोगों ने उसको कहा कि तेरा पति मर गया है, जा जल्दी घर पहुंच, तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि मरे तो मरने दे, एक पानी को घड़ो तो भरने दे, पीछे आने वालों को पानी पीने को चाहिये। इतनी उधर पानी की समस्या है कि एक पत्नी अपने पति के लिये कह देती है कि मरे तो मरने दे, एक घड़ो पानी को भरने दे। वे अपने पति की सेवा नहीं कर सकी। वहां चार चार मील दूर से पानी लाना पड़ता है; हम सरकार कहती है लेकिन उनके आंकड़ों से हम खुश होने वाले नहीं हैं पेपर प्रोपेगेन्डा से खुश होने वाले नहीं हैं, चाहे आप शिक्षा का प्रबन्ध न कर सकें, स्कूल न खुलवा सकें, लेकिन यदि आप पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। कम से कम पानी का प्रबन्ध तो करें। यदि आप पीने के पानी के लिए लोगों को चीखते हुए देखें तो आपको दुःख होगा कि बहुत दूर दूर से वहां की बहिन बेटियों को पानी लाना पड़ता है। सभापति महोदय, वहां की बहिन-बेटियां बैल की भांति अपना जीवन व्यतीत करती हैं। मैंने वह स्थिति कलेक्टर को दिखायी, मिनिस्टर साहब उस इलाके के रहने वाले हैं, करीब करीब जानते होंगे कि लोग-बागों को पानी की कितनी दिक्कत है। इसलिए सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिये। जल बोर्ड के लिए पैसा निर्धारित किया वहां न तो उस पैसे का सदुपयोग हुआ है और नही ऑडिट हुआ है जिससे पता चल सके कि वास्तव में कितना किस प्रकार खर्चा हुआ है। जैसे कहावत भी है :

लक्ष्मी इस सरकार में भांति भांति के फन्ड।
निर्भय होकर खाइये न है कोई दंड ॥

(हंसी)

श्री सभापति (श्री सतीशचंद्र अग्रवाल): यह आपकी ही बनाई हुई मालूम पड़ती है।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, चार चार मील के अन्दर पानी नहीं है। पानी लाने और ले जाने के लिए एक दिन पूरा, एक आदमी को लगाना पड़ता है। सरकार कम से कम वहां के लोगों को दूसरी फैसिलिटीज न दे सके तो, कम से कम पानी की फैसिलिटीज तो देनी ही चाहिये। पैसों का जो डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजन किया जाता है वह उन इलाकों में ज्यादा होना चाहिये। सौ सौ हाथ के बेरे हैं। डिस्ट्रिक्टस वाइज पैसे का विभाजन कर दिया जाता है। जयपुर शहर और जोधपुर शहर है, उनमें यदि बेरे खोदते है तो एक हजार रुपये का खर्चा हो सकता है। लेकिन जैसलमेर

(श्री लक्ष्मीचन्द)

और बाड़मेर इलाकों में बेरे खोदने जावेंगे। तो कम से कम तीन हजार रुपया एक बेरे के लगेंगे। इसलिए पैसा डिस्ट्रिक्ट्स को देते समय ध्यान रखना चाहिये। शहरों के बनिस्वत यदि बाड़मेर और जैसलमेर इलाकों में बेरे खोदने जावेंगे तो तिगुना और चौगुना खर्चा होगा। और उसी रूप में वहां धन राशि भी दी जानी चाहिये। यह किया गया है कि आधा पैसा सरकार दे और आधा पैसा पब्लिक दे। लेकिन वहां की पब्लिक ऐसी नहीं है कि वह आधा खर्चा दे सके। इसलिए सरकार को कम से कम उन लोगों को पीने के पानी की तो राहत पहुँचानी ही चाहिये। जगह जगह स्कूल नहीं खोल सकें तो कोई बात नहीं, किन्तु पीने के पानी की तो आप व्यवस्था अवश्य कीजिये। स्कूलों के बिना वे जिन्दा रह सकते है, किन्तु पानी के बिना वे जिन्दा नहीं रह सकते। पहले तो दोष देते थे कि जागीरदारों का इलाका है, उनकी जमीन है, उनको पानी की व्यवस्था करना चाहिये, लेकिन अब तो आपकी जमींदारी है, जागीरदारी है, उनको ज्यादा से ज्यादा पानी देने की व्यवस्था आपको करनी चाहिये। जितना हो सके उतना नजदीक में उनके लिए बेरे खुदवा देने चाहिये। इसलिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, समय कम रह गया है।

श्री सभापति : गाड़ी चूकने का डर है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना थी कि दो, चार मिनिट कटौती प्रस्ताव पर आज कह दूं और बाकी फिर जब हम मिलेंगे तब कहूँगा। केवल चार मिनिट रहे हैं। अभी मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने काफी बातें कही हैं और मैं तो उनकी बातों को पूरा समझ चुका हूं।

आदमी में पानी न हो तो आदमी किस काम का। मोती में पानी न हो तो मोती किस काम का।

जो सरकार पानी की व्यवस्था न कर सके, उस सरकार की शासन व्यवस्था के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। सवाल सिर्फ छोटा सा है। राजस्थान की विधान सभा में ठीक पांच बजे पहले, दो चार मिनिट पहले, पानी की मांग की जाय धरती पर कोई अन्तिम सांस ले रहा है, पांच बजे के वक्त वाद-विवाद होता है। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, राजस्थान के कौने कौने में पानी की मांग है। उस सरकार की व्यवस्था पर हम क्या कह सकते है। कई प्रायोरिटीज़ सब्जैक्ट बनाये। लेकिन हम चाहते क्या हैं? भगवान् ने जगह दी। दूसरी चीज़ है पानी और पानी की मांग है, लोग पानी चाहते हैं। आप इस चीज़ को हल्के रूप से न लेकर, आसान रूप से न लेकर विचार करें। आप सुविधाओं में रखे जा चुके हैं और आप उन सुविधाओं में रखे जा चुके हैं जिनके कारण आप उन मुसीबतों को नहीं महसूस करते हैं कि जिन लोगों को पीने को पानी मुहैया नहीं होता, न जाने आप कितना गैलन पानी बहा चुके हैं, बाग बगीचों में न जाने कितना पानी बहा चुके हैं। कितना गैलन पानी आप एक आदमी पर आज शहरों में खर्च करते हैं? जोधपुर में पहले इसका एवरेज निकला गया था तो मालूम हुआ कि १४, १५ गैलन

(श्री मूलचन्द डागा)

एक आदमी का एवरेज पहुंच चुका है। जिन आदमियों ने ये बातें देखी हैं कि चौदह कोस से एक पानी मटकी के लिए घर से निकलना पड़ता है वह आठ घंटे के बाद भी एक मटका पानी लेकर घर नहीं पहुंच सकता। फिर आपके ये सेक्रेटेरियेट और जल बोर्ड सुविधा की बातें करते हैं, उनको वे हल नहीं कर सके। इसीलिए पक्षपात की बातें लोग करते हैं। आप सारा का सारा पैसा शहरों में देना चाहते है। आपको मालूम है मनुष्य एक चीज चाहता है और वह पानी मांगता है। मुझे जल बोर्ड के बारे में नहीं कहना है, वह तो जिस वक्त कहना था उन्होंने कह दिया है। मैं तो पानी की समस्या के बारे में, जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में कहता हूँ। पाली के शहर और उन गांवो में पानी के बारे में कई बार कह चुका हूं। आज भी लोग कहते हैं, जब उनको कहते हैं तो लोग उत्तर देते हैं, मैंने भी सुना है। पहले तो क्या होता था, पहले तो जागीरदारों के जुल्मों से दबे जाते थे, पहले क्या होता था ? हम कहेंगे आपने कहा था, हमने कहा था, मैंने पूछा तो कहते हैं कि पहले भी लोक जीवन बिताते थे, मरते थोड़े ही थे, उत्तर देते हैं। मैं विश्वास दिला कर कहता हूं कि वह जनता, मूक जनता, जो आवाज़ नहीं रख सकती यदि रख सकती तो, कहती कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद सन् ४७ के बाद इन बारह वर्षों में पानी की व्यवस्था नहीं कह सकी, उस हुकूमत को शासन करने की शाक्ति है या नहीं ? वह चेलेन्ज करती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक १६. १२. ५८ के प्रातः-काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजे दिनांक १६. १२. ५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार १२ दिसम्बर, १९५८)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

शाहपुरा व नीम का थाना के बीच बस को रोका जाना।

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी द्वारा पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों से कपट।

जामसर थाने वालों द्वारा एक पाकिस्तानी नागरिक को, तस्कर सोना लाते हुए पकड़ना।

निर्माण कार्य-अलवर डिस्ट्रिक्ट।

ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर के स्टाफ की ग्रेड।

राजस्थान पुलिस को सिविल व आर्म्स की शाखाओं के स्थानापन्न उप-अधीक्षक।

जयपुर से सांभर जाने वाली बस नं० आर. जे. एल. ५४१।

करणपुर ब्लॉक की सिलाई की मशीनें।

कोटा में अनाज के तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारियां।

सरकिट हाउस सिरोही के स्टोर का फिजिकल वेरीफिकेशन।

करणपुर ब्लॉक के रेडियो सेट।

६३८४ जाश्मा तालाब की नहर को पक्की बनाने की स्वीकृति।

खादी तथा ग्रामोद्योग विकास के लिए संस्थाओं को सरकार द्वारा ऋण।

बीकानेर जिले में अकाल।

प्राथमिक पाठशालाओं के लिए निकलने वाले अंग्रेजी में परिपत्र।

कीकरी बांध में रूपारेल नहर फीडर के पुल।

हाई स्कूल चाकसू और लालसोट में कॉमर्स विषय चलाने की स्वीकृति।

नगर-पहाड़ी सड़क।

औद्योगिक क्षेत्र बनाने की सरकारी योजना।

अमरसर से सामोद आदि सड़कें बनाने की योजना।

इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर्स की नियुक्ति।

हाई स्कूल चाकसू के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन।

डिस्ट्रिक्ट पूल में जीपों की संख्या।

Page No.107

स्कम्भ

छोटे बांधों का निर्माण।

कोटड़ी तहसील को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से मिलाना।

विभिन्न उद्योगों को दिया गया कुल ऋण।

तहसील खन्डार में चम्बल कैनाल द्वारा सिंचित होने वाली भूमि।

बस सर्विस के राष्ट्रीयकरण की योजना॥

लो इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत सीकर नगर में व्यक्तियों को लोन।

बनास नदी पर खुर्रा बनाने की योजना, राशमी तहसील।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १६५८–५६ (प्रथम खंड), पर मतदान ६४३०

(१) मांग सं. ४७–मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा

उपरोक्त मांग श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई :

इस मांग पर २१ कटौती प्रस्ताव सदस्यों ने प्रस्तुत किये।

१. श्री पी. के चौधरी।

२. श्री जगदीशप्रसाद माथुर

३. डॉ. चन्द्रकला

स्कम्भ

४. डॉ. बहादुरसिंह

५. श्री रामकरणसिंह

६. श्री रामनारायण वर्मा

७. श्री भैरोंसिंह

८. श्री मूलचन्द डागा

९. श्री चन्द्रसिंह यादव

मुख्य मंत्री के उत्तर के पश्चात्

१७ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिए गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

(२) मांग सं० ४६–मुख्य शीर्षक ३६–जन स्वास्थ्य

उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर १० कटौती प्रस्ताव निम्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत हुए:–

१. श्री जगदीश प्रसाद माथुर

२. डॉ. चन्द्रकला

३. श्री पी० के० चौधरी

४. श्री भीमसेन

५. श्री भैरोंसिंह

६. श्री लक्ष्मीचन्द

७. श्री मूलचंद डागा

Page No.108

स्कम्भ

मंगलवार १६ दिसम्बर १६५८ की कार्य सूची

१. राजस्थान जागीरदारी मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान (अन्तिम आज्ञाएं वैधकरण) विधेयक, ५८।

(पुरःस्थापित)

स्कम्भ

२. प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

३. जनलेखा समिति का उपस्थापन।

४. अनुपूरक अनुदानों की मांगों १६५८-५६ (प्रथम खंड) पर मतदान।

———

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १२१६ का उत्तर देखिये)

LIST OF OFFG. DY. SUPERINTENDENT OF POLICE.

1. Shri Mithan Lal, offg. Dy. S. P. ACD Kotah.
2. ,, Sulekh Chand, Offg. Dy. S. P. Nimbahera. Distt. Chittor.
3. ,, Mohd. Umar, Offg. Dy. S. P. RTC., Kotah.
4. ,, O. L. Dixit (absent from duty).
5. ,, Sawai Singh II Offg. Adjutent, 4th Bn, RAC, Raisinghnagar, Ganganagar,
6. ,, Barkat Ram Offg. Dy. S. P. Hanumangarh, District Ganganagar.
7. ,, Durgpal Singh Offg. Asstt. Commdt. 2nd Bn. RAC, Jaipur.
8. ,, Arjun Singh, Offg. Dy, S. P. Baran Distt. Kotah.
9. ,, Ratan Singh (on deputation to S. P. E.)
10. ,, Ras Behari Lal Offg. Dy. S. P. Rajgarh Distt. Alwar.
11. ,, Krishna Karan. Offg. Dy. S. P. Hqrs. Udaipur.
12. ,, Satya Prakash Tyagi, Offg. Dy. S. P. Phalodi District, Jodhpur.
13. ,, Kanwar Lal Offg. Dy. S. P. Jodhpur city.
14. ,, Bhoor Singh (Under suspension).
15. ,, Brij Bhooshan Offg. Dy. S. P. CID., (Zone) Ajmer.
16. ,, Lakh Singh Offg. S. P. Hqrs. Jalore.
17. ,, Shyam Sundar Lal Offg. Dy. S. P. ADF Sojat Distt. Pali.
18. ,, Sultan Singh Parihar Offg. Dy. S. P. Rikhabdeo Distt. Udaipur.
19. ,, Shyam Singh Offg. Dy. S. P. Shahpura Distt. Bhilwara.
20. ,, Dulla Singh, Offg, Adjutent 2nd Bn. RAC Jaipur.

21. ,, Deen Dayal Offg. Dy. S. P. Hqrs. Jodhpur.

22. ,, Dhan singh, Offg. Dy. S. P. Barmer.

23. ,, Laxmi Lal, Offg. Dy. S. P. Unthala Distt. Udaipur.

24. ,, Shri Kuber Dan (on deputation to S. P. E.)

25. ,, Narain Singh Offg. Dy. S. P. Dholpur Distt. Bharatpur.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १२२० का उत्तर देखिये)

LIST OF CHINAWARE REPLACED ON ACCOUNT OF BRICKAGE IN TRANSMISSION DURING MINISTER'S VISITS.

1. 6 Soup plates.
2. 6 Meat plates.
3. 6 Half plates.
4. 6 Quarter plates.
5. 3 Vegetables Dishes.
6. 1 Sauce boat.
7. 2 Flat Dishes.

————

7 Items only.

LIST OF CROCKERY, GLASSWARE TRANSFERRED FROM SIROHI CIRCUIT HOUSE TO CIRCUIT HOUSE, JODHPUR DATED 17-1-58.

27	Soup plates.
22	Meat plates.
66	Pudding plates.
22	Quarter plates
11	Vegetable Dishes with cover.
6	Flat dishes Asst. size.
6	Sauce boots.
43	Coffee cups
43	Coffee saucers.

GLASSWARE.

17	Salt cellers.
18	Pepper pots.
15	Finger bowls.
22	Champagne glasses.
56	Portwine glasses.
49	Sherry glasses.

As per ordar of Superentendenting Engineer, No. 8517 dateb 7. 6. 57 Jodhpur list of articles being sent with P. W. D. Truck No. RJW 261 on 25. 7. 57.

1. Refregator Elector Lux 1 No. 5' X 2¼' complete.
2. Deodar Box of Farrashkhana Store (Size 5¼ X 2¼ X 2¾) in which the reregator is packed.
3. Accessories—

4 Glass Dishes (3 with cover 1 without cover),

1 Enamelled dish.

4 Wire Dishes.

4 Alluminioum Ice cabnet dishes for Ice.

---

1 Plug with wire and heater.

1 Extra connection wire.

1 Small tin cover)
1 Large tin cover) for Electric connection.

---

4 Chimneys blue colour for glass with 4 wicks.

1 Lamp.

1 Funnel.

2 Nos. lable slip of metal showing volage and name.

4 Nos. Serews for lables-

1 No. mouth piece of wire.

LIST OF ARTICLES SENT FROM SIROHI DAK-BUNGALOW TO MT. ABU INCONNECTION WITH DEVELOPMENT CONFRENCE ON 13-5-58,

1 Carpet 31½'X14½'

12 Palm stands with Brass pots to pit in.

6 China English Flower Pots.

1	Durri	35'-8"X17'-9"	dated 18-5-58.
1	-do-	36'X12'-5"	
1	-do-	15'X5"X13'-1"	
1	-do-	15'-2"X15'	
1	-do-	14'-5"X13'-3"	
1	-do-	14'-4"X11'-9"	
1	-do-	13'-4"X13'-10"	
1	-do-	14'-5"X11'-10"	
1	-do-	14'-3"X6'-9"	
1	-do-	14'-5"X7"	
1	-do-	9'-8"X7'-8"	
1	-do-	9'-8"X7'-8"	
1	-do-	19"X5'-8"	
1	-do-	18'-10"X6'	
1	-do-	12'X5'-8"	
1	-do-	12'-4"X5'-8"	
1	-do-	16"X5'-6"	
1	-do-	16'-9"X6'-2"	
1	-do-	13'-10"X15'-6"	
2	-do-	24'X17½' & 19'X17'.	

8 Tea pots, square top 1½'X1½'X1'-11"

LIST OF CATLERY "ROMANY PLATES" ETC SENT TO JODHPUR DATED 28-7-55 (BADGED JEWELLERS LTD., INDIA).

2. Sauce Boats.
11. Entree Dishes with covers.
3. Vegetable Dishes with covers having partitions.
4. Salvers 8" one 12" one 14" one and 24" one.
6. Mustard pots silver with glass pots to fit in with 6 spoons.
6. Pepper pots of silver.
6. Salt cellers of silver with glass pots to fit in with 6 spoons.
2. Aspatagus Dishes with servies and stands.
2. Triffle Dished wtth 2 small glass dishes to fit in.
4. Toast Rings (for 4)
4. Nut Crackers.
1. Ice paila 7" Dia with strainer.
1. Server for Ice.
2. Peg measurers for half and full.
2. Hors, D., Oure Dishes with glass dishes.
1. Kettle with stand and stone.
1. Coffee pot.
1. Milk jug
1. Suggar Basin.
3. Butter Dishes (I complete) with cover and bottom Dish (1 cover short and 2 dishes short) and 3 knives.
3. Jam pots (Jars) with 3 spoons and 3 glass pts to fit in.
1. Oil and Vingar stand (2 glass bottles).
1. Cocktail shaker Elect. plated (1 point).
2. Ten strainers Electroplated.
8. Flower pots pure silver (4 small and 4 big) made in Sirohi.

1. Cigarettes and Cigar Box pure silver 10"X6" × 2⅛" made in Sirohi workshop.

OLD CUTTLERY MIXED ETC.

12. Table spoons.
8. Dessert spoons.
4. Ten spoons.
7. Coffee spoons (1 of pure silver made in Sirohi).
18. Dessert forks.
11. Fish Forks.
10. Fruite Forks.
1. Table Forks.
1. Joint Fork iron with ivory handle.
6. Dessert knives.
10. Fish knives.
10. Fruit knives.
2. Bread Dish with handle.
5. Wine tables leaf pattern.
1. Crust stand with 3 bottles 1 salt celler and 2 spoons.
1. -do-
1. Butter pots Electtoplated (Bottom dish & cover only) incomplete.

NEW ROMANEY PLATES.

1. Tea pot.
1. Sugar basin.
1. Milk jug.

MARRIAGM STOCK CHINAWARA.

30.	Soup plates.	(24 Eng.	&	6 Bengal	Pottery)
24.	Meat plates.	(18.	-do-	6	-do-)
73.	Half plates.	(67.	-do-	6	-do-)
22.	Quarter -do-	(16.	-do-	6	-do-)

10.	Vegetable -do-	(7	Eng. &	3	Bengal pottery.)
5.	Sauce Boat.	(4	-do-	1	-de-)
6.	Flat Dishes.	(4	-do-	2	-do-)
8.	Toast Racks.				
24.	Coffee Cups.				
24.	Coffee saucers.				
3.	Tea pots.				
3.	Milk jugs.				
1.	Sugar basins.				
1.	Iron Box of farrashkhana store.				
1.	Lock brass & liver with keys.				

———

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १२२४ का उत्तर देखिये)

तालिका

राजस्थान सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग विकास के लिए सहायता रूप में दी गई धनराशि का व्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	नाम संस्था	धनराशि सहायतार्थ रूप में जो दी गई
	सन् १९५४-५५	
१.	खादी भंडार, जोधपुर	१०,००० रु०
२.	ग्रामोद्योग समिति, बांसवाड़ा	५,००० रु०
		१५,००० रु०
	सन् १९५५-५६	
३.	कुटीर उद्योग केन्द्र, अलवर	२,५०० रु०
४.	शाहपुरा बहुधन्धी सहकारी समिति, जयपुर	२,००० रु०
५.	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर	५,००० रु०
६.	खारी तट सर्वोदय संघ, शाहपुरा, भीलवाड़ा।	५,००० रु०
७.	नव निर्माण संघ, उदयपुर	५,००० रु०
८.	हाडोती खादी ग्रामोद्योग संघ बारां, (कोटा)	५,००० रु०
९.	केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी समिति, जयपुर	५,००० रु०
१०.	हिन्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति हिन्डौन, (सवाई माधोपुर)	५,००० रु०
११.	बहुधन्धी सहकारी समिति, गौसूंडा, (चित्तौड़)	५,००० रु०
१२.	खादी मंदिर, बीकानेर	५,००० रु०
१३.	उद्योग मंदिर, जयपुर	५,००० रु०
		४९,५०० रु०
	सन् १९५७-५८	
१४.	अजमेर मेरवाड़ा, ग्राम सेवा मंडल, अजमेर	५,००० रु०
	कुल मीजान रु०	६९,५०० रु०

शुद्धि–पत्र

(कार्य विवरण दिनांक १२ दिसम्बर, ५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्य	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६३८८	१४	इतका	इसका
६४०२	१५-१६	road & ron Pahari To-Nagar is 23 miles the work was devided into	road from Pahari to Nagar is 23 miles. The work was divided into
६४०२	२३	and materal	and material
६४०५	५	दरख्वास्तें	दरख्वास्तें
६४११	८	१२३०	१२३७
६४१३	२१	Privat	Private
६४२८	२४	बस सविस	बस सर्विस
६४३०	३	उसका बैठक	उसकी बैठक
६४३५	६	एज्युकेशन	एजूकेशन
६४३८	११	necesary	necessary
६४४१	१७, १८, १६ व २५	स्कूर्ल्स	स्कूल्स
६४४२	२६	गव के लोग	गांव के लोग
६४४३	४	द्वारा में	द्वारा मैं
६४४५	१३	फीलन्ड	फील्ड
६४४६	१६ व ३३	में	मैं
६४४७	२४	Provtding emleymeny	Providing employment

१	२	३	४
६४५४	अन्तिम से ४	नहीं मिलती	नहीं मिलती
६४६०	अन्तिम से २	सरकर	सरकार
६४६४	२२	बेकार ओर	बेकार और
६४६६	अन्तिम से ४	पड़ती हा।	पड़ती है।
६४८६	१३	बारे मैं	बारे में
६५०१	२	delbate	debate
६५०१	७	सकते हैं।	सकते हैं।
६५०५	अन्तिम से ३	गन्त्री	मन्त्री
६५१४	१-२	श्री चन्द्रसिंह यादव उपाध्यक्ष, महोदय जिसकी कि	(श्री चन्द्रसिंह यादव) उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी कि
६५१६	२६	महेदय	महोदय
६५१७	शीर्ष	रमगों	मांगों
६५१६	शीर्ष	मतनान	मतदान
६५२२	२५	कि जित न	कि जितनी
६५२३	६	कौटपुतली	कोटपुतली
६५२८	अन्तिम से ६	किग्री	डिग्री
६५३०	२७	वर्कस	वर्कर्स
६५३१	२०	खरीदने	खरीदने
६५३२	२२	गहै थी	गई थी
६५३७	२२	सहयेग	सहयोग
६५४६	२३	thls	this.

१	२	३	४
६५४८-४९	शीर्ष	यिसम्बर	दिसम्बर
६५४८	अन्तिम से ६	quest Hon to	question to
६५५८	२२	करणों	कारणों
६५६५	१७	is not	was not
६५६७	१७	weter	water
६५७५	२६-२७	कष्ट । गर्मियों	कष्ट है । गर्मियों
६५७७	१०	चिन्ना	चिन्ता
६५७९	शीर्ष	भतदान	मतदान
६५८२	२०	करने में	करने में
६५८३	शीर्ष	गांगों	मांगों
६५८६	१४	श्री मूचंद डागा	श्री मूलचन्द डागा
६५८९	शीर्ष	मंगों	मांगों
६५९३	अन्तिम से ३	(तदन्तर	(तदनन्तर
६५९६	अन्तिम से ४-५	प्रस्ताव सदस्यों	प्रस्ताव निम्न सदस्यों
६६०६	२२	Suggar	Sugar